



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269853
CG-DL-E-05022026-269853

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947
No. 83]	NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026
दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ
इंटरकनेक्शन (एड्रिसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन)
विनियम, 2026
(2026 का 1)

फा. सं. आर.जी.-1/1/ (1) / 2025-बी एंड सीएस (2).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 सपठित धारा 11 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) के उप-अनुच्छेद (ii), (iii) और (iv) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सपठित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 39,-

(क) जिसे उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (घ) और धारा 2 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ट) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है, और

(ख) जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3 में अधिसूचना संख्या एस.ओ.44 (ई) और 45 (ई) दिनांक 9 जनवरी, 2004 के अंतर्गत प्रकाशित हुई है,-

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (2017 का 1) में आगे संशोधन करने के लिए, एतद द्वारा निम्न विनियमों का निर्माण करता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 1) कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होंगे।
- (3) ये विनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 (इसके बाद “मूल विनियम” कहा जाएगा) के विनियम 15 में, --

(क) उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(1) टेलीविज़न चैनलों के प्रत्येक वितरक को अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के एड्रसेबल सिस्टम जैसे कि सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स का प्रति वर्ष एक बार किसी ऑडिटर से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट कराना होगा ताकि वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों में निहित सूचना का सत्यापन किया जा सके और वितरक यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित ऑडिट रिपोर्ट, सभी एनेक्सचर सहित, हर साल 30 सितंबर तक हर उस प्रसारकों के साथ साझा करेगा जिसके साथ उसका इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है:

बशर्ते कि प्राधिकरण इस प्रकार के ऑडिट के उद्देश्य के लिए ऑडिटर्स का पैनल बना सकता है और प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस उप-विनियम के अंतर्गत ऐसे पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से ऑडिट कराए।

बशर्ते यह कि वितरक उस प्रसारक को, जिसके साथ उसका इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है, ऑडिट का शेड्यूल और ऑडिटर का नाम कम से कम तीस दिन पूर्व सूचित करेगा।

बशर्ते यह भी कि प्रसारक ऑडिट में सम्मिलित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है जो ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु प्रसारक के इनपुट को साझा कर सकता है और वितरक ऐसे प्रतिनिधि को ऑडिट में उपस्थित रहने की अनुमति देगा।

स्पष्टीकरण : संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति केवल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए सुझाव साझा करने, यदि कोई हो तो, के सीमित उद्देश्य के लिए होगी और इसका आशय किसी भी प्रकार से ऑडिट के विधिवत संचालन का निर्देश देने या उस पर प्रभाव डालने का कोई अधिकार प्रदान करना नहीं है।

बशर्ते यह भी कि उन टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के लिए, जिनके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, सक्रिय ग्राहकों की संख्या तीस हजार से अधिक नहीं है, उनके लिए इस विनियम के अंतर्गत ऑडिट कराना वैकल्पिक होगा।

स्पष्टीकरण: संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग या जॉइंट वेंचर के मामले में, उपर्युक्त उपबंध की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले सभी वितरकों के संयुक्त ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाएगा।

बशर्ते यह भी कि पैनल में शामिल कोई भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो एड्रसेबल सिस्टम्स का ऑडिट कर रहा है, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें पुष्टि की जाएगी कि ऑडिटर ऑडिट की गई इकाई (ऑडिटी) से स्वतंत्र है और ऑडिट विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और ऑडिटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह भी कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, जिस वित्तीय वर्ष का ऑडिट किया जा रहा है, उससे पूर्व का कोई भी अनऑडिटेड अवधि यदि हो, तो उसे भी ऑडिट में सम्मिलित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: संदेह को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के कार्यान्वयन के पश्चात् प्रथम ऑडिट के मामले में, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया जा रहा है उससे पूर्व की कोई भी अनऑडिटेड अवधि, यदि कोई हो, ऑडिट में सम्मिलित की जाएगी; तथा वर्ष 2025 में जिस किसी ओवरलैपिंग अवधि के लिए ऑडिट पहले ही किया जा चुका है, उसे ऑडिट से बाहर रखा जाएगा।

बशर्ते यह कि ऑडिट के कारण आने वाला अंतर यदि बिल की गई राशि का शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत से कम हो, तो पहले से जारी तथा भुगतान किए गए चालानों में किसी भी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी।”

(ख) उप-विनियम (1क) में, “अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स को एक कैलेंडर वर्ष में” शब्दों के स्थान पर “निर्धारित समय के भीतर एक वर्ष में, अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के एड्रसेबल सिस्टम का” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) ऐसे मामले में, जहाँ कोई प्रसारक, उप-विनियम (1) के अंतर्गत 30 सितम्बर तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करता है और उस ऑडिट रिपोर्ट में महत्वपूर्ण अपर्याप्तताएँ या विसंगतियाँ पाता है, वहाँ वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से पैंतालीस (45) दिनों के भीतर, लिखित रूप में, अपनी विशिष्ट टिप्पणियों तथा सहायक दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, उस टेलीविज़न चैनल के वितरक को, जिससे ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अवगत करा सकता है:

बशर्ते कि वितरक, प्रसारक से टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर, उनकी प्राप्ति की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर, उन टिप्पणियों की जाँच एवं निवारण हेतु संबंधित ऑडिटर को प्रेषित करेगा और ऑडिटर, प्रसारक की टिप्पणियों का निवारण करने के पश्चात, तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर वितरक को अपनी अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, जिसे वितरक उसकी प्राप्ति की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेषित करेगा।

बशर्ते यह कि यदि प्रसारक को यह प्रतीत होता है कि उसकी टिप्पणियों का पूर्ण रूप से निवारण नहीं किया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर, अपनी विशिष्ट टिप्पणियों तथा सहायक दस्तावेजों सहित, यदि कोई हों, प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण, प्रसारक के अभ्यावेदन की जाँच, ऐसे शुल्क और व्यय पर करेगा, जिसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, और ऐसे शुल्क एवं व्यय का वहन प्रसारक द्वारा किया जाएगा; तथा ऐसी जाँच के उपरांत, प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा इंगित की गई अपर्याप्तताओं/विसंगतियों का सत्यापन करने के लिए, प्रसारक को प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से ऑडिट कराने की अनुमति दे सकता है, और ऐसे ऑडिट की लागत का वहन भी प्रसारक द्वारा किया जाएगा।

(घ) इस प्रकार प्रतिस्थापित किए गए उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(2क) ऐसे मामले में, जहाँ किसी प्रसारक को टेलीविज़न चैनल के वितरक, जो कि उप-विनियम (1) के अंतर्गत अपने एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट कराने के लिए बाध्य है, से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट 30 सितम्बर तक प्राप्त नहीं होती है, वहाँ प्रसारकों को, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से, तथा वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से, ऐसे टेलीविज़न चैनल के वितरक के एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट अपने व्यय पर कराने की अनुमति होगी।

बशर्ते कि जहाँ किसी टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए उप-विनियम (1) के अंतर्गत ऑडिट वैकल्पिक है, वहाँ प्रसारकों को, वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, संयुक्त रूप से, प्राधिकरण

द्वारा पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड से, एड्रसेबल सिस्टम का ऑडिट अपने व्यय पर कराने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा एक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार ही ऑडिट करवाया जा सकता है, और ऐसा ऑडिट उस वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर से पाँच माह की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

(2ख) ऐसे मामले में, जहाँ उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) या उप-विनियम (2क) के अंतर्गत किए गए ऑडिट से यह प्रकट होता है कि—

(क) ग्राहकों की संख्या में कोई विसंगति है, तो भुगतान राशि का निपटान, प्रसारक और वितरक के बीच हुए इंटरकनेक्शन समझौते के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है;

(ख) वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रसेबल सिस्टम, अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वितरक को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देने के पश्चात, प्रसारक को टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति होगी।

3. मूल विनियमों की अनुसूची III में, -

(क) आइटम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित आइटम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) शेड्यूलिंग: विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उसी विनियम में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार शेड्यूल किया जाएगा।”;

(ख) आइटम (ड) के बाद, निम्नलिखित आइटम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(च) इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले: -

1. एस.एम.एस. और सी.ए.एस. में इस अनुसूची में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./सी.ए.एस. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और सी.ए.एस. के बीच इकाई-वार मिलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ एनकोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालने की जरूरत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी./मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।”

4. मूल विनियमों की अनुसूची X में, -

(क) आइटम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित आइटम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ख) शेड्यूलिंग: विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उसी विनियमन में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार शेड्यूल किया जाएगा।

(ख) आइटम (च) के बाद, निम्नलिखित आइटम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(छ) इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले: -

1. एस.एम.एस. और डी.आर.एम. में इस अनुसूची में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं को प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./डी.आर.एम. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और डी.आर.एम. के बीच इकाई-वार मिलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ एनकोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालने की जरूरत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी./मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।”

अतुल कुमार चौधरी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./658/2025-26]

टिप्पणी 1---- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 21-4/2016-बी. एंड सी.एस. दिनांक 3 मार्च, 2017 (2017 का 1) के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2---- मूल विनियमों को अधिसूचना सं. 21-6/2019-बी. एंड सी.एस. दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 (2019 का 7) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 3---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बी एंड सीएस दिनांक 1 जनवरी 2020 (2020 का 1) के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी 4---- मूल विनियमों में पुनः संशोधन अधिसूचना सं. आर.जी.-1/2/(3)/2021-बी. एंड सी.एस. (2) दिनांक 11 जून, 2021 (2021 का 1) के माध्यम से संशोधित किया गया।

टिप्पणी 5---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना सं. आर.जी.-1/2/(2)/2022-बी. एंड सी.एस.(2) दिनांक 22 नवम्बर, 2022 (2022 का 2) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 6---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना सं. सी-1/2/(1)/2021-बी. एंड सी.एस.(2) दिनांक 14 सितम्बर, 2023 (2023 का 4) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 7---- मूल विनियमों में पुनः अधिसूचना सं. आर.जी.-8/1/(9)/2021-बी. एंड सी.एस.(1 एंड 3) दिनांक 8 जुलाई, 2024 (2024 का 4) के माध्यम से संशोधन किया गया।

टिप्पणी 8---- व्याख्यात्मक ज्ञापन, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एट्रिसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 (2026 का 1) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

व्याख्यात्मक जापन

परिचय और पृष्ठभूमि

1. 3 मार्च 2017 को, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 अधिसूचित किया। उक्त विनियमों में 30 अक्टूबर 2019, 1 जनवरी 2020, 11 जून 2021, 22 नवंबर 2022, 14 सितंबर 2023 तथा 8 जुलाई 2024 की अधिसूचनाओं के माध्यम से पुनः संशोधन किए गए (मूल विनियम तथा इसके संशोधनों को आगे “इंटरकनेक्शन विनियम 2017” कहा जाएगा)।
2. सेक्टर के आकार एवं संरचना तथा प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक मॉडलों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों को देखते हुए, हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान हेतु समय के साथ विनियमों का विकसित होना आवश्यक है। हितधारक इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में निहित ऑडिट-संबंधी प्रावधानों की समीक्षा से संबंधित कुछ मुद्दे उठाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (जिसे इसके बाद “एम.आई.बी.” कहा जाएगा) द्वारा जारी इन्फ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों-एम.एस.ओ. के लिए 29 दिसंबर 2021, एच.आई.टी.एस. के लिए 6 नवंबर 2020, तथा डी.टी.एच. के लिए 16 सितंबर 2022 में निहित प्रावधानों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधानों एवं संबंधित अनुसूचियों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु 9 अगस्त 2024 को ‘दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) विनियम, 2017 के ऑडिट संबंधी प्रावधान तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल’ पर एक परामर्श पत्र (जिसे इसके बाद “परामर्श पत्र” कहा जाएगा) जारी किया। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ तथा प्रत्युत्तर टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर डाली गई। इसके उपरांत 5 दिसंबर 2024 को ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई।
3. परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियों तथा प्रत्युत्तर-टिप्पणियों पर विधिवत विचार करने एवं अपने स्वयं के विश्लेषण के पश्चात, प्राधिकरण ने हितधारकों से आगे की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 को दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2025 का मसौदा जारी किया (जिसे आगे “मसौदा विनियम 2025” कहा जाएगा)। मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई।
4. परामर्श पत्र तथा मसौदा विनियम 2025 के प्रत्युत्तर में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और आंतरिक विश्लेषण पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम्स) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2026 (जिसे इसके बाद “सातवाँ संशोधन विनियम” कहा जाएगा) को अंतिम रूप दिया है। मसौदा विनियम 2025 में निहित विभिन्न प्रावधानों पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का व्याख्यात्मक जापन में विस्तार से बताया गया है। आगामी पैराग्राफ सातवें संशोधन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करते हैं।

इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में ऑडिट से संबंधित प्रावधान

5. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 का विनियम 15, अन्य बातों के साथ, इस प्रकार उद्धृत किया जाता है:

“15. अंकेक्षण - (1) प्रत्येक टेलीविज़न चैनलों का वितरक, यह सत्यापित करने के लिए कि वितरक द्वारा प्रसारक को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं, एक कैलेंडर वर्ष में एक बार किसी अंकेक्षक से अपने उपभोक्ता प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण कराएगा और इस संबंध में प्रत्येक प्रसारक को एक अंकेक्षक रिपोर्ट जारी करेगा जिनके साथ उसने अंतःसंयोजन करार किया है:

परंतु यह कि प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस उप-विनियम के अंतर्गत मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा ऐसे पैनल में रखे गये अंकेक्षकों में से किसी से, अंकेक्षण कराए:

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण के कारण कोई भिन्नता, जिसेक परिणामस्वरूप, बिल में दी गई धनराशि के 0.5 प्रतिशत से कम हो, में, पहले ही जारी कर दिए गए भुगतान कर दिए गए इनवॉयसों को कोई संशोधन आवश्यक नहीं होगा।

(1 ए) यदि वितरक अपने सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम और अन्य संबंधित प्रणालियों की उप-विनियम (1) की अपेक्षानुसार, वर्ष वर्ष में एक बार अंकेक्षण कराने में विफल रहता है तो उन्हें इसके लाइसेंस या अनुमति या पंजीकरण के नियम एवं शर्तों या अधिनियम या नियमावली या आदेश या इनके तहत निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाग डाले बिना, प्राधिकरण के आदेश, निर्देशानुसार, वित्तीय निरुत्साहन के रूप में देय तिथि के बाद, तीस दिनों तक एक हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से और देय तिथि के बाद तीस दिनों के बाद भी चूक जारी रहने पर, दो हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत प्राधिकारी द्वारा लगाए गए वित्तीय निरुत्साहन की राशि किसी भी मामले में दो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण द्वारा वित्तीय हतोत्साहन के रूप में किसी भी राशि का भुगतान करने का आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राधिकरण देखे गए विनियमों के उल्लंघन के खिलाफ वितरक को अपना पक्ष रखने का प्रयाप्त अवसर न दिया गया हो।

(2) ऐसे मामलों में, जहाँ कोई प्रसारक उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त अंकेक्षण रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, या किसी प्रसारक की राय में वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रसेबल प्रणाली अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती तो वितरक को लिखित में असंतुष्टि के कारण संसूचित करने के पश्चात वह प्रसारक, अधिक से अधिक एक कैलेंडर वर्ष में एक बार टेलीविज़न चैनलों के वितरक की उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणालियों का अंकेक्षण करेगा,

परंतु यह कि प्राधिकरण इस अंकेक्षण के उद्देश्य के लिए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है और टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह, मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से, इस उप-विनियम के अंतर्गत अंकेक्षण कराए;

पुनः परंतु यह कि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि प्रसारक को अतिरिक्त धनराशि भुगतान योग्य है तो वितरक 10 दिन के अंदर, अंतःसंयोजन करार से प्रसारक द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर विलंबित भुगतान संबंधी ब्याज के साथ-साथ उन धनराशियों का भुगतान करेगा और यदि किसी अवधि के लिए देय ब्याज सहित वह धनराशि, उस अवधि के लिए देय देय होने के लिए, वितरक द्वारा सूचित धनराशि से 2 प्रतिशत अधिक या इससे अधिक हो जाती है तो वितरक अंकेक्षण व्यय वहन करेगा और भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा;

पुनः परंतु यह कि प्रसारक को यह विकल्प होगा कि वह वितरक को तीन सप्ताह का पूर्व-नोटिस देने के पश्चात टेलीविजन चैनल के सिगनल विसंयोजित कर सके, यदि अंकेक्षण में यह पता चलता है कि वितरक द्वारा इस्तेमाल की जा रही एड्रसेबल प्रणाली, अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी नहीं करती।

(3) टेलीविजन चैनलों का प्रत्येक वितरक, अंकेक्षकों को लेखा परीक्षकों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ताकि अंकेक्षण कार्य एक समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।”

6. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत, सभी टेलीविजन चैनलों के वितरकों के लिए अपने सिस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार ऑडिट कराना अनिवार्य है। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई डी.पी.ओ. अपने सिस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऑडिट कराने में विफल रहता है, तो ऐसे डी.पी.ओ. पर वित्तीय हतोत्साहन (फाइनेंशियल डिसइन्सेंटिव) लगाया जाएगा (जिस पर प्रतिवर्ष अधिकतम दो लाख रुपये की सीमा निर्धारित है)।
7. तथापि, वित्तीय हतोत्साहन का प्रावधान विद्यमान होने तथा भादूविप्रा और एम.आई.बी. द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के बावजूद, यह देखा गया कि कई वितरक अभी भी अपने सिस्टम का ऑडिट समयबद्ध तरीके से नहीं करवा रहे हैं। भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स तथा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) से प्राप्त ऑडिट संबंधी आँकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में कराए गए डी.पी.ओ. कॉज़्ड ऑडिट की संख्या, उन डी.पी.ओ. की संख्या की तुलना में कम रही जिन्हें ऑडिट कराना आवश्यक था।
8. डी.पी.ओ. जिनका ग्राहक आधार बहुत कम है उन्होंने विभिन्न बैठकों में भादूविप्रा को सूचित किया है कि उन्हें प्रत्येक वर्ष अपने सिस्टम का ऑडिट कराने में कठिनाई होती है, क्योंकि मैनपावर तथा वित्तीय संसाधनों दोनों की क्षमता सीमित है। ऑडिट शुल्क वहन करने में असमर्थता के कारण ऑडिट से छूट प्रदान किए जाने के अनुरोधों सहित कुछ छोटे डी.पी.ओ. से अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। कम ग्राहक आधार वाले कई एम.एस.ओ. ने भी वित्तीय बाधाओं के कारण ऑडिट की अनिवार्यता से छूट प्रदान किए जाने के लिए एम.आई.बी. से भी अनुरोध किया था।

9. इसके अतिरिक्त, एम.आई.बी. द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के ऑडिट-संबंधी प्रावधानों तथा संबंधित अनुसूचियों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। तदनुसार, भादूविप्रा ने हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु परामर्श पत्र जारी किया।
10. इस संदर्भ में, परामर्श पत्र में विचार-विमर्श हेतु उठाए गए मुद्दे इस प्रकार थे:

प्रश्न 1. क्या इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में विनियम 15(1) के प्रावधान को यथावत रखा जाना चाहिए या उसे हटा दिया जाना चाहिए?

- i) यदि आपका यह मत है कि विनियम 15(1) के प्रावधानों को यथावत रखा जाना चाहिए, तो-
- (क) क्या इसे अपने वर्तमान रूप में जारी रखा जाना चाहिए या इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है?
- (ख) यदि आपका यह मत है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15(1) में संशोधन आवश्यक हैं, तो कृपया संशोधित विनियमों का सुझाव विस्तृत औचित्य सहित प्रस्तुत करें।
- ii) यदि यह निर्णय लिया जाता है कि विनियम 15(1) के प्रावधानों को हटा दिया जाए, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-सा मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए जिससे कि वितरकों द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई जाने वाली मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हों?

प्रश्न 2. क्या छोटे डी.पी.ओ. को इंटरकनेक्शन विनियम के विनियम 15(1) के अंतर्गत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में अपने सिस्टम का ऑडिट कराने से छूट दी जानी चाहिए?

क. यदि हाँ, तो,

1. क्या इस उद्देश्य के लिए छोटे डी.पी.ओ. को परिभाषित करने हेतु 'ग्राहक आधार' को एक मानदंड के रूप में अपनाया जाना चाहिए?
- i. यदि हाँ, तो,
- क. छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत अपने सिस्टम का ऑडिट कराने से छूट देने के उद्देश्य से, ग्राहक आधार की क्या सीमा अपनाई जानी चाहिए?
- ख. वर्ष की किस तिथि को डी.पी.ओ. के ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाए ताकि यह वर्गीकृत किया जा सके कि डी.पी.ओ. छूट प्राप्त श्रेणी में आता है या नहीं?
- ग. यदि कोई वितरक एक से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म, जैसे एम.एस.ओ. का वितरण नेटवर्क, आई.पी.टी.वी. आदि, के माध्यम से सेवाएँ प्रदान कर रहा है, तो क्या ऐसे वितरक का संयुक्त ग्राहक आधार यह वर्गीकृत करने हेतु ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वितरक छूट प्राप्त श्रेणी में आता है या नहीं?
- ii. यदि 'ग्राहक आधार' को मानदंड के रूप में नहीं अपनाया जाना है, तो छोटे डी.पी.ओ. को परिभाषित करने के लिए कौन-सा मानदंड चुना जाना चाहिए?
2. यदि यह निर्णय लिया जाता है कि छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत अपने सिस्टम का ऑडिट कराने से छूट दी जा सकती है, तो क्या प्रसारकों को यह स्पष्ट रूप से अनुमति दी जानी चाहिए कि वे ऐसे डी.पी.ओ. के सिस्टम का सब्सक्रिप्शन ऑडिट और/अथवा अनुपालन

ऑडिट करा सकें, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि वितरक द्वारा उन्हें उपलब्ध कराई जाने वाली मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं?

- i. यदि हाँ, तो विभिन्न प्रसारकों द्वारा किए जाने वाले कई ऑडिट के कारण छोटे डी.पी.ओ. पर पड़ने वाले बोझ को कम करने हेतु क्या मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए?
 - ii. यदि नहीं, तो यह सत्यापित करने के लिए कौन-सा मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए कि छोटे डी.पी.ओ. द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें पूर्ण, सत्य और सही हैं?
- ख. यदि आपका यह मत है कि छोटे डी.पी.ओ. को अनिवार्य ऑडिट से छूट नहीं दी जानी चाहिए, तो-
- i. छोटे डी.पी.ओ. के अनुपालन बोझ को किस प्रकार कम किया जाना चाहिए?
 - ii. क्या ऐसे छोटे डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य ऑडिट की आवृत्ति को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार से घटाकर कम किया जाना चाहिए, जैसे कि, प्रत्येक तीन कैलेंडर वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए?
 - iii. वैकल्पिक रूप से, क्या छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत, बी.ई.सी.आई.एल. या भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल किसी ऑडिटर के ऑडिट के बजाय स्व-ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए?

प्रश्न 3. वर्तमान इंटरकनेक्शन विनियम के अनुसार, टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों के लिए अपने सिस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार ऑडिट कराना अनिवार्य है। क्या “कैलेंडर वर्ष” के मौजूदा प्रावधान को जारी रखा जाए, या कैलेंडर वर्ष के स्थान पर “वित्तीय वर्ष” निर्दिष्ट किया जाना चाहिए? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

प्रश्न 4. वर्तमान इंटरकनेक्शन विनियम के अनुसार, विनियम 15(1) के अंतर्गत डी.पी.ओ. द्वारा कराए जाने वाले वार्षिक ऑडिट की समय-सारणी इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिट के बीच कम से कम छह माह का अंतर हो और दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिट के बीच 18 माह से अधिक का अंतर न हो। इसके स्थान पर, क्या वार्षिक ऑडिट के लिए निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए?

- i. डी.पी.ओ. को यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वे प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक अपने सिस्टम का वार्षिक ऑडिट पूर्ण करें।
 - ii. जिन मामलों में प्रसारक विनियम 15(1) के अंतर्गत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ प्रसारक विनियम 15(2) के तहत डी.पी.ओ. का ऑडिट करा सकता है और ऐसा ऑडिट अधिकतम 31 दिसम्बर तक पूर्ण किया जाएगा।
 - iii. यदि किसी वर्ष डी.पी.ओ. 30 सितम्बर तक अपनी प्रणालियों का अनिवार्य वार्षिक ऑडिट पूर्ण नहीं करता है, तो प्रसारक 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक विनियम 15(2) के अंतर्गत डी.पी.ओ. का ऑडिट करा सकता है। यह व्यवस्था डी.पी.ओ. को उस वर्ष 30 सितम्बर तक अनिवार्य ऑडिट कराने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करेगी और क्या इससे नॉन-कम्प्लायंट डी.पी.ओ. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार भादूविप्रा द्वारा कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होगा?
- कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

प्रश्न 5. यदि आप प्रश्न 4 में उल्लिखित समय-सारणी से सहमत नहीं हैं, तो परामर्श हेतु निम्नलिखित मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करें:

- i. वर्तमान इंटरकनेक्शन विनियम के अनुसार, विनियम 15(1) के अंतर्गत डी.पी.ओ. द्वारा कराए जाने वाला वार्षिक ऑडिट की समय-सारणी का निर्धारण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिटों के बीच कम से कम छह माह का अंतर हो और दो लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिटों के बीच 18 माह से अधिक का अंतर न हो। क्या उपर्युक्त निर्धारित ऑडिट समय-सारणी में किसी संशोधन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कृपया ऑडिट की समय-सारणी के निर्धारण में प्रस्तावित संशोधनों का उल्लेख करें। कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।
- ii. क्या डी.पी.ओ. से प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट (विनियम 15(1) के अंतर्गत) के संबंध में, प्रसारकों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे विनियम 15(2) के अंतर्गत, उस रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से एक निश्चित अवधि (जैसे 3 माह) के भीतर, उस कैलेंडर वर्ष के लिए डी.पी.ओ. का ऑडिट करा सकें, जिसमें ऐसी अवधि का कुछ हिस्सा अगले वर्ष में भी जा सकता हो?
 - यदि हाँ, तो वह निश्चित अवधि क्या होनी चाहिए जिसके भीतर प्रसारक ऐसा ऑडिट करा सके? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।
 - यदि नहीं, तो भी कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।
- iii. यदि कोई डी.पी.ओ. विनियम 15(1) में निर्दिष्ट अनुसार किसी कैलेंडर वर्ष में अपनी प्रणालियों का ऑडिट नहीं कराता है, तो क्या प्रसारकों को यह अनुमति दी जानी चाहिए कि वे उस कैलेंडर वर्ष के लिए, उस वर्ष की समाप्ति के बाद एक निश्चित अवधि (जैसे 3 माह) के भीतर, ऐसे डी.पी.ओ. का सब्सक्रिप्शन ऑडिट और/अथवा कंप्लायंस ऑडिट करा सकें?
 - यदि हाँ, तो (कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद) वह निश्चित अवधि क्या होनी चाहिए जिसके भीतर प्रसारक को उस कैलेंडर वर्ष के लिए सब्सक्रिप्शन ऑडिट और/अथवा कंप्लायंस ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।
 - यदि नहीं, तो भी कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें?

प्रश्न 6. डी.पी.ओ. द्वारा ऑडिट की समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों को अपनाया जा सकता है? कृपया अपने उत्तर का समुचित तर्क सहित औचित्य प्रस्तुत करें।

परामर्श पत्र के प्रश्न 1 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

11. प्रश्न 1 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। विनियम 15(1) को जारी रखने के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:—

- विनियम 15(1) में कोई दोष नहीं है और इसे यथावत बनाए रखा जाना चाहिए; तथापि, इसके कार्यान्वयन के उद्देश्य और प्रभावशीलता की गंभीर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, जिससे इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके।

- चैलेंज ऑडिट से संबंधित विनियम 15(2) को हटाया जाना चाहिए। प्रसारकों को ऑडिट को चुनौती देने का द्वितीय विकल्प देना अनावश्यक है, इससे अनुपालन लागत बढ़ती है और यह प्रसारकों को विनियामक के द्वारा निर्धारित ऑडिट प्रक्रिया से अतिरिक्त ऑडिट की मांग करने का अवसर प्रदान करता है।
- यदि किसी डी.पी.ओ. ने भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स से अपना वार्षिक ऑडिट पूर्ण करा लिया है, तो वैध औचित्य और पुष्ट आँकड़ों के अभाव में प्रसारकों को ऐसे ऑडिट को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- वर्तमान में प्रसारक द्वारा ऑडिट शुरू करने से संबंधित क्लॉज ओपन-एंडेड है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए ताकि प्रसारक केवल तभी ऑडिट शुरू कर सके जब ग्राहक संख्या में 2 प्रतिशत से अधिक का अंतर हो। तथापि, इससे किसी भी स्थिति में सेवाओं में व्यवधान नहीं होना चाहिए।
- जिन प्रसारकों का ग्राहक आधार किसी डी.पी.ओ. के कुल ग्राहक आधार के 10 प्रतिशत से कम है, उन्हें किसी भी डी.पी.ओ. का ऑडिट शुरू करने का विकल्प नहीं दिया जाना चाहिए।
- विनियम 15(1) को बनाए रखा जाना चाहिए, किंतु अनिवार्य रूप में नहीं।
- छोटे एम.एस.ओ. पर कंप्लायंस का बोझ कम करने के उद्देश्य से ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को प्रत्येक 2/3/4/5 वर्षों में एक बार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
- डी.पी.ओ. को पैनल में शामिल ऑडिटर्स से वार्षिक तकनीकी ऑडिट की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; साथ ही, ऑडिटर्स द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क अत्यधिक अधिक हैं, जिन्हें वे वहन करने में सक्षम नहीं हैं।
- विनियम 15(1) के अंतर्गत प्रावधान अत्यंत आवश्यक है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए; तथापि, उपयुक्त स्व-ऑडिट व्यवस्था जोड़ी जानी चाहिए, ताकि छोटे डी.पी.ओ. पर ऑडिट शुल्क का अतिरिक्त बोझ न पड़े।

12. विनियम 15(1) को जारी रखने का विरोध करने वाले हितधारकों ने संक्षेप में निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:—

- विनियम 15(1) को हटाया जाना चाहिए तथा प्रसारकों को डी.पी.ओ. के सिस्टम का ऑडिट कराने का अबाधित प्रथम अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि टीवी चैनलों के स्वामी होने के नाते प्रसारक, अपने राजस्व का आधार बनने वाली मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों (एम.एस.आर.) का समयबद्ध रूप से सत्यापन कर सकें।
- वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत, यद्यपि डी.पी.ओ. को ऑडिट कराना अनिवार्य है, तथापि अनेक डी.पी.ओ. या तो ऑडिट नहीं कराते हैं अथवा अत्यधिक विलंब से एवं प्रसारकों के बार-बार अनुरोधों के पश्चात ही ऑडिट कराते हैं। डी.पी.ओ., प्रसारकों द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट का विरोध करते हुए, अपनी ऑडिट रिपोर्टों में पाई गई विसंगतियों के कठोर प्रमाण की मांग करते हैं तथा विभिन्न बहानों से ऐसे ऑडिट में विलंब करते हैं।
- पिछले कई मामलों में, प्रसारकों द्वारा ऑडिट कराने के लिए समय की माँग की गई, किंतु डी.पी.ओ. द्वारा ऐसे अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए। यह भी देखा गया कि डी.पी.ओ. की ऑडिट रिपोर्टों में हेरफेर किया गया, वे अपूर्ण एवं असत्य थीं तथा उनके सबमिशन में विलंब हुआ। परिणामस्वरूप, वैधानिक डेटा रिटेंशन अवधि समाप्त हो गई, जिससे उस अवधि के अभिलेखों का सत्यापन संभव नहीं हो सका।

13. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त टिप्पणियों में से एक टिप्पणी ऑडिटर्स की फीस निर्धारित किए जाने के संबंध में भी प्राप्त हुई।

14. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के आगामी अनुभाग में मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 30,000 से अधिक ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट, 30,000 से कम ग्राहकों वाले छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऐसे ऑडिट को वैकल्पिक बनाना तथा आवश्यकता होने पर प्रसारकों को वर्ष में एक बार ऑडिट कराने की अनुमति देना, ऑडिट के लिए समय-सीमाओं और प्रक्रिया को परिभाषित करना, तथा वे परिस्थितियाँ और स्थितियाँ निर्धारित करना सम्मिलित हैं जिनमें ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारक ऑडिट करा सकता है और प्रसारक द्वारा किसी भी पुनः-ऑडिट से पूर्व भादूविप्रा द्वारा की जाने वाली जाँच का प्रावधान किया गया है।

परामर्श पत्र के प्रश्न 2 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

15. प्रश्न 2 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। विनियम 15(1) के अनुपालन से छोटे डी.पी.ओ. को छूट दिए जाने के पक्ष में रहे हितधारकों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-
- छोटे एम.एस.ओ. के लिए ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए अतिरिक्त बोझ है और वे ऑडिट की लागत वहन करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, यदि ऑडिट आवश्यक है, तो इसे बिना किसी शुल्क के किया जाना चाहिए।
 - छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में डी.पी.ओ. की संख्या पहले ही सीमित रह गई है।
 - सब्सक्राइबर बेस के आधार पर छूट की सीमा निर्धारित करने हेतु सुझाए गए मानदंडों में पर्याप्त भिन्नता पाई गई, जो 5,000 से 50,000 ग्राहकों के बीच थी।
 - प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में ऑडिट कराना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। अतः 5,000 से कम ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए तथा 5,000 से 10,000 ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को तीन वर्ष में एक बार किए जाने पर विचार किया जा सकता है।
 - जिला स्तर पर कार्यरत डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अनुपालन से छूट दी जानी चाहिए।
 - विनियम 15(1) को इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से हटाया जाना चाहिए तथा प्रसारकों को ऑडिट कराने का निर्बाध प्रथम अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, यदि विनियम 15(1) को किसी न किसी रूप में बनाए रखा जाता है, तो 30,000 से कम ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट से छूट दी जानी चाहिए। ऐसे डी.पी.ओ. के संबंध में, प्रसारक को अपने स्वविवेक से कैलेंडर वर्ष में एक बार विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, ऐसी छूट 30,000 से कम ग्राहकों वाले किसी डी.पी.ओ. पर लागू नहीं होनी चाहिए, यदि वह जॉइंट वेंचर (जे.वी.) का भाग है अथवा किसी और तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर साझा कर रहा है, जब तक कि जे.वी. या इंफ्रास्ट्रक्चर सेयरिंग व्यवस्था में शामिल पार्टियों के पास कुल मिलाकर 30000 से कम सब्सक्राइबर न हों।
16. विनियम 15(1) के अनुपालन से छोटे डी.पी.ओ. को छूट दिए जाने का विरोध करने वाले हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-
- विनियमन सभी डी.पी.ओ. पर समान रूप से लागू होना चाहिए और छोटे अथवा बड़े डी.पी.ओ. के बीच कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटे डी.पी.ओ. को दी गई कोई भी छूट असमानता को बढ़ाएगी तथा विनियमन के गैर-अनुपालन को प्रोत्साहित करेगी।

- देश का कानून कभी भी जाति, क्रीड, आर्थिक स्थिति अथवा प्रभाव के आधार पर भेद नहीं करता है और यही सिद्धांत कंपनी अधिनियम 2013 पर भी लागू होता है। कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों के टर्नओवर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता; अतः आकार अथवा टर्नओवर के आधार पर डी.पी.ओ. को छूट प्रदान करना उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।
 - विनियम 15(1) को केबल टीवी एवं प्रसारण क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए विनियम में शामिल किया गया था ताकि इस क्षेत्र में हो रही अंडर-रिपोर्टिंग को कम किया जा सके। विनियम 15(1) में दी गई कोई भी छूट अंडर-रिपोर्टिंग एवं अनधिकृत वितरण को और बढ़ाएगी, जिससे सरकारी राजस्व को भारी क्षति होगी।
 - प्रत्येक डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट अनिवार्य होना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा; तथापि, 1,000 से कम ग्राहक आधार वाले छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट शुल्क को विनियमित किया जा सकता है।
17. छोटे डी.पी.ओ. के लिए अनिवार्य ऑडिट की फ्रीक्वेंसी कम किए जाने के प्रश्न पर हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए, जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:—
- ऑडिट की फ्रीक्वेंसी में कोई कमी नहीं की जानी चाहिए और इसे प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अनिवार्य बनाए रखा जाना चाहिए।
 - छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को बदलकर प्रत्येक दो, तीन या पाँच साल में एक बार कर देना चाहिए।
 - कंप्लायंस के बोझ को कम करने के उद्देश्य से ऑडिट की फ्रीक्वेंसी को प्रत्येक दो वित्तीय वर्षों में एक बार संशोधित किया जाना चाहिए।
 - प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार ऑडिट किया जाना चाहिए।
 - ऑडिट के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटे डी.पी.ओ. वर्तमान में उच्च ऑडिट शुल्क के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सभी प्रसारण कंपनियों द्वारा एक साथ, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर के माध्यम से ऑडिट कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त, स्व-ऑडिट के लिए शुल्क केवल ₹15,000/- निर्धारित किया जाना चाहिए, अथवा वैकल्पिक रूप से ऑडिट को प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार अनिवार्य किया जाना चाहिए।
 - संपूर्ण लाइसेंस अवधि में केवल एक बार ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए।
18. किसी वर्ष में डी.पी.ओ. के सब्सक्राइबर बेस के आधार पर विचार करते हुए छूट की स्थिति का निर्धारण करने के लिए उपयुक्त तिथि की पहचान के विषय पर हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:—
- पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक के ग्राहक आधार पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि डी.पी.ओ. का सब्सक्राइबर बेस दिन-प्रतिदिन घटता जा रहा है।
 - एक समान तिथि पर विचार किया जाना चाहिए, अर्थात् प्रत्येक वर्ष के अंत में, अथवा भादूविप्रा द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार।

19. विनियम 15(1) के अंतर्गत छूट की स्थिति निर्धारित करने के लिए, वितरकों के कुल सब्सक्राइबर बेस पर विचार किया जाना चाहिए या नहीं, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ कोई वितरक एम.एस.ओ. नेटवर्क या आईपीटीवी जैसे एकाधिक प्लेटफार्मों के माध्यम से संचालन करता है, इस संबंध में हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए:—
- सभी वितरण प्लेटफार्मों के सामूहिक/संयुक्त ग्राहक आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि डी.पी.ओ. प्रत्येक वितरण प्लेटफॉर्म के लिए प्रसारकों के साथ पृथक-पृथक इंटरकनेक्शन समझौते निष्पादित करता है।
 - संयुक्त ग्राहक आधार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
20. इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या विनियम 15(1) के अंतर्गत छूट प्राप्त छोटे डी.पी.ओ. की सिस्टम्स का ऑडिट कराने के लिए प्रसारकों को स्पष्ट रूप से अनुमति दी जानी चाहिए, हितधारकों ने भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किए, जिन्हें संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:—
- 30,000 से कम ग्राहकों वाले किसी भी डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत अनिवार्य ऑडिट से छूट दी जानी चाहिए। ऐसे डी.पी.ओ. के संबंध में, प्रसारक को अपने विवेक से कैलेंडर वर्ष में एक बार विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।
 - यदि सब्सक्राइबर बेस के आधार पर डी.पी.ओ. के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किए जाने की आवश्यकता हो, तो प्रसारकों को केवल उन्हीं मामलों में विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे छोटे डी.पी.ओ. का सब्सक्रिप्शन ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत एम.एस.ओ. की पूर्णता, शुद्धता अथवा सत्यता के संबंध में संदेह हो।
21. इस प्रश्न के संदर्भ में कि जिन मामलों में छोटे डी.पी.ओ. को छूट प्रदान नहीं की गई है, वहाँ उनके अनुपालन के बोझ को किस प्रकार कम किया जा सकता है, हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:—
- प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में केवल एक ऑडिट कराए जाने के अतिरिक्त छोटे डी.पी.ओ. पर कोई विशेष कंप्लायंस बोझ नहीं है। यह भी कहा गया कि छोटे डी.पी.ओ. के लिए यह एकमात्र ऑडिट प्रक्रिया सामान्यतः एक सप्ताह के भीतर पूर्ण हो जाती है, जबकि सात से आठ हेडएंड वाले बड़े डी.पी.ओ. के लिए इसमें तीन से चार सप्ताह का समय लगता है; अतः इस आधार पर डी.पी.ओ. पर कंप्लायंस बोझ नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ऑडिट शुल्क के लिए एक सामान्य रेट कार्ड प्रकाशित कर सकता है, जो सी.ए.एस. की संख्या, एस.एम.एस. की संख्या, ग्राहकों की संख्या, ऑडिट पूर्ण करने में अपेक्षित समय आदि पर आधारित होगा; इससे छोटे एम.एस.ओ. पर पड़ने वाला बोझ भी कम होगा।
 - डी.पी.ओ. की कुछ श्रेणियों (उनके ग्राहक आधार के अनुसार) के कंप्लायंस बोझ को कम करने का निर्णय लिया जाता है, तो समानता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक विधि को अपनाया जा सकता है:—
- विधि 1:**
- i) विनियम 15(1) के अंतर्गत अपने सिस्टम्स का ऑडिट कराने का विकल्प डी.पी.ओ. के पास ही रहना चाहिए।

- ii) डी.पी.ओ. (बड़े या छोटे) को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में, तथा उस कैलेंडर वर्ष के प्रथम तीन महीनों के भीतर, भादूविप्रा को आधिकारिक रूप से सूचित/रिपोर्ट करने का विकल्प दिया जा सकता है कि वे उस कैलेंडर वर्ष में विनियम 15(1) के अनुसार अपने सिस्टम का ऑडिट कराना चाहते हैं या नहीं।
- iii) यदि कोई डी.पी.ओ. ऑडिट कराने के लिए अनिच्छुक हो या निर्धारित अवधि में प्रतिक्रिया न दे, तो प्राधिकरण प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे सिस्टम्स का ऑडिट कराने तथा उसके परिणामस्वरूप प्राप्त रिपोर्टें भादूविप्रा को प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।
- iv) वे डी.पी.ओ. जो वर्ष के प्रारंभ में भादूविप्रा को ऑडिट कराने की अपनी इच्छा सूचित करते हैं, किंतु उस कैलेंडर वर्ष के भीतर डी.ए.एस. ऑडिट पूर्ण करने में विफल रहते हैं, उनके विरुद्ध प्राधिकरण उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है।

विधि 2:

- सभी डी.पी.ओ. (बड़े या छोटे) को विनियम 15(1) के अनुसार अपने सिस्टम्स का कंप्लायंस ऑडिट अनिवार्य रूप से कराना होगा तथा वार्षिक कंप्लायंस रिपोर्ट भादूविप्रा को प्रस्तुत करनी होगी।
- यदि सब्सक्राइबर बेस के आधार पर डी.पी.ओ. के साथ भेदपूर्ण व्यवहार किए जाने की आवश्यकता हो, तो प्रसारकों को केवल उन्हीं मामलों में विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे छोटे डी.पी.ओ. का सब्सक्रिप्शन ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, जहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत एम.एस.आर. की पूर्णता, शुद्धता अथवा सत्यता के संबंध में संदेह हो।

22. इस प्रश्न के संदर्भ में कि क्या छोटे डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (जिसे आगे “बेसिल” कहा जाएगा) द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट के स्थान पर स्व-ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:—

- कुछ हितधारकों का मत था कि “स्व-ऑडिट” शब्द सेल्फ-कॉन्ट्रिक्टरी है, क्योंकि ऑडिट का तात्पर्य स्वयं में किसी प्रमाणित एवं स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा डेटा अथवा सिस्टम की जाँच से है, जो अनिवार्य रूप से निष्पक्ष होनी चाहिए।
- कुछ अन्य हितधारकों ने स्व-ऑडिट सिस्टम का समर्थन किया, ताकि छोटे डी.पी.ओ. पर भारी ऑडिट शुल्क का बोझ न पड़े।

23. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक जापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 30,000 से अधिक ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट, 30,000 से कम ग्राहकों वाले छोटे डी.पी.ओ. के लिए ऐसे ऑडिट को वैकल्पिक बनाना तथा आवश्यकता होने पर प्रसारकों को वर्ष में एक बार ऑडिट कराने की अनुमति देना, जॉइंट वेंचर अथवा इंफ्रास्ट्रक्चर सेयरिंग के मामलों में ऐसी छूट के लिए कुल ग्राहक आधार पर विचार किया जाना, ऑडिट के लिए समय-सीमाओं एवं प्रक्रिया को परिभाषित करना, तथा ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारक द्वारा ऑडिट कराए जाने और किसी भी पुनः-ऑडिट से पूर्व भादूविप्रा द्वारा की जाने वाली जाँच से संबंधित विषय सम्मिलित हैं।

परामर्श पत्र के प्रश्न 3 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

24. प्रश्न 3 के प्रत्युत्तर में हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। 'कैलेंडर वर्ष' के स्थान पर 'वित्तीय वर्ष' को प्रतिस्थापित किए जाने के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:-
- यह मत व्यक्त किया गया कि ऑडिट अवधि को वित्तीय वर्ष के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में सभी लेखांकन प्रावधान एवं ऑडिट वित्तीय वर्ष के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष प्रसारकों के साथ किए गए वार्षिक वित्तीय वर्ष-आधारित अनुबंधों एवं वित्तीय समझौतों के साथ सिंक्रोनाइजेशन में नहीं है।
 - ऑडिट अवधि को वित्तीय वर्ष के साथ अलाइन करने से अन्य वित्तीय रिपोर्टिंग एवं अनुपालन आवश्यकताओं के साथ निरंतरता सुनिश्चित होती है। जिससे डी.पी.ओ. के लिए ऑडिट प्रक्रिया को अपने वार्षिक वित्तीय ऑडिट के साथ एकीकृत करना सरल हो जाता है। यह भी इंगित किया गया कि रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आर.आई.ओ.) का नवीनीकरण जनवरी एवं फरवरी माह के दौरान होता है, ऐसे में कैलेंडर वर्ष के आधार पर ऑडिट करने की पूर्व प्रथा व्यावहारिक नहीं है।
 - ऑडिट अवधि को वित्तीय वर्ष के साथ अलाइन करने से कई व्यवहारिक और विनियामक लाभ होंगे, जिससे ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता बढ़ेगी। इससे ऑडिट प्रक्रिया आसान होगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा और यह सुनिश्चित होगा कि ऑडिट में एक तय रिपोर्टिंग पीरियड में डी.पी.ओ. के ऑपरेशंस की पूर्ण और सही जानकारी मिले। इसके अलावा, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का एक मुख्य हिस्सा है, और ऑडिट पीरियड को फाइनेंशियल ईयर के साथ अलाइन करने से यह सुनिश्चित होगा कि सब्सक्रिप्शन और कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट किए गए फाइनेंशियल डेटा के साथ मेल खाते हैं।
25. कैलेंडर वर्ष को जारी रखने के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित मत व्यक्त किए:-
- इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियम 15(1) को समाप्त किया जाना चाहिए; तथापि, यदि इसे बनाए रखा जाता है, तो डी.पी.ओ. एक कैलेंडर वर्ष में एक बार विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट करा सकते हैं, बशर्ते कि इस आवश्यकता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
 - एक कैलेंडर वर्ष में वार्षिक ऑडिट तथा दो क्रमागत ऑडिटों के मध्य निर्दिष्ट न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि से संबंधित वर्तमान प्रावधान उपयुक्त हैं और इनमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, भादूविप्रा विनियमों के अंतर्गत निर्धारित ऑडिट अवधि और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी कंपनी पर लागू वित्तीय वर्ष आधारित रिपोर्टिंग दायित्वों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है।
 - डी.पी.ओ. द्वारा कराए जाने वाले वार्षिक ऑडिट सिस्टम के तकनीकी कंप्लायंस एवं तकनीकी पहलुओं पर केंद्रित होते हैं। वित्तीय वर्ष आधारित ऑडिट को डी.ए.एस. ऑडिट के लिए बेंचमार्क नहीं बनाया जाना चाहिए।
26. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें 30,000 से अधिक सब्सक्राइबर वाले डी.पी.ओ. द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और मौजूदा रेगुलेशन में कैलेंडर वर्ष के बजाय ऑडिट की अवधि को एक वित्तीय वर्ष में एक बार किया जाना चाहिए।

परामर्श पत्र के प्रश्न 4 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

27. प्रश्न 4 के प्रत्युत्तर में, जिसमें कैलेंडर वर्ष के भीतर वार्षिक ऑडिट की वर्तमान व्यवस्था, साथ ही दो क्रमागत ऑडिटों के बीच निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, को हटाकर ऑडिट के लिए विशिष्ट समय-सीमाएँ निर्धारित करने के संबंध में हितधारकों से टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं—हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए। डी.पी.ओ. द्वारा 30 सितंबर तक ऑडिट पूर्ण किए जाने तथा प्रसारक द्वारा आरंभ किए जाने वाले ऑडिट 31 दिसंबर तक किए जाने की प्रस्तावित समय-सीमाओं के पक्ष में रहे हितधारकों ने सामान्यतः निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:—

- निर्धारित समय-सीमाएँ कम्प्लायंस सुनिश्चित करती हैं तथा अनावश्यक टकरावों एवं विवादों को कम करती हैं।
- हितधारकों ने प्रस्तावित समय-सीमाओं के प्रति पूर्ण सहमति व्यक्त की, क्योंकि ये समयबद्ध, प्रासंगिक हैं और समयबद्ध डी.ए.एस. ऑडिट तथा उससे संबंधित रिपोर्टिंग के लिए दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी निर्धारित करती हैं। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी तथा प्रसारकों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट साझा किए जाने के कई माह बाद उठाए जाने वाले दीर्घकालिक प्रश्नों में भी कमी आएगी, जो अनेक मामलों में छह माह तक खिंच जाते हैं।
- डी.पी.ओ. द्वारा 30 सितंबर तक अनिवार्य वार्षिक ऑडिट पूर्ण करने की आवश्यकता अत्यंत प्रासंगिक है और इन समय-सीमाओं का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। अनिवार्य वार्षिक ऑडिट के लिए 30 सितंबर की समय-सीमा एक महत्वपूर्ण विनियामक आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सभी डी.पी.ओ. का मूल्यांकन एक समान समय-सीमा में किया जाए। यह संपूर्ण इंडस्ट्री में एकरूपता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। इस डेडलाइन का पालन करने से यह सुनिश्चित होता है कि सभी संस्थाओं पर एक जैसे स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस लागू हों। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकेगा।
- यदि कोई डी.पी.ओ. विनियम 15(1) के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर ऑडिट की आवश्यकता का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो प्रसारकों को ऐसे डी.पी.ओ. को प्रसारण सिग्नल उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। साथ ही, यह स्पष्ट किया गया कि विनियम 15(2) को फिशिंग इन्क्वायरी अथवा प्रसारकों द्वारा डी.पी.ओ. पर दबाव बनाने के उपकरण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
- इन समय-सीमाओं का पालन ऑडिट प्रक्रिया में गंभीरता और अनुशासन लाएगा। इससे डी.पी.ओ. और प्रसारकों के बीच विवादों एवं टकरावों में कमी आएगी, क्योंकि प्रसारक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने बाद भी प्रश्न उठाते रहते हैं, जिसमें पिछले साल के ऑडिट से जुड़े सवाल भी शामिल होते हैं।

28. प्रस्तावित समय-सीमाओं से असहमत रहे हितधारकों से प्राप्त मतों का व्यापक सारांश निम्नानुसार है:—

- डी.पी.ओ. पर प्रसारक द्वारा आरंभ किए जाने वाले ऑडिट का प्रावधान हटाया जाना चाहिए। प्रसारक सामान्यतः पूरे वर्ष ऑडिट रिपोर्टों पर कोई आपत्ति नहीं उठाते, किंतु वर्ष के अंत में, जब वाणिज्यिक शर्तों पर सहमति नहीं बन पाती, तब वे अस्पष्ट प्रश्न उठाकर ऑडिट की आवश्यकता का हवाला देते हैं, जिससे डी.पी.ओ. पर दबाव बनाया जाता है। यह भी कहा गया कि प्रसारकों को प्रदान की गई यह असीमित शक्ति ईकोसिस्टम में असंतुलन उत्पन्न करती है और इसे हटाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह इंगित किया गया कि भादूविप्रा द्वारा अनिवार्य ऑडिट पैनल में शामिल ऑडिटर्स द्वारा कराए जाते हैं, जिन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जाना चाहिए, अतः प्रसारक-प्रेरित ऑडिट की कोई आवश्यकता नहीं है।
- डी.पी.ओ. द्वारा ऑडिट पूर्ण करने की अवधि को वर्तमान 12 महीनों से घटाकर नौ महीने करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया।

- मौजूदा प्रावधान जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ऑडिट करना ज़रूरी है, साथ ही दो लगातार ऑडिट के बीच तय की गई न्यूनतम और अधिकतम अवधि भी उपयुक्त है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, विनियम 15(2) के अंतर्गत प्रसारक द्वारा ऑडिट कराने की सीमा “एक कैलेंडर वर्ष में एक से अधिक नहीं” को इस प्रकार विस्तारित किया जाना चाहिए कि यदि किसी एक प्रसारक ने ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ऑडिट आरंभ कर दिया है, तो उसी कैलेंडर वर्ष में किसी अन्य प्रसारक को ऑडिट कराने की अनुमति न दी जाए।
- वार्षिक ऑडिट पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर, अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष के दिसंबर तक पूर्ण किया जाना चाहिए। चूँकि ऑडिट मैनुअल के अंतर्गत ऑडिटर्स के साथ साझा किए जाने वाले डेटा की मात्रा अत्यधिक है, विशेष रूप से अधिक डेटा वाले डी.पी.ओ. के मामलों में, इसलिए ऑडिट पूर्ण करने हेतु पर्याप्त समय आवश्यक है। साथ ही, तीन महीनों की रियायती अवधि (अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष के मार्च तक) प्रदान किए जाने का भी सुझाव दिया गया, ताकि किसी अप्रत्याशित विलंब की स्थिति में डी.पी.ओ. को अतिरिक्त समय मिल सके। विनियम 15(2) के अंतर्गत करवाए जाने वाले ऑडिट या चैलेंज ऑडिट के प्रावधान को समाप्त किया जाना चाहिए। तथापि, यदि डी.पी.ओ. तय समय सीमा के अंदर (यानी ग्रेस पीरियड के बाद भी मौजूदा फाइनेंशियल साल के मार्च तक) ऑडिट पूर्ण नहीं करता है, तो प्रसारकों को केवल अगले छह महीनों के भीतर ही डी.पी.ओ. की सिस्टम्स का ऑडिट आरंभ करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- यदि विनियम 15(1) को किसी भी रूप में बनाए रखा जाता है, तो डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट पूर्ण करने और कैलेंडर वर्ष के 30 जून तक प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट (जिसमें प्रसारक द्वारा बताए गए गायब एनेक्सर और/या सपोर्टिंग डेटा/दस्तावेज़ जमा करना और/या अन्य ऑडिट सवालों का जवाब देना शामिल है) को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इससे प्रसारकों को अपने विवेक से विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने के लिए पर्याप्त समय प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत किसी भी समय (अर्थात् 30 जून से पूर्व भी) ऑडिट कराने का अधिकार बना रहना चाहिए।

29. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें प्रसारकों द्वारा ब्रॉडकास्टर-प्रेरित ऑडिट कराने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली कथित दबावकारी अथवा अन्य अनुचित प्रथाओं से संबंधित मुद्दे, ऑडिट के लिए समय-सीमाओं तथा प्रक्रिया को परिभाषित करना, वे मामले और परिस्थितियाँ निर्धारित करना जिनमें ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त न होने की स्थिति में प्रसारक ऑडिट करा सकता है, तथा प्रसारक द्वारा किसी भी पुनः-ऑडिट से पूर्व भादूविप्रा द्वारा की जाने वाली जाँच, जैसे विषय सम्मिलित हैं।

परामर्श पत्र के प्रश्न 5 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

30. प्रश्न 5 के प्रत्युत्तर में, जिसमें यह पूछा गया था कि यदि हितधारक प्रश्न 4 में प्रस्तावित समय-सीमाओं से सहमत नहीं हैं, तो वैकल्पिक समय-सीमाओं के संबंध में उनके सुझाव क्या हैं, हितधारकों से भिन्न-भिन्न मत प्राप्त हुए, जिनका व्यापक सारांश निम्नानुसार है:-

- भादूविप्रा द्वारा अनिवार्य किए गए ऑडिट को अंतिम माना जाना चाहिए, और प्रसारकों को डी.पी.ओ. का ऑडिट कराने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह कार्य की पुनरावृत्ति है, जिससे डी.पी.ओ. पर अतिरिक्त लागत और कंप्लायंस बोझ बढ़ता है। भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर्स द्वारा चिन्हित की गई किसी भी कमी को सुधारात्मक उपायों हेतु चिह्नित किया जाना चाहिए।
- प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने की अनुमति, उस कैलेंडर वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से एक निश्चित अवधि के भीतर दी जानी चाहिए, जिसमें अगले वर्ष में जाने वाली किसी भी शेष अवधि (स्पिल-ओवर) को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तथापि, प्रसारकों को विनियमों/ऑडिट मैनुअल के अनुसार उन विशिष्ट मुद्दों की पहचान करनी चाहिए, जिन पर वे ऑडिट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तथा ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर डी.पी.ओ. को इसकी सूचना देनी चाहिए। यदि कोई डी.पी.ओ. विनियम 15(1) के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर वार्षिक ऑडिट प्रारंभ करने में विफल रहता है, तो प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऐसे डी.पी.ओ. का डी.ए.एस. ऑडिट कराने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, जहाँ कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर डी.पी.ओ. अनिवार्य डी.ए.एस. ऑडिट प्रारंभ करने की सूचना नहीं देता तो प्रसारकों को डी.पी.ओ. से इस बारे में स्पष्टीकरण माँगना चाहिए। यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर डी.पी.ओ. ऑडिट प्रारंभ करने का कोई कार्यक्रम साझा नहीं करता, तो प्रसारक को विनियम 15(2) के अंतर्गत डी.पी.ओ. के सिस्टम का ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- लगातार कैलेंडर वर्षों के ऑडिटों के बीच छह माह का न्यूनतम अंतराल तथा अठारह माह का अधिकतम अंतराल निर्धारित करने की वर्तमान शेड्यूलिंग व्यवस्था उपयुक्त एवं प्रभावी है। यह नियमित और समयबद्ध ऑडिट सुनिश्चित करती है तथा संगठनों को अपने ऑडिट कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु आवश्यक लचीलापन प्रदान करती है। अतः वर्तमान समय-सीमा में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
- यदि विनियम 15(2) को उचित आधार पर बनाए रखा जाता है, तो स्ट्रक्चर्ड एवं समयबद्ध ऑडिट प्रक्रिया बनाए रखने हेतु, प्रसारकों को भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा किए गए ऑडिट पर प्रश्न उठाने की अनुमति, डी.पी.ओ. से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही दी जानी चाहिए। इससे किसी भी विसंगति अथवा मुद्दे का शीघ्र एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित होगा। इस अवधि के पश्चात, प्रसारकों को किसी भी अतिरिक्त प्रश्न को आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- विनियम 15(1) की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, प्रसारकों को विनियम 15(2) के अंतर्गत ऑडिट कराने हेतु एक निश्चित समय-सीमा से बाँधने के प्रस्ताव का विरोध किया गया। यह तर्क दिया गया कि डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ऑडिट रिपोर्टों में महत्वपूर्ण अनुलग्नक तथा डेटा/दस्तावेज़ अनुपस्थित रहते हैं, जिन्हें उपलब्ध कराने तथा प्रसारकों के प्रश्नों का उत्तर देने में डी.पी.ओ. को कई माह लग जाते हैं। कुछ डी.पी.ओ. डेटा माइग्रेशन, सिस्टम क्रैश, सर्वर संबंधी समस्याओं अथवा सी.ए.एस./एस.एम.एस. तकनीकी सहायता की अनुपलब्धता का हवाला भी देते हैं।
- इसके अलावा, प्रसारक को विनियम 15 (2) के तहत कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के पश्चात, एक निश्चित समय-सीमा के अंदर ऑडिट करने के लिए बाध्य करने के संबंध में, उन मामलों में जहाँ डी.पी.ओ. ने विनियम 15(1) के अंतर्गत ऑडिट नहीं कराया है, प्रसारकों को किसी निश्चित समय-सीमा से बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहार में ज्यादातर समय डी.पी.ओ. को प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

31. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय उपर्युक्त हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत

किया गया है, जिनमें ब्रॉडकास्टर-प्रेरित ऑडिट को प्रतिबंधित करना, प्रसारकों द्वारा ऑडिट आरंभ किए जाने की समय-सीमा को सीमित करना तथा इसके लिए विशिष्ट कारणों के साथ, ऐसे मामलों में प्रसारकों को ऑडिट कराने की अनुमति देना जहाँ डी.पी.ओ. तय समय-सीमा के भीतर ऑडिट कराने में विफल रहता है, तथा सभी अनुलग्नकों सहित पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने, जैसे विषय सम्मिलित हैं।

परामर्श पत्र के प्रश्न 6 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

32. प्रश्न 6 के प्रत्युत्तर, में हितधारकों से प्राप्त विभिन्न मतों का मोटे तौर पर सारांश निम्नानुसार है:

- डी.पी.ओ. द्वारा ऑडिट समय पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु डी.पी.ओ. पर कड़े दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए, जिनमें गैर-अनुपालन की स्थिति में संबंधित वितरण प्लेटफॉर्म के संचालन हेतु लाइसेंस रद्द करना तथा किसी भी प्रकार के वितरण प्लेटफॉर्म के संचालन से तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टिंग सम्मिलित हों। साथ ही, डी.पी.ओ. को 10-14 दिनों के भीतर ऑडिट पूर्ण करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए तय तिथि के बाद ऑडिट रिपोर्ट जमा करने में देरी होने पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- प्रसारकों को ऑडिट प्रारंभ होने की तिथि से कम से कम 15 दिन पूर्व, पैनल में शामिल ऑडिटर अथवा संबंधित डी.पी.ओ. को ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम (टी.एस.) तथा ऑडिट-संबंधी सभी प्रश्न, यदि कोई हों, उपलब्ध कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, यदि ऑडिटर/डी.पी.ओ. को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो प्रसारकों पर भी वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाना चाहिए।
- भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स की गुणवत्ता में सुधार अत्यंत आवश्यक है, ताकि ऑडिट सटीकता, निष्पक्षता और व्यावसायिकता के साथ किए जा सकें। इस हेतु भादूविप्रा को बेसिल के सहयोग से, नए विनियमों, तकनीकी प्रगति तथा उभरती उद्योग प्रथाओं के अनुरूप नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए।
- डी.पी.ओ. को विनियम 15(1) के अनुसार 30 जून तक स्व-ऑडिट पूर्ण करना अनिवार्य किया जाए तथा 30 जून तक ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में दंड लगाया जाए। यदि प्रसारक स्वयं ऑडिट कराते हैं, तो डी.पी.ओ. के लिए सभी प्रसारकों के ऑडिट का प्रबंधन करना अत्यंत कठिन हो जाएगा।
- डिफॉल्टर्स के विरुद्ध भादूविप्रा द्वारा कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें प्रथम डिफॉल्ट पर पाँच लाख रुपये, द्वितीय डिफॉल्ट पर दस लाख रुपये, तथा निरंतर डिफॉल्ट की स्थिति में एक लाख रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाए। यदि भादूविप्रा द्वारा जारी स्मरण-पत्रों एवं नोटिसों के बावजूद डिफॉल्ट जारी रहता है, तो लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे प्रसारकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए जो ऑडिट प्रावधानों के उल्लंघन की जानकारी होने के बावजूद डिफॉल्ट करने वाले डी.पी.ओ. को सिग्नल प्रदान करना जारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में यह माना गया कि प्रसारक भी डिफॉल्ट में सहायक हैं, अतः उनके विरुद्ध भी वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाना चाहिए।
- वर्तमान में त्रुटिपूर्ण डी.पी.ओ. को “गैर-अनुपालन” के रूप में चिह्नित करने का प्रावधान पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप प्रसारक नए आर.आई.ओ. समझौते निष्पादित नहीं करेंगे।
- ऑडिट का समयबद्ध समापन डी.पी.ओ. के परिसरों में ऑडिट के दौरान डी.पी.ओ. विक्रेताओं की सक्रिय भागीदारी एवं सहयोग पर निर्भर करता है। अतः प्राधिकरण सभी डी.पी.ओ. के एस.एम.एस., सी.ए.एस. तथा एस.टी.बी. विक्रेताओं को निर्देश दे सकता है कि वे ऑडिट के दौरान पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करें,

भले ही पक्षकारों के बीच कोई मौजूदा वाणिज्यिक संबंध न हों, क्योंकि तैनात प्रणालियाँ विनियमों के दायरे में आती हैं और विक्रेताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

33. मसौदा विनियम 2025 तैयार करते समय हितधारकों की टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया। इस व्याख्यात्मक जापन के विभिन्न अनुभागों में मसौदा विनियम पर हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिनमें ऑडिट के लिए समय-सीमाओं एवं प्रक्रिया का निर्धारण, ऑडिट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, तथा डिफॉल्टर डी.पी.ओ. के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई जैसे विषय सम्मिलित हैं।
34. परामर्श पत्र पर प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों, प्रत्युत्तर टिप्पणियों तथा ओ.एच.डी. के दौरान प्राप्त सुझावों का विश्लेषण करने के पश्चात, प्राधिकरण ने हितधारकों से आगे के इनपुट प्राप्त करने के उद्देश्य से 22 सितंबर 2025 को मसौदा विनियम 2025 जारी किए। मसौदा विनियमों का मुख्य भाग निम्नानुसार है:—

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (इसके बाद “मूल विनियम” कहा जाएगा) के विनियमन 15 में,—

(क) उप-विनियमन (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1) टेलीविज़न चैनलों का प्रत्येक वितरक को अपने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के एड्रसेबल सिस्टम्स जिनमें सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एस.एम.एस.), कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सी.ए.एस.), डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट सिस्टम (डी.आर.एम.) तथा अन्य संबंधित सिस्टम्स सम्मिलित हैं, का प्रतिवर्ष एक बार, किसी ऑडिटर से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए, ऑडिट कराना होगा, ताकि वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों में निहित सूचना का सत्यापन किया जा सके और वितरक यह सुनिश्चित करने हेतु अग्रिम रूप से सभी आवश्यक उपाय करेगा कि पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक उन प्रसारकों के साथ साझा करे जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है।

बशर्ते कि प्राधिकरण इस प्रकार के ऑडिट के उद्देश्य के लिए ऑडिटर्स का पैनल बना सकता है और प्रत्येक टेलीविज़न चैनल के वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह इस उप-विनियम के अंतर्गत मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा ऐसे पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटर से ऑडिट कराए।

बशर्ते यह कि वितरक उस प्रसारक को, जिसके साथ उसका इंटरकनेक्शन अनुबंध हुआ है, ऑडिट का शेड्यूल और ऑडिटर का नाम कम से कम तीस दिन पूर्व सूचित करेगा।

बशर्ते यह भी कि प्रसारक ऑडिट में सम्मिलित होने के लिए एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है और जो ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु प्रसारक के इनपुट को साझा कर सकता है और वितरक ऐसे प्रतिनिधि को ऑडिट में उपस्थित रहने की अनुमति देगा।

स्पष्टीकरण : संदेह निवारण हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति केवल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए सुझाव साझा करने, यदि कोई हो तो, के सीमित उद्देश्य के लिए है और यह उसे ऑडिट के संचालन को किसी भी प्रकार से निर्देशित या प्रभावित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है।

बशर्ते यह भी कि उन टेलीविज़न चैनलों के वितरकों के लिए, जिनके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन, सक्रिय ग्राहकों की संख्या तीस हजार से अधिक नहीं है, उनके लिए इस विनियम के अंतर्गत ऑडिट कराना वैकल्पिक होगा।

बशर्ते यह भी कि पैनल में शामिल कोई भी ऑडिटर अथवा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, जो एड्रसेबल सिस्टम्स का ऑडिट कर रहा है, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा जिसमें पुष्टि की जाएगी कि ऑडिटर ऑडिट की गई इकाई (ऑडिटी) से स्वतंत्र है और ऑडिट विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया गया है, और ऑडिटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह भी कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, जिस वित्तीय वर्ष का ऑडिट किया जा रहा है, उससे पूर्व का कोई भी अनऑडिटेड अवधि यदि हो, तो उसे भी ऑडिट में सम्मिलित किया जाएगा।

(ख) उप-विनियमन (1A) में, “कैलेंडर” शब्द के स्थान पर “वित्तीय” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

उप-विनियमन (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(2) (क) यदि किसी प्रसारक को उप-विनियमन (1) के अंतर्गत 30 सितंबर की नियत तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो हुआ है और वह ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में कोई विसंगति पाता है, तो वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, ऑडिट रिपोर्ट के विरुद्ध साक्ष्यों सहित विशिष्ट टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, उस टेलीविज़न चैनल के वितरक को, जिससे ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, लिखित रूप में अवगत करा सकता है तथा साक्ष्यों सहित टिप्पणियों की एक प्रति संबंधित ऑडिटर को भी प्रदान कर सकता है:

बशर्ते कि वितरक, प्रसारक से टिप्पणियाँ प्राप्त होने पर, उनकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर, उन टिप्पणियों की जाँच एवं निवारण हेतु संबंधित ऑडिटर को प्रेषित करेगा और ऑडिटर, प्रसारक की टिप्पणियों का निवारण करेगा और तीस दिनों की अवधि के भीतर वितरक को अपनी अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा, जिसे वितरक उसकी प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के भीतर प्रसारक को अयोचित करेगा।

बशर्ते यह कि, यदि प्रसारक यह पाता है कि उसकी टिप्पणियों का पूर्णतः निराकरण नहीं किया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर, साक्ष्यों सहित अपनी विशिष्ट टिप्पणियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा वहन की जाने वाली फीस एवं लागत पर, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, मामले की गुण-दोष के आधार पर जाँच करेगा और, यदि आवश्यक पाया जाए, तो प्रसारक द्वारा इंगित विसंगतियों का पता लगाने हेतु, प्रसारक की लागत पर विशेष ऑडिट कराने की अनुमति दे सकता है:

बशर्ते यह कि प्रसारक द्वारा कराए जाने वाले विशेष ऑडिट के मामले में, प्रसारक मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स में से तीन ऑडिटर्स के नाम वितरक को उपलब्ध कराएगा और वितरक पंद्रह दिनों के भीतर विशेष ऑडिट हेतु एक ऑडिटर का चयन करेगा; ऐसा न करने की स्थिति में, प्रसारक ऑडिटर के चयन के लिए प्राधिकरण से संपर्क करेगा।”

(2) (ख) यदि किसी प्रसारक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होती है,—

- (i) अगर कोई टेलीविजन चैनल का वितरक, उप-विनियमन (1) के अंतर्गत, पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट उस वर्ष के 30 सितंबर तक जिस साल ऑडिट होना था उन प्रसारकों के साथ शेयर करने में विफल रहता है, जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध किए हैं, वहाँ वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, प्रसारकों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से, ऐसे टेलीविजन चैनल वितरक की एड्रसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारक की लागत पर, करवाने की अनुमति होगी।
- (ii) जहाँ उप-विनियमन (1) के अंतर्गत ऑडिट वैकल्पिक है, वहाँ वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, प्रसारकों को संयुक्त रूप से अथवा पृथक-पृथक रूप से, एड्रसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारकों की लागत पर, करवाने की अनुमति होगी।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि इन प्रावधानों के अंतर्गत यदि किसी प्रसारक द्वारा ऑडिट कराया जाता है, तो ऐसा ऑडिट किसी एक वर्ष में केवल एक बार ही कराया जाएगा और वह उस वर्ष के 30 सितंबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा।”

(2) (ग) यदि उप-विनियमन (1) या उप-विनियमन (2)(क) या उप-विनियमन (2)(ख) के अंतर्गत किए गए किसी ऑडिट से यह प्रकट होता है कि—

- (क) अगर सब्सक्राइबर की संख्या में कोई विसंगति है, तो ऐसी विसंगति का निपटारा प्रसारक और वितरक के बीच संपन्न इंटरकनेक्शन अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है;

(ख) यदि वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रसेबल सिस्टम, अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो प्रसारक को यह अनुमति होगी कि वह वितरक को तीन सप्ताह का लिखित नोटिस देकर टेलीविज़न चैनलों के सिग्नल को डिस्कनेक्ट कर सकता है।”

3. मूल विनियमों की अनुसूची III में,—

(क) आइटम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित आइटम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ख) शेड्यूलिंग: विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उक्त विनियमन में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार शेड्यूल किया जाएगा।”;

(ख) आइटम (ड) के पश्चात, निम्नलिखित आइटम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(घ) इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले: -

1. एस.एम.एस. और सी.ए.एस. में सभी आवश्यकताओं को इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./सी.ए.एस. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और सी.ए.एस. के बीच इन्टिटी वाइज मिलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ एनकोडर छोर पर वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो डालने की जरूरत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी./मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।”

4. मूल विनियमों की अनुसूची X में, -

(क) आइटम (ख) के स्थान पर निम्नलिखित आइटम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ख) शेड्यूलिंग: विनियमन 15 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उसी विनियम में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।”;

(ख) आइटम (च) के बाद, निम्नलिखित आइटम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(छ) इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के मामले -

1. एस.एम.एस. और डी.आर.एम. में सभी आवश्यकताओं को इस अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्येक वितरक के लिए पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा किए जा रहे एस.एम.एस./ डी.आर.एम. का उपयोग करने वाले प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए और दो या अधिक वितरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पृथक किया जाना चाहिए कि एस.एम.एस. और डी.आर.एम. के बीच इन्टिटी वाइज मिलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के लिए सिर्फ एनकोडर छोर पर वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो डालने की जरूरत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर सीकर नेटवर्क लोगो एस.टी.बी.।मिडलवेयर के माध्यम से उपलब्ध कराएगा। तथापि, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तथा लास्ट माईल वितरक, इन दोनों के लोगो ही दिखाई देने चाहिए।”

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

35. मसौदे विनियम 2025 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से विभिन्न प्रकार के विचार प्राप्त हुए, जिनका सारांश निम्नानुसार है:

- प्राधिकरण द्वारा टुकड़ों में संशोधन प्रस्तुत करने का दृष्टिकोण वर्ष 2024 के परामर्श पत्र से मेल नहीं खाता है, जिसमें इन तीनों पहलुओं, ऑडिट विनियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग तथा ऑडिट मैनुअल को परस्पर आश्रित एवं अंतर-संबंधित मुद्दों के रूप में देखा गया था। वर्तमान परामर्शी प्रक्रिया में ऑडिट विनियमों, ऑडिट मैनुअल तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के विषयों को पृथक-पृथक कर दिया गया है जिससे हितधारकों के लिए प्रस्तावों के समग्र प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं हो पाता।
- वर्तमान मसौदा संशोधन को वापस ले लिया जाए तथा संपूर्ण कार्रवाई को आगामी प्रसारण विनियामक ढांचे की समग्र समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से संबंधित मुद्दों का समुचित विश्लेषण नहीं किया गया है तथा मसौदा संशोधन का व्याख्यात्मक ज्ञापन ऑडिट मैनुअल में आवश्यक एवं महत्वपूर्ण संशोधनों को किसी अनिर्दिष्ट भविष्य की तिथि तक स्थगित कर देता है।
- 25 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक के दौरान, भादूविप्रा द्वारा इस कार्रवाई को स्थगित कर इसे प्रसारण विनियामक ढांचे की समग्र समीक्षा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर उद्योग ने दोहरावपूर्ण एवं असंबद्ध हस्तक्षेपों से बचने के उद्देश्य से सहमति व्यक्त की थी।
- भादूविप्रा अधिनियम, 1997 में भादूविप्रा की भूमिका को एक विनियामक (विधायी कार्य) तथा माननीय टीडीसैट की भूमिका को एक निर्णायक निकाय (न्यायिक कार्य) के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। मामलों को गुण-दोष के आधार पर तय करने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखकर, भादूविप्रा अपने विधायी अधिकार-क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न्यायिक भूमिका ग्रहण कर रहा है।
- मसौदा सेवा प्रदाताओं के माननीय टीडीसैट के समक्ष जाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है तथा अधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में अतिक्रमण कर ज्यूरिस्टिक्शनल विसंगतियां उत्पन्न करता है।
- हितधारकों को मसौदा संशोधन पर अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए केवल 15 दिन (एक सप्ताह के अतिरिक्त विस्तार सहित) का समय प्रदान किया गया तथा जवाबी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

- मसौदा विनियम 2025 में ऑडिट प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग मैकेनिज्म तथा डेटा प्रबंधन दायित्वों से संबंधित महत्वपूर्ण परिचालन परिवर्तनों का प्रस्ताव किया गया है। अतः सभी हितधारकों को अपने सिस्टम, प्रक्रियाओं तथा अनुबंधीय ढांचे को तदनुसार एलाइन करने हेतु संशोधित विनियम की अधिसूचना की तिथि से कम से कम एक वर्ष की अवधि प्रदान की जानी चाहिए।

विश्लेषण

36. इस खंड में, मसौदा विनियम 2025 पर प्राप्त सामान्य टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है, इसके पश्चात् विशिष्ट विनियमों से संबंधित टिप्पणियों का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
37. परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त सुझावों में से एक यह था कि मसौदा विनियम 2025 को वापस ले लिया जाए तथा संपूर्ण प्रक्रिया को प्रसारण क्षेत्र के विनियामक ढांचे की आगामी समग्र समीक्षा में सम्मिलित कर दिया जाए। इस सुझाव की समीक्षा की गई और यह पाया गया कि ऑडिट से संबंधित विनियमों तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाओं के डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम्स ऑडिट मैनुअल दिनांक 8 नवंबर 2019 (इसके बाद “ऑडिट मैनुअल” कहा जाएगा) में संशोधन से संबंधित परामर्श अगस्त 2024 में एक स्व-निहित परामर्श पत्र के माध्यम से पहले ही संपन्न किया जा चुका है तथा हितधारकों से टिप्पणियाँ, प्रत्युत्तर टिप्पणियाँ तथा ओ.एच.डी. के माध्यम से विस्तृत प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं, इसलिए यह उपयुक्त माना गया है कि इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए। उन विनियमों की समीक्षा एवं परिणामी संशोधनों, जिनके संबंध में परामर्श प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो चुकी है, को ऐसे भविष्यगत विनियामक प्रावधानों की समीक्षा के लिए स्थगित करना, जिनके लिए अभी परामर्श पत्र भी जारी नहीं किया गया है, अनावश्यक विलंब को जन्म देगा। यह विलंब उन अत्यावश्यक संशोधनों को प्रभावित करेगा, जो हितधारकों के अनुरोधों तथा ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने की तत्काल आवश्यकता पर आधारित हैं। अतः प्राधिकरण का यह मत है कि ऑडिट से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधनों को और अधिक स्थगित किए जाने की आवश्यकता नहीं है तथा इन्हें यथाशीघ्र जारी किया जाना उपयुक्त होगा।
38. ऑडिट विनियमों, ऑडिट मैनुअल तथा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से संबंधित तीनों परस्पर संबद्ध मुद्दों को कथित रूप से अलग-अलग किए जाने तथा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से जुड़े विषयों के विश्लेषण न किए जाने संबंधी टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि परामर्श पत्र में हितधारकों की टिप्पणियों और विश्लेषण के लिए इन तीन मुद्दों पर विचार किया गया था। यह भी उल्लेखनीय है कि एमआईबी की इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की अनुमति प्रदान करने वाले दिशानिर्देश पहले से ही मौजूद हैं। एमआईबी द्वारा एचआईटीएस, एमएसओ तथा डीटीएच के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग संबंधी दिशानिर्देश क्रमशः नवंबर 2020, दिसंबर 2021 और सितंबर 2022 में जारी किए गए थे, जो कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 तथा ऑडिट मैनुअल के जारी होने के बाद के हैं। अतः यह आवश्यक एवं उपयुक्त है कि इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के उन प्रावधानों की पहचान की जाए तथा उनमें आवश्यक संशोधन किए जाएँ, जो सेवा प्रदाताओं के मध्य इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को प्रभावित कर सकते हैं, तथा उनसे संबंधित प्रावधानों को ऑडिट मैनुअल में भी समुचित रूप से समाहित किया जाए। ऑडिट मैनुअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह ऑडिटों द्वारा ऑडिट के संचालन हेतु एक मार्गदर्शन दस्तावेज़ है और यह प्रचलित विनियमों के किसी भी प्रावधान का अतिक्रमण या प्रतिस्थापन नहीं करता है। इसलिए, वर्तमान कार्रवाई का उद्देश्य केवल विनियमों में आवश्यक संशोधन करना तथा, तदनुसार, ऑडिट मैनुअल में अपेक्षित परिवर्तनों को सम्मिलित करना है। ऑडिट मैनुअल में आवश्यक संशोधनों के संबंध में परामर्श पत्र दिनांक 9 अगस्त 2024 के माध्यम से परामर्श पहले ही

किया जा चुका है। ऑडिट मैनुअल में किए जाने वाले संशोधनों से संबंधित निर्णय, ऑडिट विनियमों में किए गए संशोधनों पर आधारित होंगे। प्राधिकरण का यह विचार है कि सातवें संशोधन विनियमों के अधिसूचित होने के पश्चात्, हितधारकों की टिप्पणियों पर विधिवत विचार करते हुए, अपडेटेड विनियामक ढांचे के अनुरूप ऑडिट मैनुअल को एलाइन कर जारी किया जा सकता है।

39. भादूविप्रा में 25 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक प्रसारकों (अर्थात् हितधारकों के एक वर्ग) के अनुरोध पर आयोजित की गई थी, जिसमें उनके विचार सुने गए। यह बैठक किसी भी प्रकार से औपचारिक परामर्श प्रक्रिया का विकल्प नहीं थी। जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विश्लेषित किया गया है, प्राधिकरण यह उपयुक्त मानता है कि वर्तमान परामर्श प्रक्रिया, जो लंबित विनियामक मुद्दों के समाधान हेतु आरंभ की गई थी और जिसकी मांग विभिन्न हितधारकों द्वारा की गई थी, को समयबद्ध रूप से निष्कर्ष तक पहुँचाया जाए, विशेषकर तब जब इस संबंध में एक सुव्यवस्थित एवं विस्तृत परामर्श प्रक्रिया पहले ही पूर्ण की जा चुकी है।
40. भादूविप्रा द्वारा अपने विधायी अधिदेश का कथित अतिक्रमण किए जाने तथा न्यायिक भूमिका ग्रहण किए जाने संबंधी टिप्पणियों के संदर्भ में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इस कार्रवाई में प्राधिकरण का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, उसकी दक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना तथा ऑडिटर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण का किसी भी स्तर पर सेवा प्रदाताओं के मध्य विवादों के निस्तारण में संलग्न होने का न तो कोई प्रयास है और न ही कोई अभिप्राय। भादूविप्रा एक सुव्यवस्थित ऑडिट तंत्र स्थापित किए जाने प्रयास कर रहा है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था में ऑडिट का अनावश्यक दोहराव देखने को मिला है। वित्तीय खातों के संदर्भ में, प्रत्येक व्यावसायिक इकाई का वर्ष में एक बार ऑडिट किया जाता है, जिस पर ऑडिट प्रक्रिया की विश्वसनीयता एवं ऑडिटर्स की जवाबदेही सुनिश्चित होने के कारण भरोसा किया जाता है। इसी प्रकार, ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ बना कर और ऑडिटर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए, अब यह परिकल्पित किया गया है कि डीएस ऑडिट भी सामान्यतः एक बार ही किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से आवश्यक विनियामक प्रावधान किए गए हैं, ताकि दूसरा ऑडिट केवल एक नियमित कार्रवाई के रूप में न कराया जाए, बल्कि तभी कराया जाए जब पहले ऑडिट में किसी वास्तविक कमी या त्रुटि के साक्ष्य-आधारित कारण विद्यमान हों। यह व्यवस्था (जो भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल किए गए ऑडिटर होते हैं और जिन्हें भादूविप्रा के विनियमों के अनुरूप, भादूविप्रा के ऑडिट मैनुअल को मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हुए ऑडिट करना अपेक्षित है) मूल ऑडिट करने वाले ऑडिटर्स के प्रदर्शन से संबंधित है। किसी भी चरण पर भादूविप्रा द्वारा दो सेवा प्रदाताओं के मध्य किसी विवाद का निस्तारण करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। अतः भादूविप्रा द्वारा अपने विनियामक अधिदेश से परे जाने अथवा माननीय टीडीसैट की भूमिका में प्रवेश करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। इस प्रकार, सातवें संशोधन विनियम को विशेष रूप से समग्र ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावकारिता बढ़ाने, अनावश्यक पुनरावृत्ति को कम करने तथा ऑडिटर्स की जवाबदेही सुदृढ़ करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
41. परामर्श प्रक्रिया में अपर्याप्त समय प्रदान किए जाने संबंधी टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण ने 9 अगस्त 2024 को 'दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 तथा दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम ऑडिट मैनुअल' के ऑडिट से संबंधित प्रावधानों पर हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु एक परामर्श पत्र जारी किया था। इस परामर्श पत्र पर हितधारकों से 6 सितंबर 2024 तक टिप्पणियाँ तथा, यदि कोई हों, तो 20 सितंबर 2024 तक प्रत्युत्तर-टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई थीं। हितधारकों से प्राप्त सभी टिप्पणियाँ एवं प्रत्युत्तर-टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट पर

सार्वजनिक की गई। इसके पश्चात 5 दिसंबर 2024 को एक ओपन हाउस चर्चा आयोजित की गई। इसके उपरांत, भादूविप्रा द्वारा 22 सितंबर 2025 को मसौदा विनियम जारी किया गया तथा हितधारकों से 6 अक्टूबर 2025 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की गईं। हितधारकों के अनुरोध पर, लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अक्टूबर 2025 कर दी गई। मसौदा विनियम पर प्राप्त सभी टिप्पणियाँ भी भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गईं। उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि प्राधिकरण द्वारा परामर्श प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में हितधारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय प्रदान किया गया है।

42. संशोधित संशोधन की अधिसूचना की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि प्रदान किए जाने संबंधी टिप्पणी के संदर्भ में यह उल्लेख किया जाता है कि इन संशोधनों के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है, जो सभी हितधारकों को सातवें संशोधन विनियमों के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त समय प्रदान करती है। इन संशोधनों के कार्यान्वयन के लिए ऐसे किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए अनुरोध किए गए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि अपेक्षित हो, अतः उक्त मांग को उचित नहीं माना जाता है।

विनियमन 15 (1) –डीपीओ द्वारा अनिवार्य वार्षिक ऑडिट के संबंध में

43. मसौदा विनियम 2025 के विनियमन 15 (1) में यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक डीपीओ अपने एड्रेसेबल सिस्टम का प्रत्येक वर्ष ऑडिट करवाएगा।

मसौदा विनियम, 2025 के पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

44. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विचारों का व्यापक सारांश निम्नानुसार है—

- यह प्रावधान उपभोक्ता संरक्षण, पारदर्शिता, विश्वास तथा विनियामक निगरानी की दृष्टि से आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टें सही हों, अधिक शुल्क वसूली अथवा कम रिपोर्टिंग को रोका जा सके तथा तृतीय-पक्ष सत्यापन और पैनल में सम्मिलित ऑडिटर्स की व्यवस्था को संस्थागत रूप देकर सभी हितधारकों (प्रसारकों, वितरकों और उपभोक्ताओं सहित) के मध्य विश्वास सुदृढ़ हो। अनिवार्य रिपोर्टिंग की समय-सीमाएँ अनुपालन को बढ़ाती हैं और विवादों को कम करती हैं।
- वार्षिक ऑडिट ढांचे को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए, ताकि हार्डवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी परिवर्तन के अभाव में प्रत्येक वर्ष केवल सब्सक्रिप्शन-आधारित ऑडिट ही अनिवार्य किया जाए। एक बार किसी डीपीओ में अनुपालन ऑडिट विधिवत संपन्न हो जाने के पश्चात, और यदि अनुपालन ऑडिट के दौरान परखे गए हार्डवेयर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों जैसे हेडएंड, सीएस, एसएमएस, डीआरएम प्रणालियाँ, में कोई परिवर्तन न हुआ हो, तो प्रत्येक वर्ष सेम फूल स्कोप तकनीकी ऑडिट को दोहराने से कोई अतिरिक्त विनियामक उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।
- ऑडिट प्रत्येक पाँच से दस वर्षों में एक बार किया जाना चाहिए।
- मसौदा विनियम 2025 में संशोधन कर प्रसारकों को ऑडिट कराने का अबाधित अधिकार दिया जाए और विनियमन 15(1) के अंतर्गत डीपीओ द्वारा कराए जाने वाले ऑडिट को समाप्त किया जाए। इससे न केवल प्रसारकों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा, बल्कि ऑडिट शुल्क, विनियमन 15(1) से जुड़े दायित्वों तथा अनेक ऑडिटों से उत्पन्न कथित वित्तीय एवं प्रशासनिक बोझ को

समान रूप से समाप्त कर सभी डीपीओ के लिए एक समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण एवं व्यापार करने में सुगमता भी सुनिश्चित होगी।

- भादूविप्रा द्वारा यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि ऑडिट रिपोर्ट सभी अनुलग्नकों सहित प्रस्तुत की जाए और यदि अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो इसे ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत न किए जाने के रूप में माना जाए।
- विश्लेषण एवं कार्य-प्रयोग के लिए ऑडिट रिपोर्ट को सभी अनुलग्नकों सहित पठनीय पीडीएफ प्रारूप में साझा किया जाना अनिवार्य होना चाहिए।

विश्लेषण

45. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत टेलीविजन चैनलों के प्रत्येक वितरक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट कराना अनिवार्य है। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, किसी वितरक द्वारा इस दायित्व का पालन न किए जाने की स्थिति में वित्तीय हतोत्साहन लगाया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष दो लाख रुपये निर्धारित है। तथापि, इस प्रकार के निवारक प्रावधान के अस्तित्व तथा भादूविप्रा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद, यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में वितरक निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर ऑडिट कराने में अब भी डिफॉल्ट कर रहे हैं।
46. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के लागू होने से पूर्व, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) यह शिकायत करते रहे थे कि विभिन्न प्रसारकों द्वारा उनके सिस्टम के अनेक तकनीकी ऑडिट कराए जाने से कार्यों की पुनरावृत्ति होती है और कार्यभार में वृद्धि होती है। यदि किसी दिए गए कैलेंडर वर्ष में प्रत्येक प्रसारक किसी एड्रसेबल सिस्टम प्लेटफॉर्म का ऑडिट करता है, तो उसी सिस्टम का एक ही पैरामीटर्स पर कई बार ऑडिट हो सकता है। इस प्रकार की प्रथा के परिणामस्वरूप अनावश्यक व्यय होता था तथा प्रसारकों और वितरकों दोनों के सीमित संसाधनों पर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल और ऑपरेशनल बोझ पड़ता था।
47. डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स (डीपीओ) द्वारा तैनात तकनीकी प्रणालियों में विश्वास एवं भरोसा सुनिश्चित करने के लिए डीपीओ की सिस्टम्स का ऑडिट किया जाना आवश्यक है। ऐसे ऑडिट यह सुनिश्चित करने में सहायक होते हैं कि पूरे उद्योग में प्रयुक्त तकनीकी प्रणालियाँ निर्धारित विनियमों के अनुरूप मानकीकृत हों, तथा डीपीओ द्वारा प्रसारकों को प्रस्तुत की गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों के सत्यापन को सक्षम बनाते हैं। सब्सक्रिप्शन रिपोर्टों की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेवा प्रदाताओं के मध्य शुल्कों का निपटान इन्हीं रिपोर्टों पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, एड्रसेबल सिस्टम्स के ऑडिट की अनुमति दिया जाना संपूर्ण वैल्यू चेन में विश्वास निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। तदनुसार, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत डीपीओ की प्रणालियों के व्यापक वार्षिक ऑडिट हेतु एक मैकेनिज्म स्थापित किया गया था।
48. प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि यदि कोई डीपीओ अपनी सब्सक्रिप्शन नंबर के सत्यापन के उद्देश्य से अपने सिस्टम का ऑडिट कराकर उसकी रिपोर्ट संबंधित प्रसारकों को उपलब्ध कराता है, तो विभिन्न प्रसारकों द्वारा अलग-अलग समयावधियों में डीपीओ के अनेक ऑडिट कराए जाने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यह व्यवस्था प्रसारकों और डीपीओ दोनों पर कंप्लायंस से संबंधित बोझ को कम करेगी। सटीक सब्सक्रिप्शन रिपोर्टिंग निष्पक्ष एवं पारदर्शी राजस्व साझाकरण व्यवस्थाओं की आधारशिला है और इससे वाद-

विवाद एवं मुकदमेबाजी में कमी आएगी। सब्सक्रिप्शन घोषणाओं का परस्पर सत्यापन करने हेतु किसी विश्वसनीय मैकेनिज्म के अभाव में, विसंगतियों अथवा कम रिपोर्टिंग से उत्पन्न विवाद विश्वास को कमजोर कर सकते हैं और संविदात्मक निपटानों को प्रभावित कर सकते हैं।

49. वितरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई एमएसआर में निहित सूचनाओं के सत्यापन के लिए यह आवश्यक है कि वितरक अपने संपूर्ण एड्रसेबल सिस्टम का नियमित अंतराल पर ऑडिट कराए, न कि केवल सब्सक्रिप्शन आधारित ऑडिट तक सीमित रहे। ऑडिट ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में हुए बदलावों को वेरिफाई करने का एकमात्र तरीका है और इसकी पुष्टि सिर्फ पूरे ऑडिट से ही की जा सकती है। वार्षिक ऑडिट को उपयुक्त माना गया है, क्योंकि यह वित्तीय लेखांकन चक्र के अनुरूप होता है तथा वार्षिक आधार पर सब्सक्रिप्शन पैटर्न में हुए परिवर्तनों के सत्यापन को सक्षम बनाता है। यह व्यवस्था न केवल प्रसारकों के वाणिज्यिक हितों की रक्षा करेगी और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करेगी, बल्कि पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण प्रणाली में विश्वास भी सुदृढ़ करेगी। अतः टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा अपने सिस्टम का वार्षिक ऑडिट कराए जाने की अनिवार्यता को सातवें संशोधन विनियमों के अंतर्गत बनाए रखा गया है।
50. इसके अतिरिक्त, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि ऑडिट के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई भी भिन्नता, यदि वह बिल की गई राशि के शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत से कम हो, तो उसके आधार पर पहले से जारी एवं भुगतान किए गए चालानों में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक नहीं होगा। इस प्रावधान को मसौदा विनियम 2025 में हटा दिया गया था। हालांकि, स्टैकहोल्डर्स की टिप्पणियों की जांच करने के बाद यह सामने आया कि हितधारक आम तौर पर ऑडिट से संबंधित मुद्दों के समाधान में स्पष्टता चाहते हैं। तदनुसार, इस प्रावधान को सातवें संशोधन विनियम में बनाए रखा गया है। प्राधिकरण का मत है कि ऐसे नगण्य भिन्नताओं के लिए चालानों में संशोधन करना इन्फिसिएन्ट और कॉस्ट-इन्फेक्टिव होगा। इसलिए, जहां अंतर उपरोक्त सीमा से कम है, वहां पहले से जारी और भुगतान किए गए चालानों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

विनियमन 15 (1) – वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले वार्षिक ऑडिट के संबंध में

51. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्ताव किया गया है कि विनियमन 15(1) में प्रयुक्त शब्द “कैलेंडर वर्ष” को प्रतिस्थापित कर “वित्तीय वर्ष” किया जाए।

विनियम 2025 के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

52. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से विभिन्न विचार प्राप्त हुए। “कैलेंडर वर्ष” के आधार पर ऑडिट कराए जाने के वर्तमान प्रावधान को “वित्तीय वर्ष” से प्रतिस्थापित किए जाने के पक्ष में हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है—
 - यह परिवर्तन मानक लेखांकन पद्धतियों के अनुरूप है तथा अनुपालन को सरल बनाता है।
 - इससे स्थापित वित्तीय लेखांकन पद्धतियों के साथ एकरूपता सुनिश्चित होती है।
 - प्रस्तावित परिवर्तन ऑडिट निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाता है, वित्तीय मिलान में सुधार करता है तथा वैधानिक रिपोर्टिंग साईकिल के साथ अलाइन करता है।

- यह परिवर्तन प्रशासनिक बोझ एवं भ्रम को कम करता है तथा राजस्व, सब्सक्रिप्शन प्रवृत्तियों और कंज्यूमर प्राइसिंग में बदलाव को अधिक सुसंगत तरीके से निगरानी के लिए सक्षम बनाता है।

53. कैलेंडर वर्ष को जारी रखने के पक्ष में हितधारकों ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किए—

- वर्तमान कैलेंडर वर्ष आधारित ऑडिट साइकिल अधिकांश डीपीओ और प्रसारकों द्वारा अपनाई जा रही ऑपरेशनल समय-सीमाओं तथा रिपोर्टिंग प्रारूपों के अनुरूप है। निरंतरता, संसाधनों की दक्षता तथा परिचालन स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से ऑडिट अवधि के रूप में कैलेंडर वर्ष से संबंधित मौजूदा प्रावधान को बनाए रखा जा सकता है।
- कैलेंडर वर्ष के स्थान पर वित्तीय वर्ष को अपनाने से डीटीएच ऑपरेटरों के लिए गंभीर एवं अनावश्यक परिचालन व्यवधान उत्पन्न होंगे। उनकी सब्सक्राइबर बिलिंग, पैकेजिंग तथा वाणिज्यिक रिपोर्टिंग मूल रूप से कैलेंडर वर्ष (जनवरी-दिसंबर) साइकिल पर आधारित है, न कि वित्तीय वर्ष पर और ऑडिट अवधि में इस प्रकार का परिवर्तन उनके स्वामित्व वाले आईटी एवं डेटा प्रणालियों के महंगे तथा जटिल री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता उत्पन्न करता है तथा प्रशासनिक दबाव को भी बढ़ाता है, क्योंकि इस ऑडिट को अब अन्य प्रमुख वित्तीय एवं कर-संबंधी दाखिलों के साथ समानांतर रूप से शीघ्रता में पूरा करना पड़ता है, इससे त्रुटियों एवं नॉन-कम्प्लायंस का जोखिम बढ़ जाता है और पारदर्शिता में अपेक्षित लाभ अत्यंत सीमित होता है।

विश्लेषण

54. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम (डीएस) ऑडिट ढांचे को स्थापित वित्तीय ऑडिट ढांचे के साथ समन्वित करना है। यह अवलोकन किया गया है कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर किए जाने वाले ऑडिट, प्रसारकों की कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट के साथ सिंक्रनाइज़ नहीं होते हैं, जो वित्तीय वर्ष के आधार पर संरचित होती हैं। इसके अतिरिक्त, डीटीएच सब्सक्राइबर की बिलिंग निरंतर आधार पर की जाती है, न कि कैलेंडर वर्ष के आधार पर। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित परिवर्तन केवल ऑडिट की जाने वाली अवधि से संबंधित है, जिसके लिए ऊपर बताए गए संबंधित प्रोप्राइटी सिस्टम में किसी प्रकार के जटिल री-इंजीनियरिंग की आवश्यकता नहीं है।
55. वित्तीय वर्ष के आधार पर डीएस ऑडिट को अनिवार्य करने से प्रसारण ईकोसिस्टम में परिचालन एवं वाणिज्यिक अलाइनमेंट को बढ़ावा मिलेगा। यह संशोधन अगले वित्तीय वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2026-27 से तथा उसके बाद किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में लागू होगा, जिससे सभी हितधारकों को संशोधित विनियामक ढांचे के अनुरूप अपने ऑडिट स्ट्रैटेजी को पुनः समायोजित करने हेतु पर्याप्त समय प्राप्त होगा।
56. सेवा प्रदाताओं के बीच संविदात्मक समय-सारिणियों, वित्तीय रिपोर्टिंग दायित्वों तथा अनुपालन आवश्यकताओं के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, प्राधिकरण मौजूदा कैलेंडर वर्ष आधारित ऑडिट प्रावधान को वित्तीय वर्ष आधारित ऑडिट प्रावधान से प्रतिस्थापित करना उपयुक्त समझता है। तदनुसार, पूर्व वित्तीय वर्ष से संबंधित डीएस ऑडिट को वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के अनुरूप अलाइन किया जाना चाहिए।

विनियमन 15 (1) - डीपीओ द्वारा 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में

57. ऑडिट के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, मसौदे विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, डीपीओ द्वारा उन प्रसारकों के साथ प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक साझा किया जाए, जिनके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध किए हैं।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

58. इस प्रस्ताव के संबंध में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों का व्यापक सारांश निम्नानुसार है:

- अनिवार्य रिपोर्टिंग समयसीमा (30 सितंबर तक) अनुपालन को सुदृढ़ करती है और विवादों को कम करने में सहायक होती है।
- प्रस्तावित परिवर्तन से असहमत हितधारकों ने कहा कि मौजूदा 12 माह की समयसीमा को घटाकर केवल 6 माह करना उचित नहीं है। छह माह की अवधि व्यावहारिक रूप से अपर्याप्त है तथा इससे ऑडिट की गुणवत्ता और व्यापकता प्रभावित हो सकती है।
- एक सुझाव यह दिया कि अनुपालन की सत्यनिष्ठा से समझौता किए बिना, सटीक, त्रुटिरहित और उच्च-गुणवत्ता वाली रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयसीमा को बढ़ाकर अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक किया जाना चाहिए।
- चूंकि मसौदा संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, इसलिए उन्हें कैलेंडर वर्ष 2025 की अवधि के लिए 1 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक ऑडिट करने की एक बार की छूट दी जा सकती है, जिसके पश्चात वे मसौदा संशोधन के अनुसार अपने ऑडिट को वित्तीय वर्ष आधारित प्रणाली के साथ पूर्णतः अलाइन कर लेंगे।

विश्लेषण

59. मौजूदा विनियमों में टेलीविजन चैनलों के वितरकों द्वारा प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में केवल यह प्रावधान था कि वार्षिक ऑडिट इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि क्रमिक कैलेंडर वर्षों में किए गए दो लगातार ऑडिट के बीच न्यूनतम छह माह और अधिकतम अठारह माह का अंतराल हो। किसी निश्चित तिथि के अभाव के कारण पूरे इंडस्ट्री में ऑडिट समयबद्ध और समान रूप से नहीं किए जा रहे थे तथा प्रायः इन्हें वर्ष के अंत तक टाल दिया जाता था, जिससे समय पर अनुपालन और स्टैंडर्ड रिपोर्टिंग का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता था।
60. संपूर्ण इंडस्ट्री में ऑडिट के निर्धारण और ऑडिट रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए स्टैंडर्ड समय-सीमा स्थापित करने हेतु, संशोधित विनियम यह प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक डीपीओ, जिन प्रसारकों के साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट्स किए हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा। इसके अतिरिक्त, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट के प्रासंगिक अंशों को, सभी अनुलग्नकों सहित, संबंधित प्रसारकों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
61. ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए ऑडिट को समयबद्ध तरीके से पूरा करना और प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। तदनुसार, यह निर्धारित किया जाता है कि पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए

वितरक द्वारा ऑडिट किया जाएगा, और वित्तीय वर्ष की 30 सितंबर तक वितरक हर उस प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट देगा जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट किया है।

62. यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जिन वितरकों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, उनके संबंध में प्रसारकों को ऑडिट प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध हो। 30 सितंबर को समाप्त होने वाली छह माह की अवधि वित्तीय ऑडिट साइकिल के अनुरूप है और इसमें सम्मिलित कार्य के दायरे को ध्यान में रखते हुए ऑडिट की योजना बनाने तथा उसका निर्धारण करने के लिए एक उचित समय-सीमा मानी जाती है। एक निश्चित समय-सीमा के निर्धारण से वितरकों को अपने ऑडिट पूर्व नियोजन के साथ व्यवस्थित एवं निष्पादित करने में सुविधा प्राप्त होती है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया की गुणवत्ता, व्यापकता तथा अखंडता सुनिश्चित होती है।

विनियमन 15 (1) का पहला परंतुक – भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर अथवा बेसिल द्वारा ऑडिट के संबंध में

63. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अनुरूप, मसौदा विनियम 2025 में यह प्रावधान किया गया था कि भादूविप्रा, विनियमन 15 (1) के अंतर्गत ऑडिट के प्रयोजन हेतु ऑडिटर्स को पैनल में शामिल कर सकता है तथा प्रत्येक वितरक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपना ऑडिट मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड अथवा पैनल में शामिल ऐसे किसी भी ऑडिटर से कराए।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

64. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों का सारांश नीचे दिया गया है—
- विशिष्ट रूप से अधिकृत ऑडिटर के रूप में बेसिल अथवा भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स का पुनरुल्लेख अनावश्यक है। इंडस्ट्री पहले से ही वार्षिक ऑडिट के लिए केवल अधिकृत संस्थाओं को नियुक्त करने की आवश्यकता का अनुपालन करती है, और विशिष्ट संस्थानों अथवा श्रेणियों को अनिवार्य किए जाने से कोई अतिरिक्त विनियामक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, बल्कि समान रूप से सक्षम एवं मान्यता प्राप्त थर्ड-पार्टी ऑडिटर्स को शामिल करने में लचीलापन सीमित हो जाता है।
 - मसौदा विनियम 2025 में, बेसिल के संदर्भ तथा विनियमों में ऐसे सभी समान संदर्भों में संशोधन कर केवल “पैनल में शामिल ऑडिटर” (यानी, बेसिल का कोई विशेष ज़िक्र किए बिना) शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे समानता बनी रहे, किसी प्रकार के पक्षपात की धारणा उत्पन्न न हो, तथा बेसिल सहित सभी पैनल में शामिल ऑडिटर्स को समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें।

विश्लेषण

65. यह उल्लेखनीय है कि प्रमुख विनियमों में ऐसे स्पष्ट प्रावधान निहित हैं, जो प्राधिकरण द्वारा विधिवत पैनल में शामिल ऑडिटर्स अथवा बेसिल द्वारा ऑडिट करने की स्वीकृति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बेसिल, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज (CPSE) होने के नाते, वर्ष 2017 में वर्तमान रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लागू होने से पूर्व

भी वितरकों के सिस्टम्स के ऑडिट का कार्य करता रहा है तथा इस क्षेत्र में उसे पर्याप्त अनुभव एवं विशेषज्ञता प्राप्त है।

66. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुरूप, भादूविप्रा ने अनेक ऑडिटों को पैनल में शामिल किया है। विनियमों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से अपेक्षित वितरकों की तकनीकी प्रणालियों का ऑडिट केवल वित्तीय विशेषज्ञता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए उच्च स्तर की तकनीकी दक्षता भी आवश्यक है। अतः ऑडिट करने वाली इकाई में वित्तीय विशेषज्ञों के साथ-साथ ऐसे तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता भी होनी चाहिए, जो प्रसारण एवं वितरण इंडस्ट्री से भली-भांति परिचित हों तथा नेटवर्क, हेड-एंड, सब्सक्राइबर विवरणों का एसएमएस एवं सीएसएस में एकीकरण जैसे डीपीओ के तकनीकी सेट-अप को समझने में दक्ष हों, साथ ही उन्हें उपभोक्ता एवं सिस्टम लाईफ साईकिल का भी सम्यक ज्ञान हो।
67. इन संशोधनों के माध्यम से, प्राधिकरण ऑडिटों की जवाबदेही को बढ़ाना चाहती है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी दक्षता से संबंधित आवश्यकताओं तथा कड़े जवाबदेही प्रावधानों को अगस्त 2025 में भादूविप्रा द्वारा ऑडिटों के इम्पैनलमेंट हेतु जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) दस्तावेज़ में सम्मिलित किया गया है। कोई भी योग्य संस्था डीएस ऑडिटर के रूप में पैनल में शामिल होने हेतु आवेदन कर सकती है। प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि यह इम्पैनलमेंट फ्रेमवर्क योग्य संस्थाओं को सम्मिलित होने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि विनियामक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल वित्तीय एवं तकनीकी रूप से सक्षम ऑडिटों को ही नियुक्त किया जाए।
68. वर्तमान में, वितरकों और प्रसारकों के चयन के लिए बेसिल सहित पर्याप्त संख्या में ऑडिटर उपलब्ध हैं, जिससे चयन में फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, सातवें संशोधन विनियमों के तहत बेसिल को शामिल करने से अनुभवी, सक्षम और योग्य ऑडिटों की संख्या में वृद्धि होती है। चूंकि वितरकों और प्रसारकों को पैनल में शामिल किसी भी ऑडिटों को नियुक्त करने की स्वतंत्रता है, इसलिए बेसिल को शामिल करने से ऑडिटों के बीच समान प्रतिस्पर्धा में कोई असंतुलन नहीं आता है।

विनियमन 15 (1) दूसरा परंतुक – डीपीओ द्वारा प्रसारकों को ऑडिट शेड्यूल की अग्रिम सूचना देने के संबंध में

69. मसौदा विनियम 2025 में, यह अनिवार्य किया गया था कि वितरक अपने डीएस ऑडिट के शेड्यूल तथा ऑडिटर के नाम के संबंध में, जिन प्रसारकों के साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट किए हैं, उन्हें कम से कम तीस दिन पूर्व सूचना प्रदान करेगा।

विनियम 2025 के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

70. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:
 - प्रसारकों को ऑडिट कार्यक्रम की सूचना तीस दिनों के स्थान पर सात दिन पूर्व दी जानी चाहिए। ऑडिटर की नियुक्ति के पश्चात सामान्यतः ऑडिट सात दिनों के भीतर आरंभ हो जाता है; अतः यदि डीपीओ को तीस दिनों की अग्रिम सूचना देना अनिवार्य किया जाता है, तो उसे ऑडिट प्रारंभ करने के लिए अनावश्यक रूप से तीस दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी।

- यह प्रावधान ऑपरेशनल तथा गोपनीयता संबंधी दोनों प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न करता है। विशेष रूप से डीटीएच ऑपरेटरों के लिए ऑडिट की समय-सीमाएँ डेटा की उपलब्धता तथा सिस्टम की तत्परता पर निर्भर करती हैं और स्वभावतः गतिशील होती हैं; ऐसे में तीस दिनों की निश्चित अग्रिम सूचना अवधि निर्धारित किए जाने से आवश्यक परिचालन लचीलापन समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त, ऑडिटर की पहचान तथा ऑडिट शेड्यूल का खुलासा ऐसे प्रसारकों को करना, जो वाणिज्यिक दृष्टि से समकक्ष पक्ष हैं, ऑडिट की गोपनीयता एवं स्वतंत्रता से संबंधित संभावित जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

विश्लेषण

71. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि प्राधिकरण द्वारा 8 नवंबर 2019 को जारी मौजूदा ऑडिट मैनुअल में पहले से ही यह प्रावधान निहित है कि यदि ऑडिट, चाहे वह अनुपालन ऑडिट हो या सब्सक्रिप्शन ऑडिट, डीपीओ द्वारा कराया जाता है, तो ऑडिट के शेड्यूल की जानकारी तथा ऑडिट एजेंसी का विवरण, ऑडिट शुरू होने से कम से कम 30 दिन पूर्व संबंधित प्रसारकों के साथ साझा किया जाना अनिवार्य होगा। अतः ऑडिट मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, वितरकों को ऑडिट शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले, ऑडिट एजेंसी के विवरण सहित, ऑडिट के शेड्यूल/संचालन से संबंधित जानकारी प्रसारकों को उपलब्ध कराना पहले से ही आवश्यक है। वर्तमान प्रावधान केवल सातवें संशोधन विनियमों के माध्यम से इस पहले से विद्यमान आवश्यकता को विनियामक ढांचे में सम्मिलित करता है, जिससे उक्त दायित्व को विनियमों के अंतर्गत औपचारिक रूप प्रदान किया जा रहा है। ऑडिट के संदर्भ में किसी प्रकार की गोपनीयता संबंधी चुनौती नहीं है, क्योंकि ऑडिट किया गया डेटा प्रसारकों के प्रत्यक्ष उपयोग हेतु होता है और वही उन्हें उपलब्ध कराया जाता है।

विनियम 15 (1) तीसरा परंतुक – ऑडिट में भाग लेने हेतु प्रसारक द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने के संबंध में

72. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक ऑडिट में भाग लेने के लिए अपने एक प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, ताकि ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन के लिए प्रसारक के इनपुट साझा किए जा सकें, और टेलीविज़न चैनलों के वितरक ऐसे प्रतिनिधि को ऑडिट में उपस्थित रहने की अनुमति देगा। इसके अतिरिक्त, मसौदा विनियम 2025 में सम्मिलित स्पष्टीकरण के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति केवल ऑडिट प्रक्रिया के दौरान सत्यापन हेतु, यदि कोई हो, इनपुट साझा करने के सीमित उद्देश्य तक ही होगी, और इससे उसे किसी भी प्रकार से ऑडिट के संचालन को निर्देशित करने या उस पर प्रभाव डालने का कोई अधिकार नहीं देता है।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

73. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से भिन्न-भिन्न विचार प्राप्त हुए। इस प्रावधान के पक्ष में व्यक्त किए गए हितधारकों की टिप्पणियाँ, उनमें से कुछ की कुछ शर्तों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:
 - ऑडिट प्रक्रिया के दौरान प्रसारक की भागीदारी को शामिल करना (प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना) एक संतुलित कदम है, जो एक ओर ऑपरेशनल स्वतंत्रता बनाए रखता है और दूसरी ओर हितधारकों की सहभागिता का भी सम्मान करता है।

- सिंगल रिप्रेजेंटेटिव लिमिटेशन के प्रावधान के संबंध में कई प्रैक्टिकल और ऑपरेशनल चिंताएं व्यक्त की गई हैं, क्योंकि ऑडिट मैनुअल के बिंदु 18(बी)(5) के अंतर्गत, प्रसारक-प्रेरित ऑडिट की स्थिति में, किसी प्रसारक को ऑडिट कार्यवाही का अवलोकन करने हेतु दो प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी गई है, जबकि मसौदा संशोधन के अंतर्गत प्रसारक को ऑडिट में भाग लेने तथा इनपुट साझा करने के लिए केवल एक प्रतिनिधि नामित करने की अनुमति दी गई है। इस भिन्नता के पीछे का तर्क स्पष्ट नहीं है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि भादूविप्रा ने प्रसारक-प्रेरित ऑडिट और डीपीओ-प्रेरित ऑडिट के लिए अलग-अलग आवश्यकताएँ निर्धारित करने का विकल्प क्यों चुना है, विशेषकर तब, जब दोनों ही प्रक्रियाओं का उद्देश्य ऑडिट परिणामों में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है। ऑडिट की टेक्निकल और कमर्शियल प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारकों के कम से कम दो प्रतिनिधियों को ऑडिट पर चर्चा करने तथा उसका अवलोकन करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- पारदर्शिता के हित में, ऑडिट की डेली स्टेटस अपडेट को रिकॉर्ड किया जा सकता है।

74. जो हितधारक इस प्रावधान का विरोध कर रहे हैं कि प्रसारक ऑडिट में भाग लेने हेतु किसी प्रतिनिधि को नामित कर सकता है, उन्होंने मोटे तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

- इस प्रावधान को हटाया जाना चाहिए तथा प्रसारक की सहभागिता को केवल लिखित रूप में इनपुट प्रस्तुत करने तक सीमित किया जाना चाहिए। ऐसी भौतिक उपस्थिति अनावश्यक है, क्योंकि प्रसारक ऑडिट के प्रारंभ से पूर्व ई-मेल के माध्यम से अपने इनपुट प्रदान कर सकते हैं; जबकि अनेक प्रसारकों के प्रतिनिधियों को भौतिक रूप से उपस्थित होने की अनुमति देने से बड़े समूह (लगभग 15-20 व्यक्ति) डीपीओ परिसर में प्रवेश करेंगे, जिससे परिचालन में व्यवधान, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ तथा डेटा के लीक होने का जोखिम उत्पन्न होगा।
- ऑडिट का उद्देश्य भादूविप्रा द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स के माध्यम से संचालित एक स्वतंत्र थर्ड-पार्टी प्रक्रिया होना है, और प्रसारक प्रतिनिधियों की उपस्थिति इस प्रक्रिया की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता को कमजोर करती है। यद्यपि प्राधिकरण ने यह स्पष्ट किया है कि प्रसारक प्रतिनिधि ऑडिट प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तथापि व्यवहार में उनके द्वारा हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है, जो संपूर्ण ऑडिट प्रक्रिया को निश्चित रूप से बाधित कर सकती है।
- ऑडिट वितरकों के परिसरों में किए जाते हैं, जो उनके ऑपरेशन्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं तथा जिनमें अन्य ऐसी संवेदनशील सूचनाएँ होती हैं, जिन्हें ऑडिट प्रक्रिया के अंतर्गत साझा किया जाना आवश्यक नहीं है; किंतु प्रतिनिधियों की भौतिक उपस्थिति से वितरक की संवेदनशील सूचनाओं के लीक होने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- वितरक के लिए गोपनीयता सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि एक प्रसारक का प्रतिनिधि उस जानकारी से अवगत हो सकता है, जो किसी अन्य प्रसारक के प्रतिनिधि के साथ साझा की जा रही हो, और इससे वितरक की संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।
- प्रसारकों के प्रतिनिधियों को ऑडिटर्स के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें प्रतिनिधि ऑडिटर को प्रभावित करने, पक्षपात उत्पन्न करने या उस पर दबाव डालने का प्रयास करें, जिससे ऑडिट प्रक्रिया अप्रभावी हो सकती है।
- भादूविप्रा-अधिकृत स्वतंत्र ऑडिटर पहले से ही निष्पक्षता तथा अनुपालन के सत्यापन को सुनिश्चित करते हैं; ऐसे में प्रसारक प्रतिनिधियों की उपस्थिति न केवल अनावश्यक बल्कि दखलकारी भी है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया में विलंब हो सकता है और उसकी इंटीग्रिटी से समझौता होगा।

विश्लेषण

75. प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि ऑडिट के संचालन के दौरान प्रसारक के प्रतिनिधि की उपस्थिति से पारदर्शिता बढ़ेगी और ऑडिट प्रक्रिया की समग्र प्रभावशीलता सुदृढ़ होगी। ऐसी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि ऑडिट के दौरान प्रसारक की चिंताओं एवं मुद्दों पर विधिवत विचार किया जाए, जिससे ऑडिट के परिणामों में विश्वास उत्पन्न होता है और प्रसारक द्वारा फॉलो-अप ऑडिट कराए जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
76. प्रसारक प्रतिनिधियों की सहभागिता के संबंध में व्यक्त की गई आशंकाओं—जैसे कि ऑडिटों के साथ संचार के कारण ऑडिट पर अनुचित प्रभाव पड़ सकता है, अथवा उनकी उपस्थिति से परिचालन व्यवधान, गोपनीयता से संबंधित जोखिम या संभावित डेटा लीक हो सकता है—के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियमों के अंतर्गत प्रसारक प्रतिनिधियों की भूमिका को स्पष्ट रूप से केवल ऑडिट के दौरान सत्यापन प्रयोजनों के लिए, यदि कोई हो, इनपुट प्रदान करने तक ही सीमित रखा गया है। ऐसे प्रतिनिधियों को ऑडिट के संचालन को निर्देशित करने, उसमें हस्तक्षेप करने अथवा किसी भी प्रकार से उसे प्रभावित करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। इनपुट प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्रसारक-विशिष्ट सूचनाओं तक पहुँच को सीमित करने की व्यवस्था तथा ऑडिट स्थल पर प्रतिनिधियों की सहभागिता के दायरे से संबंधित प्रक्रियात्मक तौर-तरीके, स्थल-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप, ऑडिटर और टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा परस्पर सहमति से निर्धारित किए जाएंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान ऑडिट मैनुअल में पहले से ही यह प्रावधान विद्यमान है कि प्रसारकों द्वारा प्रारंभ किए गए ऑडिट के दौरान डीपीओ प्रसारक प्रतिनिधियों की भौतिक उपस्थिति की अनुमति प्रदान करेंगे।
77. प्रति प्रसारक दो प्रतिनिधियों को अनुमति दिए जाने के अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि ऑडिट के दौरान प्रसारक के हितों की रक्षा के लिए एक प्रतिनिधि की उपस्थिति पर्याप्त है। ऑडिट मैनुअल में दो प्रतिनिधियों को अनुमति देने वाले प्रावधानों के साथ की गई तुलना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रावधान केवल प्रसारक-प्रेरित सीमित ऑडिट से संबंधित हैं। इसके विपरीत, विनियमन 15(1) के अंतर्गत किए जाने वाले ऑडिट व्यापक प्रकृति के होते हैं और इनमें सभी प्रसारक सम्मिलित होते हैं। प्रसारक, यदि वे ऐसा उपयुक्त समझें, तो ऑडिट स्थल पर एक कॉमन स्वतंत्र प्रतिनिधि को भेजने के विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं।

विनियमन 15 (1) चौथा परंतुक – छोटे डीपीओ के लिए ऑडिट को वैकल्पिक बनाने के संबंध में

78. मसौदा विनियम 2025 में प्रस्तावित किया कि टेलीविजन चैनलों के उन वितरकों के लिए, जिनके एक्टिव सब्सक्राइबरों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तीस हजार से अधिक नहीं है, विनियमन 15 (1) के तहत ऑडिट करवाना ऑप्शनल होगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

79. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से विभिन्न विचार प्राप्त हुए। प्रावधान के समर्थन में किए गए विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- छोटे डीपीओ को अनिवार्य ऑडिट से व्यावहारिक छूट देना छोटे प्लेयर्स की ऑपरेशनल दिक्कतों को मानता है, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट के ज़रिए चेक बनाए रखता है, क्षेत्रीय या निश सेवा प्रदाता को दबाए बिना आनुपातिक अनुपालन को बढ़ावा देता है, और विनियामक फ्रेमवर्क में समावेशिता को बढ़ावा देता है।
- भादूविप्रा को मार्केट की गतिशीलता और टेक्नोलॉजिकल विकास को देखते हुए सब्सक्राइबर थ्रेशहोल्ड की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए।
- स्लैब या थ्रेशोल्ड-आधारित छूट का प्रावधान किया जाना चाहिए; 20000 से कम कनेक्शनों वाले एमएसओ को विनियमन 15 (1) तथा विनियमन 15 (2) के तहत अनिवार्य ऑडिट से छूट दी जा सकती है और वैकल्पिक रूप से, ऐसे एमएसओ को अनुपालन मैकेनिज्म के रूप में सेल्फ-सर्टिफिकेशन रिपोर्ट या सरलीकृत ऑडिट स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

80. इस प्रावधान का विरोध करने वाले हितधारकों ने निम्नलिखित प्रकार से टिप्पणियाँ कीं:

- सभी डीपीओ के लिए, उनके आकार की परवाह किए बिना, अनिवार्य वार्षिक ऑडिट जारी रहना चाहिए, क्योंकि छूट का दुरुपयोग होने की आशंका है, जिसके अंतर्गत बड़े एमएसओ अपने थ्रेशहोल्ड से नीचे आने के लिए अपने परिचालन को विभाजित कर सकते हैं।
- तीस हजार सब्सक्राइबरों वाले छोटे डीपीओ भी ₹3-5 करोड़ की सीमा में वार्षिक राजस्व उत्पन्न करते हैं और एकल वार्षिक ऑडिट (लगभग ₹75,000 से ₹1 लाख) की लागत उनके समग्र परिचालन की तुलना में बहुत कम है।
- विनियमन 15 (1) को लागू करने का मुख्य उद्देश्य अंडर-रिपोर्टिंग की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और उसकी रोकथाम करना था; ऐसे में इसे शिथिल करने से ये उद्देश्य कमजोर होंगे और विनियामक असमानता उत्पन्न होगी।
- आकार या फाइनेंशियल पैरामीटर्स के आधार पर अलग-अलग डीपीओ के लिए अलग-अलग नियम नहीं होने चाहिए और विनियामक फ्रेमवर्क सभी डीपीओ पर समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि छोटी संस्थाओं के पक्ष में किसी भी प्रकार की छूट केवल असमानता को बढ़ावा देगी, नॉन-कम्प्लायंस को प्रोत्साहित करेगी तथा इंडस्ट्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- पर्याप्त सुरक्षा उपायों को शामिल किए बिना छोटे डीपीओ के लिए ऑडिट से छूट अस्वीकार्य है; तथापि, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग संस्थाओं के मामले में सब्सक्राइबर बेस को एक साथ जोड़ने और सत्यापन के प्रयोजनों के लिए साप्ताहिक रॉ एसएमएस/सीएस डेटा को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त पर ऐसी छूट दी जा सकती है, तथा प्रसारकों को अपने विवेक से ऐसे छूट-प्राप्त डीपीओ का ऑडिट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

विश्लेषण

81. प्राधिकरण ने नोट किया है कि काफी कम सब्सक्राइबर बेस वाले डीपीओ ने, विभिन्न परामर्शों/ मीटिंग में, मैनपावर और वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण अपने सिस्टम का वार्षिक ऑडिट कराने में आने वाली कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है। परिचालन में खराब इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्कोप के कारण छोटे डीपीओ की इनपुट लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अतिरिक्त, सीमित टेक्निकल रिसोर्स और क्षमताओं के कारण, वार्षिक ऑडिट

के दौरान उन्हें कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएसएस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) विक्रेताओं से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ता है।

82. ऑडिट शुल्क वहन करने में असमर्थता के आधार पर ऑडिट आवश्यकताओं से छूट की मांग करते हुए कुछ छोटे डीपीओ से अतिरिक्त अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं। कई एमएसओ ने कम सब्सक्राइबर बेस के कारण ऑडिट शुल्क वहन करने में असमर्थता के मद्देनज़र, एमआईबी से ऑडिट की आवश्यकता से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया है।
83. सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एट्रिसेबल सिस्टम) के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 3), दिनांक 8 जुलाई 2024 में, प्राधिकरण ने 30000 से कम सब्सक्राइबर बेस वाले डीपीओ को छोटे डीपीओ के रूप में मान्यता दी थी और तदनुसार ऐसी संस्थाओं के लिए कुछ अनुपालन आवश्यकताओं को ऑप्शनल बनाया था, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, इंटरएक्टिव वॉयस रिसपांस सिस्टम (आईवीआरएस) को बनाए रखने, कंज्यूमर कॉर्नर और सब्सक्राइबर कॉर्नर के प्रावधानों के साथ एक डेडिकेटेड वेबसाइट होस्ट करने और एक मैनुअल ऑफ़ प्रैक्टिस प्रकाशित करने की बाध्यता शामिल थी।
84. यह मुद्दा कि इस प्रकार की छूट के परिणामस्वरूप अलग-अलग आकार के डीपीओ के बीच नॉन-यूनिफॉर्म विनियमन उत्पन्न हो सकता है या एमएसओ के विखंडन को बढ़ावा मिल सकता है, निराधार है। यह प्रावधान छोटे डीपीओ को ऑडिट आवश्यकताओं से पूर्णतः मुक्त नहीं करता है, बल्कि वार्षिक ऑडिट को ऑप्शनल बनाता है, साथ ही जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रसारकों को सब्सक्राइबर नंबर का सत्यापन करने के उद्देश्य से ऑडिट आरंभ करने के लिए सशक्त बनाता है। तथापि, सभी डीपीओ के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनकी टेक्निकल सिस्टम हर समय भादूविप्रा के विनियमों के अनुरूप हों तथा एमएसआर में प्रसारकों को रिपोर्ट की गई सब्सक्राइबर नंबर सही और सटीक हों।
85. प्राधिकरण वैकल्पिक एंटरटेनमेंट प्लेटफार्मों की ओर पलायन के कारण घटती सब्सक्राइबर संख्या से अवगत है, जो सीमित वित्तीय क्षमता, उच्च ऑपरेशनल लागत और कम इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल के कारण छोटे ऑपरेटरों को अनुपातहीन रूप से प्रभावित करती है। व्यापार करने में आसानी को और सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि तीस हजार से कम एक्टिव सब्सक्राइबरों वाले वितरकों के लिए वार्षिक ऑडिट की आवश्यकता को ऑप्शनल किया जा सकता है।
86. यह तर्क कि इन डीपीओ की आय ऑडिट की लागत वहन करने के लिए पर्याप्त है, को इन तथ्यों के संदर्भ में देखे जाना की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एमआईबी से 15 सितंबर 2025 को प्राप्त सीडिंग डेटा के अनुसार, लगभग 90% केबल सब्सक्राइबरों को उन एमएसओ द्वारा सर्विस दी जाती है, जिनके तीस हजार से अधिक सब्सक्राइबर हैं। इन एमएसओ के सिस्टम का अनिवार्य रूप से ऑडिट किया जा रहा है, जबकि शेष एमएसओ, जिनके पास तीस हजार तक सब्सक्राइबर हैं, को वैकल्पिक ऑडिट आवश्यकताओं के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें प्रसारकों को उनके सिस्टम का ऑडिट कराने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।
87. यह प्रावधान छोटे ऑपरेटरों पर अनुपालन के बोझ को कम करता है, जिनमें से अनेक ने संकेत दिया है कि ऑडिट से संबंधित व्यय उनके राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। साथ ही, यह उन ऑपरेटरों के लिए स्वैच्छिक ऑडिट कराने की सुविधा को बनाए रखता है, जो ऐसा करना चाहें, तथा जहाँ आवश्यक समझा जाए वहाँ प्रसारकों

को ऐसे डीपीओ के ऑडिट वार्षिक रूप से कराने में सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण छोटी कंपनियों के लिए अनुपालन लागत को कम करने के व्यापक विनियामक अभिप्राय के अनुरूप है, जैसा कि सेवा की गुणवत्ता और उपभोक्ता संरक्षण (एड्रेसेबल सिस्टम) के दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों (चौथा संशोधन) विनियम, 2024 (2024 का 3) में परिलक्षित होता है, जिसमें परिभाषित सब्सक्राइबर सीमा से नीचे के डीपीओ के लिए कुछ दायित्वों को ऑप्शनल बनाया गया था।

88. प्रयोज्यता निर्धारित करने के उद्देश्य से, पिछले वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत/लाइसेंस प्राप्त डीपीओ के सब्सक्राइबर बेस पर विचार किया जाएगा। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की गई है या जॉइंट वेंचर के मामले में, इन ऑडिट प्रावधानों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने वाले सभी पंजीकृत/अनुमति प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त डीपीओ के संयुक्त सब्सक्राइबर बेस को ध्यान में रखा जाएगा। तीस हजार सब्सक्राइबरों की सीमा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन होगी।

विनियमन 15 (1) पाँचवाँ परंतुक – ऑडिटर द्वारा ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के संबंध में

89. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि एड्रेसेबल सिस्टम का ऑडिट करने वाला पैनल में शामिल ऑडिटर, या मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, वितरक को ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह पुष्टि की जाएगी कि ऑडिटर ऑडिटी से स्वतंत्र है तथा ऑडिट विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है, और ऑडिटर ऐसी अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

90. प्रत्युत्तर में, प्राप्त एक अभ्यावेदन में यह सुझाव दिया गया कि:
- ऑडिटर्स को “ऐसी अन्य जानकारी या प्रमाणन, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की जा सकती है” प्रस्तुत करने के लिए अनिवार्य करना, बिना किसी निर्धारित सीमा या पूर्व सूचना आवश्यकताओं के ओपन-एंडेड अनुपालन के दायित्वों को जन्म देता है, जिसके परिणामस्वरूप ऑडिट सहभागिता के दायरे से बाहर अप्रत्याशित रिपोर्टिंग प्रारूप या अतिरिक्त सर्टिफिकेशन की मांग उत्पन्न हो सकती है, जिससे ऑडिटर और वितरक दोनों के लिए प्रशासनिक अनिश्चितता पैदा हो सकती है।
 - इसके अतिरिक्त, भादूप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर्स के साथ मेसर्स बेसिल को भी शामिल करने की पुनरावृत्ति, अनावश्यक रूप से क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के चुनाव को सीमित करती है, फ्लेक्सिबिलिटी को कम करती है, अतिरिक्त लागत वहन कराती है तथा किसी स्पष्ट विनियामक लाभ के बिना अनावश्यक समय-विलंब का कारण बन सकती है।

विश्लेषण

91. प्राधिकरण का सुविचारित मत है कि, वित्तीय ऑडिट को नियंत्रित करने वाली तय नियमों के अनुरूप, ऑडिटर्स से यह अपेक्षित है कि वे ऑडिट रिपोर्ट के साथ एक ऑडिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, जिसमें ऑडिटी से उनकी स्वतंत्रता की पुष्टि की जाए तथा लागू विनियामक प्रावधानों के अनुपालन की पुष्टि की जाए। ऐसे प्रमाणन का प्रारूप

प्राधिकरण द्वारा पृथक रूप से निर्धारित किया जा सकता है। ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में उत्पन्न हो सकने वाले अप्रत्याशित मुद्दों को संबोधित करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त जानकारी या प्रमाणन को ऑडिटर द्वारा प्रस्तुत किए जाने का प्रावधान भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया है, डीपीओ और प्रसारक, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स अथवा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) में से अपनी पसंद का ऑडिटर नियुक्त करने की स्वतंत्रता है।

विनियमन 15 (1) छठवां परंतुक – अनऑडिटेड अवधि को शामिल करने के संबंध में

92. मसौदा विनियम 2025 में प्रस्तावित किया गया है कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया जा रहा है, उससे पहले की अनऑडिटेड अवधि, यदि कोई हो, को भी ऑडिट में शामिल किया जाएगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

93. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:
- इस परंतुक को शामिल किए जाने का समर्थन किया गया, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित होता है कि कोई भी ऑपरेशनल अवधि ऑडिट निरीक्षण से बाहर न रहे। विनियमन में स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कैलेंडर वर्ष और वित्तीय वर्ष साइकिल के बीच की अनऑडिटेड ट्रांज़िशन अवधि को बाद के ऑडिट में निर्बाध रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए।
 - पूर्ववर्ती अनऑडिटेड अवधियों को ऑडिट के दायरे में शामिल किए जाने से वितरकों पर काफी ऑपरेशनल और रिसोर्स का बोझ पड़ता है। हिस्टोरिकल सिस्टम डेटा पुराने प्लेटफॉर्म अथवा आर्काइव्ड स्टोरेज पर उपलब्ध हो सकता है, जिससे उसे निकालना, मिलान करना और वेरिफाई करना अत्यधिक जटिल, समय-साध्य एवं संसाधन-गहन प्रक्रिया हो सकती है। विनियमों में पूर्व में रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट को अनिवार्य नहीं किया गया था; अतः इस प्रकार की आवश्यकता को वर्तमान में लागू करना विनियामक सिद्धांतों के प्रतिकूल पूर्वव्यापी प्रभाव उत्पन्न करेगा तथा इससे पूर्ववर्ती और वर्तमान वित्तीय वर्षों के मध्य डुप्लिकेट ऑडिट एवं इनकंसिस्टेंट रिपोर्टिंग का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

विश्लेषण

94. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, डीपीओ को कैलेंडर वर्ष 2025 तक अपने सिस्टम का ऑडिट करवाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक ऑडिट कवरेज प्राप्त हो और कोई भी परिचालन अवधि ऑडिट निरीक्षण से बाहर न रहे, विनियमन में उस वित्तीय वर्ष से पूर्व की किसी भी अनऑडिटेड अवधि को शामिल करने का प्रावधान करता है, जिसके लिए रिवाइज्ड फ्रेमवर्क के तहत पहला ऑडिट किया जा रहा है। इससे ट्रांज़िशन अवधि के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतराल को समाप्त किया जाएगा और निरंतर अनुपालन के लिए एक स्वच्छ आधार बेसलाइन स्थापित होगी। विनियमन के अंतर्गत मौजूदा डेटा संग्रहण अवधि से संबंधित आवश्यकताएं यह सुनिश्चित करती हैं कि उपर्युक्त अधिदेश के लिए डेटा की उपलब्धता बनी रहे तथा प्रावधानों के रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से संबंधित किसी भी आशंका का निराकरण हो। इसके अतिरिक्त, विनियमन पहले से ही यह स्पष्ट

करता है कि इन विनियमों के लागू के बाद पहले ऑडिट के मामले में, जिस वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट किया जा रहा है, उससे पूर्व की एक अनऑडिटेड अवधि, यदि कोई हो, को भी ऑडिट में शामिल किया जाएगा और वर्ष 2025 में पहले ही जिस किसी अतिव्यापी अवधि के लिए ऑडिट किया जा चुका है, उसे ऑडिट से बाहर रखा जाएगा।

प्रसारकों द्वारा विनियमन 15 (2) ऑडिट के संबंध में

95. मसौदा विनियम 2025 में 15 (2) (क), 15 (2) (ख) तथा 15 (2) (ग) से संबंधित प्रावधान हैं:

- “(2) (क) यदि किसी प्रसारक को उप-विनियमन (1) के तहत 30 सितंबर की नियत तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में विसंगति मिलती है...”
- “(2) (ख) यदि किसी प्रसारक को 30 सितंबर की नियत तिथि तक पूर्व वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है...”; और
- “(2) (ग) यदि उप-विनियमन (1) या उप-विनियमन (2) (क) या उप-विनियमन (2) (ख) के तहत किए गए ऑडिट से यह प्रकट होता है कि –

(क) सब्सक्राइबर नंबरों में कोई विसंगति है,... .. ;

(ख) वितरक द्वारा उपयोग किया जा रहा एड्रसेबल सिस्टम अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है,...”।

मसौदा विनियम 15 (2) पर हितधारकों की सामान्य टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

96. हितधारकों से प्राप्त विचारों का सारांश निम्न प्रकार से है:

- ऑडिट फ्रेमवर्क डीपीओ के एड्रसेबल सिस्टम के लिए एकल, भादूविप्रा-अनिवार्य वार्षिक ऑडिट (इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 (1) के अनुसार) पर आधारित होना चाहिए। प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट रूट (इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 (2) के अनुसार) को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह ऑडिट के प्रयासों की पुनरावृत्ति करता है, लागत बढ़ाता है और भादूविप्रा की ऑडिट व्यवस्था की अखंडता को कमजोर करता है।
- इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के विनियमन 15 (2) के तहत समानांतर प्रावधान उन प्रसारकों को समान समानांतर शक्ति प्रदान करता है जो बिज़नेस वैल्यू चेन में समान भागीदार हैं।
- प्रसारक प्रायः भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर्स द्वारा किए गए ऑडिट पर प्रश्न उठाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भादूविप्रा द्वारा स्थापित ऑडिट ढांचे की विश्वसनीयता कम होती है।
- प्रसारकों को दूसरा ऑडिट आरंभ करने के लिए प्रमाणित साक्ष्य (जैसे कि सब्सक्राइबर विसंगति 2% से अधिक होना) प्रस्तुत करना चाहिए, तथा किसी भी ऐसे ऑडिट को आरंभ करने से पूर्व प्रसारक को मूल ऑडिट रिपोर्ट के साथ संलग्न होना चाहिए और समाधान की पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की जानी चाहिए, ऐसे ऑडिट को प्रति प्रसारक प्रति डीपीओ प्रति वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक बार तक सीमित किया जाना चाहिए, डीपीओ को जबरदस्ती या ऑडिट ओवररीच से संरक्षण प्रदान करने के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण सिस्टम सुनिश्चित किया जाना चाहिए, तथा ऐसे ऑडिट के परिणाम भादूविप्रा और संबंधित डीपीओ के साथ साझा

- किए जाने चाहिए और एक पब्लिक ऑडिट लॉग में परिलक्षित किए जाने चाहिए। ये उपाय फालतू ऑडिट को कम करेंगे और उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए ऑडिट में अनुशासन सुनिश्चित करेंगे।
- प्रसारकों के लिए विसंगतियों को उठाने और स्पेशल ऑडिट की मांग करने का एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे एक मज़बूत सेफ़गार्ड है, क्योंकि यह वितरकों की जवाबदेही, साक्ष्य-आधारित कार्रवाई और भादूविप्रा की निगरानी को संतुलित करता है। भादूविप्रा इंडस्ट्री-वाइड लर्निंग और बेंचमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए बिना नाम वाले ऑडिट परिणामों और अनुपालन को प्रकाशित कर सकता है।
 - विनियमन 15 (2) में प्रस्तावित संशोधन प्रसारक के ऑडिट के अधिकार को मौलिक रूप से बदल देता है और विनियमन 15 (2) के तहत ऑडिट करने के मौजूदा प्रत्यक्ष अधिकार को रद्द कर देता है और इसे भादूविप्रा द्वारा मध्यस्थता वाली एक मुश्किल, बहु-स्तरीय “चुनौती” प्रक्रिया में बदल देता है। संशोधन प्रभावी रूप से अब तक के एक सीधे-सादे कमर्शियल अधिकार को नियामक-नियंत्रित मैकेनिज्म में बदल देता है जिससे वितरक की ऑडिट करने और प्रसारक द्वारा दी गई सब्सक्राइबर रिपोर्ट को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की आज़ादी सीमित हो जाती है।
 - मसौदा विनियम 2025 का व्याख्यात्मक ज़ापन इस बारे में कोई तर्क नहीं देता है कि भादूविप्रा-गेटकेप्ट प्रोसेस के साथ प्रत्यक्ष ऑडिट अधिकार को बदलना एक समाधान क्यों है और भादूविप्रा की प्रत्यक्ष भागीदारी से अनिवार्य रूप से बी2बी रेवेन्यू एश्योरेंस मैकेनिज्म में अतिरिक्त प्रक्रियात्मक जटिलता आती है।
 - नया प्रावधान ऑडिट-संबंधित विवादों के लिए सीधे माननीय टीडीसैट से संपर्क करने के प्रसारकों के अधिकारों को ओवरराईड करने का प्रयास करता है, और इसके बजाय, यह अनिवार्य करता है कि वे पहले डीपीओ के पास जाएं और उसके बाद भादूविप्रा के पास, जिसके पास अन्य बातों के साथ-साथ त्वरित और कुशल कार्रवाई के लिए न्यायिक शक्तियाँ और क्षमता का अभाव है।
 - सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डिजिआना प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2020 का बीपी नंबर 658) (“सोनी बनाम डिजिआना”) में माननीय टीडीसैट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रसारक के विनियमन 15 (2) के तहत ऑडिट करने के अधिकार के लिए प्रसारक को ऑडिट करने के अपने अधिकार के साथ आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए किसी कन्टेस्ट या कानूनी विवाद की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए। यह संशोधन इस स्थापित सिद्धांत का खंडन करता है, जिसमें एक प्रसारक को अपने राजस्व को सत्यापित करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए एक लंबे विवाद और अपील प्रक्रिया में मजबूर किया जाता है क्योंकि यह समस्याग्रस्त डीपीओ-जनित ऑडिट को बरकरार रखता है और ब्रॉडकास्टर के ऑडिट अधिकार को बहुत अधिक सीमित करता है, जिससे यह सशर्त और भादूविप्रा की मंजूरी के अधीन होता है।
 - इसलिए विनियमन 15 (2) के तहत सर्कमस्क्राइब्ड चुनौती ऑडिट और मैकेनिज्म प्रक्रियात्मक रूप से अव्यवहार्य है और प्रसारकों को उनके राजस्व को सत्यापित करने और उनकी कंटेन्ट की सुरक्षा करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित करता है और इसकी शुरुआत करने का कड़ा विरोध करता है और प्रसारक द्वारा शुरू किए गए ऑडिट को मान्यता देने और अनुमति देने का सुझाव देता है।

विश्लेषण

97. प्राधिकरण ने अनुपालन लागत को कम करने, समयबद्ध कार्यान्वयन करने तथा बार-बार होने वाले ऑडिट को केवल उचित आधारों तक सीमित करने के उद्देश्य से ऑडिट ढांचे को सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है। यह स्वीकार किया गया है कि दो ऑडिट-एक डीपीओ द्वारा और दूसरा प्रसारक द्वारा- कराए जाने से हितधारकों पर लागत का बोझ उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाता है। तदनुसार, उसी सिस्टम का दूसरा ऑडिट केवल वहीं किया जाना चाहिए, जहाँ इसके लिए न्यायसंगत आधार विद्यमान हों।

98. प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ऑडिट प्रणाली को मजबूत, कुशल, निष्पक्ष और न्यायसंगत बनाना है, साथ ही लागत को भी कम करना है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स या बेसिल में से डीपीओ द्वारा चयनित ऑडिटर, जो कि कठोर ग्रेडिंग और जवाबदेही मानदंडों के अधीन होते हैं, के द्वारा प्रसारक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया एकल ऑडिट, ऑडिट प्रक्रिया की मजबूती को सुनिश्चित करता है।
99. यह ढांचा यह अनिवार्य करता है कि डीपीओ निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करें, साथ ही प्रसारकों को यह लचीलापन प्रदान करता है कि वे ऑडिट रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों पर समयबद्ध तरीके से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें। केवल वहीं, जहाँ इस प्रकार की चरणबद्ध प्रक्रिया ऑडिटर के कार्य के संबंध में प्रसारक की चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है, यह ढांचा ऑडिट के संचालन में कथित अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों की जांच करने के लिए प्राधिकरण के हस्तक्षेप का प्रावधान करता है। ऐसी जांच के पश्चात, यदि प्राधिकरण को ऑडिट में अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों के संबंध में प्रसारक के तर्क में पर्याप्त आधार प्रतीत होता है, तो प्रसारक को डीपीओ के सिस्टम का आगे ऑडिट कराने की अनुमति दी जा सकती है।
100. इसके अतिरिक्त, चूँकि ऑडिट प्राधिकरण द्वारा पैनल में शामिल ऑडिटर्स के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए यह अनिवार्य है कि ऑडिटर निष्पक्ष, पारदर्शी तथा पेशेवर ढंग से ऑडिट करने के प्रति उत्तरदायी हों। इसे अगस्त 2025 में जारी ऑडिटर्स के पैनल के लिए संशोधित एक्सप्रेसन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) में सम्मिलित कठोर शर्तों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। संशोधित ढांचे के अंतर्गत, भादूप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर्स को उनके अनुभव के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, उन्हें प्राधिकरण के पैनल मानदंडों के अनुरूप होना आवश्यक है, तथा उनके लिए ऑडिट रिपोर्ट के साथ अपनी स्वतंत्रता और विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
101. ये संशोधन ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, अनावश्यक दोहराव को समाप्त करने तथा ऑडिट इकोसिस्टम की मजबूती को बढ़ाने के साथ-साथ हितधारकों की लागत को कम करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। स्थापित उद्योग प्रथा के अनुरूप, जहाँ एकल वार्षिक वित्तीय ऑडिट को मानक माना जाता है, सातवें संशोधन विनियम ऑडिट दक्षता में सुधार करने, दोहराव को न्यूनतम करने और ऑडिटर की जवाबदेही को सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं।
102. मौजूदा फ्रेमवर्क के विनियमन 15 (2) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, प्राधिकरण के संज्ञान में यह लाया गया है कि प्रसारक बिना वैध औचित्य अथवा प्रमाणित डेटा के, इस विनियमन के तहत ऑडिट करवाते हैं। और यह भी कि प्रसारक, पूरे वर्ष डीपीओ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर आपत्ति न उठाने के बावजूद, उन परिस्थितियों में वर्ष के अंत में ऑडिट आरंभ करने का प्रयास करते हैं जहाँ कमर्शियल शर्तें अनसुलझी रहती हैं, जिससे ऑडिट अनुरोधों का उपयोग डीपीओ पर दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जाता है।
103. यह भी रेखांकित किया गया कि ईकोसिस्टम में संतुलन लाने के लिए प्रसारकों को अनियंत्रित ऑडिट शक्तियां प्रदान करने के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि चूँकि प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य ऑडिट पैनल में शामिल ऑडिटर्स द्वारा किए जाते हैं, इसलिए ऐसे ऑडिट के निर्णय अंतिम होते हैं, जिससे प्रसारकों द्वारा शुरू किए गए ऑडिट अनावश्यक हो जाते हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि एक बार प्राधिकरण की शर्तों के अनुरूप ऑडिट किए जाने के पश्चात, प्रसारक द्वारा आरंभ किया गया कोई भी अतिरिक्त

ऑडिट, विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बावजूद, डीपीओ पर अनुचित वित्तीय और परिचालन बोझ डालता है। यह भी मत व्यक्त किया गया है कि प्रसारक-प्रेरित ऑडिट से डीपीओ-प्रेरित ऑडिट में पहले से सम्मिलित निष्कर्षों से परे कोई अतिरिक्त निष्कर्ष प्राप्त नहीं होते और यह वस्तुतः ऑडिट प्रक्रिया के दोहराव के समान होता है। टिप्पणियों में प्रसारकों को विशेष ऑडिट की मांग के लिए विसंगतियाँ उठाने हेतु एक स्ट्रक्चर्ड मार्ग उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया है।

104. प्राधिकरण का मत है कि एक ही सिस्टम का दूसरा ऑडिट तभी किया जाना चाहिए जब ऑडिट में कमियों/गड़बड़ियों के न्यायसंगत कारण हों, ताकि संसाधनों का बार-बार इस्तेमाल न हो, ऑडिट की विश्वसनीयता बनी रहे और समीक्षा प्रक्रिया की असाधारण प्रकृति सुरक्षित रहे। ऑडिट की अनुचित पुनरावृत्ति से संसाधनों की बर्बादी होती है, परिचालन में व्यवधान उत्पन्न होता है और ऑडिट प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास कम होता है। इसलिए, बाद के ऑडिट पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिए, जब यह प्रदर्शित किया जा सके कि ऑडिट में अपर्याप्तताओं या विसंगतियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे अनसुलझे हैं अथवा ऑडिटर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण असंतोषजनक हैं। यह दृष्टिकोण पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशल ऑडिट प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
105. प्रसारकों द्वारा पुनः ऑडिट की मांग करने के लिए प्रस्तुत आधारों की पर्याप्तता की जांच को सक्षम करने हेतु एक मैकेनिज्म स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में, ऑडिट रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना विवेकपूर्ण माना जाता है, जिसके अंतर्गत प्रसारक समयबद्ध तरीके से डीपीओ के माध्यम से मूल ऑडिटर से संपर्क कर सकता है। ऐसे मामलों में, जहाँ मूल ऑडिटर प्रसारक द्वारा उठाए गए मुद्दों को संतोषजनक रूप से हल करने या उनका उत्तर देने में विफल रहता है, प्रसारक पुनः ऑडिट के लिए आधारों के साथ भादूविप्रा से संपर्क कर सकता है। यह तंत्र वास्तविक मामलों में प्रसारकों के पुनः ऑडिट कराने के अधिकार को समाप्त नहीं करता है और न ही यह सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों के निपटारे में प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायनिर्णायक भूमिका के निर्वहन के इरादे को दर्शाता है; इसका उद्देश्य केवल प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। इसके अतिरिक्त, यह उन अनुचित पुनः-ऑडिट के उदाहरणों को भी समाप्त करता है, जिनका उपयोग कुछ मामलों में वाणिज्यिक लेन-देन के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में किया गया है। प्रसारक(कों) द्वारा कराया गया कोई भी ऑडिट, डीपीओ की तकनीकी सिस्टम्स के ऑडिट के अतिरिक्त, केवल उनके स्वयं के सब्सक्रिप्शन नंबरों तक ही सीमित होना चाहिए।
106. प्राधिकरण द्वारा अपनी विधायी मैनडेट को पार करने और न्यायिक भूमिका निभाने के बारे में उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में, जैसा कि पिछले पैराग्राफों में बताया गया है, इस कार्रवाई में प्राधिकरण का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। ऑडिट प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने और ऑडिटर की जवाबदेही को सुदृढ़ करने पर ही ध्यान केंद्रित किए गए हैं, और प्राधिकरण किसी भी स्थिति में सेवा प्रदाताओं के बीच विवादों के निपटारे का प्रयास या इरादा नहीं रखता है। भादूविप्रा एक सुव्यवस्थित ऑडिट तंत्र स्थापित कर रहा है, क्योंकि मौजूदा प्रणाली के परिणामस्वरूप ऑडिटों का इंप्लिकेशन हो रहा है। वित्तीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यावसायिक इकाई सामान्यतः एक वर्ष में केवल एक ही ऑडिट से गुजरती है, और इसी सिद्धांत को डीएस ऑडिट के संदर्भ में भी अपनाया जा सकता है। तदनुसार, सातवें संशोधन विनियम विशेष रूप से समग्र ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावकारिता में सुधार करने, रिडंडेंसी को कम करने तथा ऑडिटर की जवाबदेही को बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं।
107. जबकि माननीय टीडीसेट ने सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया प्रा. लि. बनाम डिजियाना प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. (आदेश दिनांक 07.12.2020) के मामले में यह अवलोकन किया था कि विनियम 15(2) के अंतर्गत प्रसारक को अपने

ऑडिट अधिकार "ऑडिट करने के अपने अधिकार के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रसारक को अनुमति देने के लिए किसी भी प्रतियोगिता या कानूनी विवाद की आवश्यकता नहीं है और न ही होनी चाहिए", यह ध्यान देना ज़रूरी है कि यह मामला दो सर्विस प्रोवाइडरों के बीच कमर्शियल विवाद से संबंधित था। माननीय टीडीसैट यह नहीं माना कि मौजूदा विनियम 15(1) के तहत डीपीओ के रूटीन ऑडिट की बाध्यता को खत्म कर दिया जाना चाहिए। इसके विपरीत, आदेश में विनियम 15(1) के तहत अनिवार्य वार्षिक ऑडिट और विनियम 15(2) के तहत प्रसारक को प्रदत्त ऑडिट के अधिकार के बीच स्पष्ट भेद किया गया है, इस बात पर बल दिया गया है कि दोनों प्रावधान भिन्न-भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। माननीय टीडीसैट का उक्त निर्णय मौजूदा रेगुलेशन 15(2) की व्याख्या तक ही सीमित है, उस संदर्भ में जहाँ ब्रॉडकास्टर को ऑडिट कराने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा, माननीय टीडीसैट के फैसले ने उक्त विनियम की वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया और यह पूरी तरह से मौजूदा प्रावधान की व्याख्या तक ही सीमित था। तदनुसार, यह प्रावधान भादूविप्रा द्वारा संशोधन के लिए खुला है। परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, कंसल्टेशन पेपर, मसौदा विनियम और इस ईएम में उल्लिखित कारणों के आधार पर, विनियम 15(2) में संशोधन किया गया है।

विनियमन 15 (2) – किसी भी विसंगति के मामले में प्रसारक द्वारा पैंतालीस (45) दिनों के भीतर लिखित रूप में रिपोर्ट करने के संबंध में

108. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि कोई प्रसारक विनियमन 15 (1) के तहत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट में कोई विसंगति पाता है, तो वह ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, ऑडिट रिपोर्ट के विरुद्ध साक्ष्यों सहित विशिष्ट टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, उस टेलीविजन चैनल के वितरक को लिखित रूप में इसकी सूचना दे सकता है, जिससे ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है, तथा ऐसी टिप्पणियों और साक्ष्यों की एक प्रति संबंधित ऑडिटर को भी प्रदान कर सकता है।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

109. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्नानुसार संक्षेपित किया गया है:

- इस विनियमन में यह बताने के लिए संशोधन किया जा सकता है कि रिपोर्ट को स्वीकार किया जाएगा और प्रसारक द्वारा 30 दिनों की समाप्ति के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
- यदि किसी प्रसारक को उप-विनियमन (1) के अंतर्गत 30 सितंबर की नियत तिथि तक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है और वह ऐसी ऑडिट रिपोर्ट में सब्सक्राइबरों की संख्या से संबंधित कोई विसंगति पाता है, तो वह वितरक को लिखित रूप में इसकी ओर संकेत कर सकता है।
- मौजूदा फ्रेमवर्क पहले से ही स्वतंत्र रूप से पैनल में शामिल ऑडिटर्स के माध्यम से पर्याप्त जांच और संतुलन प्रदान करता है, और ऑडिट परिणामों को बार-बार पुनः खोलने तथा पुनः सत्यापित करने से अंतिम रूप देने की प्रक्रिया से समझौता हो सकता है तथा वितरकों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। विसंगति की स्थिति में, प्रसारक ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर साक्ष्यों द्वारा समर्थित विशिष्ट लिखित टिप्पणियाँ उठा सकता है, और वितरक समयबद्ध समापन सुनिश्चित करने के लिए एक युक्तिसंगत अवधि के भीतर, जो 30 दिनों से अधिक न हो, ऑडिटर द्वारा समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा।
- 30 दिनों की समय-सीमा पूर्णतः अपर्याप्त है, क्योंकि प्रसारकों के सामान्यतः सैकड़ों डीपीओ के साथ अनुबंध होते हैं और डीपीओ प्रायः ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के आसपास ही अपनी ऑडिट रिपोर्ट

भेजते हैं, जिसके कारण रिपोर्टों की समुचित समीक्षा और अनुलग्नकों का विश्लेषण इस संक्षिप्त 30-दिवसीय अवधि के भीतर व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पाता है।

- व्यवहार में यह भी देखा गया है कि कई वितरक पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट या संबंधित सूचना साझा करने में देरी करते हैं और ऐसा बहुत ज्यादा देरी और प्रसारक के बार-बार निवेदन करने के बाद ही करते हैं, हैं, जिससे डेटा को बनाए रखने के लिए वैधानिक अवधि समाप्त हो जाती है, जिसका अर्थ है कि उस विशेष अवधि के लिए डेटा का कोई सत्यापन नहीं हो सकता है और यदि 30 दिनों की अवधि इस तरह के विलंबित संचार से चलने लगती है, प्रसारकों को अस्पष्ट प्रवर्तन स्थितियों में रखा जाता है जहां सार्थक जुड़ाव शुरू होने से पहले ही समय सीमा तकनीकी रूप से समाप्त हो गई है। प्रसारकों को 30 दिनों के भीतर जवाब देने की आवश्यकता वाले इस प्रावधान को हटा दिया जाना चाहिए ताकि अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी टाल-मटोल की रणनीति को निष्प्रभावी किया जा सके।
- ऑडिटर अथवा डीपीओ के साथ टिप्पणियाँ साझा करने के लिए प्रसारकों को कम से कम 90 दिनों की अवधि प्रदान की जानी चाहिए।

विश्लेषण

110. प्राधिकरण यह स्वीकार करता है कि संपूर्ण वैल्यू चेन की अखंडता के लिए ऑडिट का समय पर पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि किसी वित्तीय वर्ष से संबंधित ऑडिट, अगले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, सभी दृष्टियों से पूर्ण हो जाएँ। प्रतिक्रिया देने के लिए असीमित या अत्यधिक लंबी समय-सीमाओं की अनुमति देना, अथवा विसंगतियों पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए दीर्घ अवधि प्रदान करना, ऑडिट प्रक्रिया तथा उसके बाद की अनुपालन कार्रवाइयों में अनुचित विलंब उत्पन्न करेगा। विसंगतियों की रिपोर्टिंग के लिए लंबी समय-सीमाएँ ऑडिट प्रक्रिया के निष्कर्ष को अनावश्यक रूप से बढ़ा सकती हैं और इस प्रकार प्रणाली की दक्षता को कमजोर कर सकती हैं। तथापि, प्रसारकों के लिए समय-सीमा में वृद्धि के संबंध में हितधारकों के अनुरोधों पर विचार करते हुए, लिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय में एक सीमित वृद्धि आवश्यक प्रतीत होती है और इस पर विधिवत विचार किया गया है। तदनुसार, सातवें संशोधन विनियमों के अंतर्गत 45 दिनों की समय-सीमा प्रदान की गई है, जो मसौदा विनियम 2025 में निर्धारित 30 दिनों की समय-सीमा का संशोधन है। इसे उचित माना गया, क्योंकि यह प्रक्रियात्मक दक्षता और प्रसारकों को अपनी चिंताएँ दर्ज करने के लिए उचित अवसर देने के बीच संतुलन बनाता है।
111. पूर्ण ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में वितरकों द्वारा देरी के बारे में की गई टिप्पणियों, या बार-बार अनुरोध करने के बाद ही रिपोर्ट साझा किए जाने की घटनाओं के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया है कि संशोधित ढांचे में इस मुद्दे को पहले ही हल किया जा चुका है। उद्योग-स्तर पर ऑडिट शेड्यूलिंग और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मानकीकृत समयसीमा सुनिश्चित करने के लिए, विनियमों में अब यह अनिवार्य है कि प्रत्येक डीपीओ प्रत्येक प्रसारक को प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर को या उससे पूर्व ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जिसके साथ उसने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट किया है। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट के संबंधित अंशों को सभी अनुलग्नकों सहित संबंधित प्रसारकों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रावधान एकरूपता स्थापित करता है, समय पर अनुपालन सुनिश्चित करता है और ऑडिट प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाता है।

विनियमन 15 (2) प्रथम परंतुक – प्रसारक की चिंताओं की प्राप्ति पर डीपीओ तथा ऑडिटर द्वारा उत्तर देने की समय-सीमाओं के संबंध में

112. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक से प्राप्त टिप्पणियों की प्राप्ति पर, वितरक सात दिनों के भीतर उन टिप्पणियों को संबंधित ऑडिटर को संदर्भित करेगा, ताकि ऑडिटर उन टिप्पणियों की जांच कर सके और उनका समाधान कर सके, तथा ऑडिटर प्रसारक की टिप्पणियों का समाधान करते हुए तीस दिनों की अवधि के भीतर अपनी अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट वितरक को प्रदान करेगा, जिसे वितरक अपनी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेषित करेगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

113. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- मसौदा विनियम 2025 के उपर्युक्त प्रावधान का समर्थन करते हुए यह सुझाव दिया गया कि इस पुनरावृत्ति के पश्चात प्रसारक को अपने स्तर पर किसी भी ऑडिट को आरंभ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। भादूविप्रा साक्ष्यों के आधार पर री-ऑडिट के मामलों की जांच करनी चाहिए, जिससे एक स्पष्ट और पूर्वानुमेय ऑडिट समय-सारिणी सुनिश्चित की जा सके।
- यदि विनियामक के साथ परामर्श की आवश्यकता वाले न्यायोचित कारणों के चलते ऑडिट को पूरा करने में विलंब होता है, तो डीपीओ को तदनुसार भादूविप्रा को इसकी सूचना देनी चाहिए और भादूविप्रा द्वारा ऐसी सूचना को विधिवत स्वीकार किए जाने के पश्चात संशोधित समय-सीमा को प्रभावी ऑडिट पूर्णता अवधि के रूप में माना जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया कि भादूविप्रा इस क्रम को औपचारिक रूप प्रदान करे और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए वास्तविक मामलों में समय-सीमा के विस्तार से संबंधित प्रावधानों को सम्मिलित करे।
- इस विनियमन में संशोधन किया जाना चाहिए कि कोई अतिरिक्त ऑडिट नहीं किया जाएगा और ऑडिटर केवल 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रसारक द्वारा उठाए गए प्रश्नों का विस्तृत उत्तर प्रदान करेगा, क्योंकि अनेक प्रसारकों द्वारा उठाए गए बहुविध प्रश्नों के अनुरूप ऑडिट रिपोर्ट को पुनः खोलना और कई प्रसारकों द्वारा उठाए गये सवालों के हिसाब से उसमें संशोधन करना कठिन होगा।
- ऑडिट रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और एक बार जब कोई ऑडिटर ऑडिट को पूर्ण कर उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो न तो ऑडिटर और न ही वितरक के पास निष्कर्षों को संशोधित करने, पुनः व्याख्या करने अथवा उन्हें कमजोर करने की कोई गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि बाद में किए गए सुधारों की अनुमति देने से ऑडिट की स्वतंत्रता से समझौता होता है और संपूर्ण प्रक्रिया में विश्वास कम होता है।
- प्रस्तावित समय-सीमाएँ (वितरक के लिए सात दिन और ऑडिटर के लिए 30 दिन), अत्यधिक कठोर हैं और जटिल तकनीकी तथा लेन-देन संबंधी डेटा की जांच के लिए आवश्यक व्यावहारिक समय को ध्यान में नहीं रखती हैं। अनेक मामलों में प्रसारक द्वारा उठाई गई टिप्पणियों का समाधान तकनीकी डेटा के निष्कर्षण, उसके सत्यापन तथा सिस्टम की जांच से जुड़ा होता है, जिसके लिए विभिन्न टीमों के बीच समन्वय आवश्यक होता है, और ऐसी अव्यावहारिक समय-सीमाएँ अपूर्ण प्रतिक्रियाओं या प्रक्रियात्मक खामियों का कारण बन सकती हैं।

विश्लेषण

114. प्राधिकरण का मत है कि स्पष्ट समय-सीमाएँ ऑडिट के समयबद्ध समापन को सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। हितधारकों की उस टिप्पणी के संबंध में कि ऑडिट रिपोर्ट में संशोधन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस विनियमन के अंतर्गत प्रावधानों का आशय प्रसारकों को ऑडिट में विद्यमान किसी भी अपर्याप्तता या विसंगति को इंगित करने का अवसर प्रदान करना है तथा ऑडिटर को तथ्यों के आधार पर आवश्यक स्पष्टीकरण अथवा, जहाँ आवश्यक हो, सुधार प्रस्तुत करने का अवसर देना है। इसका उद्देश्य विवादों को कम करना और बाद में किसी अतिरिक्त ऑडिट की आवश्यकता को न्यूनतम करना है। इसके अतिरिक्त, ऑडिटर द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण अथवा सुधार प्रदान करने के लिए 30 दिनों की अवधि को पर्याप्त माना गया है।
115. वास्तविक मामलों में समय-सीमा के विस्तार के अनुरोधों के संबंध में, प्राधिकरण का विश्वास है कि ऑडिट का समय पर पूरा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय-सीमाएँ उचित आवश्यकताओं पर विधिवत विचार करने के पश्चात निर्धारित की गई हैं। यह भी माना गया है कि समय-सीमा के विस्तार की अनुमति का दुरुपयोग ऑडिट प्रक्रिया को बाधित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी।

विनियमन 15 (2) दूसरा एवं तीसरा परंतुक – उस प्रावधान के संबंध में कि यदि ऑडिट के संदर्भ में प्रसारक की चिंताओं को समुचित रूप से हल नहीं किया जाता है, तो वह ऑडिट के लिए भादूविप्रा से संपर्क कर सकता है

116. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि प्रसारक यह पाता है कि उसकी टिप्पणियों को पूर्णतः हल नहीं किया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, साक्ष्यों सहित अपनी विशिष्ट टिप्पणियाँ प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकता है। प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा वहन की जाने वाली फीस और लागत पर, जिसे कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, मामले की पात्रता के आधार पर जांच करेगा और यदि आवश्यक पाया जाता है, तो प्रसारक द्वारा इंगित की गई विसंगतियों का पता लगाने के लिए प्रसारक की लागत पर एक विशेष ऑडिट करवाने की अनुमति दे सकता है।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

117. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:
- प्राधिकरण के समक्ष दूसरे स्तर की शिकायत केवल पर्याप्त या भौतिक विसंगतियों तक ही सीमित होनी चाहिए, न कि सभी शेष असहमतियों तक, ताकि प्राधिकरण और हितधारकों दोनों पर अत्यधिक बोझ न पड़े।
 - भादूविप्रा, एक विनियामक प्राधिकारी होने के नाते, ऑडिट रिपोर्ट में पर्याप्त या भौतिक विसंगतियों से उत्पन्न विवादों का फैसला करने के लिए सशक्त नहीं है, और प्रसारक तथा वितरक के बीच ऐसे विवाद माननीय टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न कोई भी विवाद कानून का प्रश्न होगा, जिसे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में प्रावधानित अनुसार माननीय टीडीसैट के समक्ष संदर्भित किया जाएगा और वहीं उसका निपटान किया जाएगा।
 - विनियमन लागत के लिए प्रसारक की जवाबदेही को उचित रूप से सुनिश्चित करता है, तथापि प्राधिकरण के हस्तक्षेप की प्रक्रिया और उसके दायरे के संबंध में स्पष्टता का अभाव है। ऐसे स्पष्ट मापदंड निर्धारित किए

जाने चाहिए, जो यह परिभाषित करें कि किन परिस्थितियों में प्राधिकरण विशेष ऑडिट की अनुमति दे सकता है, ताकि परिचालन को बाधित करने वाले बार-बार और गैर-ज़रूरी री-ऑडिट को रोका जा सके जो कामकाज में रुकावट डाल सकते हैं।

- जब प्रसारक भादूविप्रा को रिपोर्ट करता है, तो उसे अपनी चिंताओं के संबंध में वितरक को भी सूचित करना चाहिए, और विशेष ऑडिट की अनुमति दिए जाने से पूर्व वितरक को भी प्राधिकरण के समक्ष अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- प्रसारक के ऑडिट को “विशेष” मानने का अर्थ यह होगा कि प्रसारक को अपने स्वयं के राजस्व का सत्यापन करने की अनुमति देने से पूर्व संदेह प्रदर्शित करना या प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। ऐसा दृष्टिकोण डेटा में हेरफेर के विरुद्ध सुरक्षा उपायों को कमजोर करता है और सत्यापन प्रक्रिया को विनियामक विवेक पर निर्भर बना देता है।
- प्रसारक-प्रेरित या “विशेष” ऑडिट के लिए भादूविप्रा की स्वीकृति से संबंधित सभी संदर्भ हटाए जाएँ और उन प्रावधानों को भी हटाया जाए जो इंटरकनेक्शन व्यवस्था के सामान्य, अभिन्न और अपरिहार्य तत्व के रूप में ऑडिट करने के प्रसारक के अधिकार की पुष्टि करते हैं।

विश्लेषण

118. जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, डीपीओ और प्रसारकों द्वारा किए गए दोहरे ऑडिट से लागत में वृद्धि होती है। उसी सिस्टम का दूसरा ऑडिट केवल उचित और न्यायोचित आधारों पर ही किया जाना चाहिए। भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर्स या बेसिल द्वारा किए गए ऑडिट पर प्रश्न उठाना भी प्रणाली की सत्यनिष्ठा को कमजोर करता है। एकल वार्षिक ऑडिट की सामान्य ऑडिट प्रथाओं के अनुरूप, इन विनियमों का उद्देश्य प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, ऑडिट के दोहराव को कम करना तथा विनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारकों को अपनी चिंताओं के समाधान का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करते हुए ऑडिटर्स की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। यह दृष्टिकोण दोहराव को समाप्त करेगा और समग्र दक्षता में सुधार करेगा।
119. वित्तीय खातों के संदर्भ में, प्रत्येक व्यवसायिक इकाई एक वर्ष में केवल एक ही ऑडिट से गुजरती है और ऑडिट प्रक्रिया की विश्वसनीयता तथा ऑडिटर्स की जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए उस पर भरोसा किया जाता है। इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अब यह परिकल्पना की गई है कि डीएस ऑडिट भी सामान्यतः एक बार ही किए जाएँ, जिसके लिए ऑडिट प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाएगा और ऑडिटर्स की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक विनियामक जाँच का प्रावधान किया गया है, ताकि दूसरा ऑडिट केवल रूटीन रूप से न हो, बल्कि मूल ऑडिट में विद्यमान खामियों के तथ्यों द्वारा समर्थित एक वास्तविक आवश्यकता पर आधारित हो। अतः यह जाँच मूल ऑडिटर्स के प्रदर्शन से संबंधित है, अर्थात् भादूविप्रा के पैनल में शामिल उस ऑडिटर्स से, जिसे भादूविप्रा के विनियमों के अनुसार ऑडिट करना आवश्यक है और जो मार्गदर्शन के लिए भादूविप्रा के ऑडिट मैनुअल का पालन करता है।
120. इस सुझाव के संबंध में कि भादूविप्रा के समक्ष वृद्धि केवल पर्याप्त या भौतिक विसंगतियों तक ही सीमित होनी चाहिए, ताकि प्राधिकरण तथा विनियमित संस्थाओं दोनों पर मामूली परिणाम वाली अवशिष्ट असहमतियों के कारण अनावश्यक बोझ न पड़े, प्राधिकरण इस मत से सहमत है कि इस प्रावधान का उद्देश्य केवल उन्हीं अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों का समाधान करना है, जो सब्सक्राइबर रिपोर्टिंग और राजस्व निपटान को भौतिक रूप से प्रभावित करती हैं। तदनुसार, यह दांचा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया जा गया है कि पुनः

ऑडिट पर विचार केवल तभी किया जाए, जब महत्वपूर्ण अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

121. हितधारकों की इस टिप्पणी के संदर्भ में कि ऑडिट रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद कानून का प्रश्न होगा और उसे माननीय टीडीसैट के समक्ष संदर्भित किया जाना चाहिए, यह विषय पूर्ववर्ती पैराग्राफ में स्पष्ट किया जा चुका है। प्राधिकरण किसी भी स्थिति में सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद का न्यायनिर्णय करने का कोई इरादा नहीं रखता है, बल्कि री-ऑडिट की अनुमति देने से पूर्व ऑडिट रिपोर्ट में उद्धृत अपर्याप्तताओं अथवा विसंगतियों के आधारों की जाँच की परिकल्पना की गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस संदर्भ में विनियमन के अंतर्गत प्राधिकरण की भूमिका केवल विनियामक निरीक्षण और ऑडिट को सुविधाजनक बनाना है, जहाँ प्रथम दृष्टया अपर्याप्तताएँ अथवा विसंगतियाँ प्रदर्शित की जाती हैं। कानूनी अथवा संविदात्मक व्याख्या से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णय माननीय टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र में ही निहित रहेगा। किसी भी स्तर पर दो सेवा प्रदाताओं के बीच विवाद का निर्णय भादूविप्रा द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसलिए भादूविप्रा द्वारा अपने विनियामक अधिदेश का अतिक्रमण करने या माननीय टीडीसैट की भूमिका में प्रवेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
122. प्राधिकरण के हस्तक्षेप की प्रक्रिया और दायरे पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता के संबंध में यह परिकल्पना की गई है कि प्रसारक द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की अनुमति प्राधिकरण द्वारा केवल वहीं दी जाएगी, जहाँ अपर्याप्तताएँ/विसंगतियाँ भौतिक प्रकृति की हों, दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थित हों और मूल ऑडिटर को सूचित किए जाने के पश्चात भी अनसुलझी बनी रहें। प्रसारक को अपने अनुरोध के साथ ऐसी अपर्याप्तताओं/विसंगतियों के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और भादूविप्रा ऑडिट की अनुमति प्रदान करने से पूर्व मामले की जांच करेगा कि इसके लिए पर्याप्त आधार है या नहीं।
123. हितधारकों की टिप्पणियों में यह भी सुझाव दिया गया है कि विशेष ऑडिट की अनुमति दिए जाने से पूर्व वितरकों को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। विनियमन के अंतर्गत जिस मामले पर विचार किया जा रहा है, वह ऑडिट का निष्पक्ष और प्रभावी संचालन है, न कि प्रसारक और वितरक के बीच कमर्शियल लेन-देन। डीपीओ द्वारा नियुक्त ऑडिटर को वर्तमान संशोधन के अंतर्गत प्रसारक द्वारा उठाई गई अपर्याप्तताओं/विसंगतियों को स्पष्ट करने का अवसर पहले ही प्रदान किया जा चुका है। इसका उद्देश्य प्रसारकों को डीपीओ-प्रेरित ऑडिट रिपोर्ट में विद्यमान अपर्याप्तताओं/विसंगतियों को उठाने के लिए एक संरचित मार्ग उपलब्ध कराना है, ताकि वर्तमान प्रणाली की भांति ऑडिट के अनावश्यक दोहराव से बचा जा सके।
124. प्रसारक द्वारा आरंभ किए गए ऑडिट को “स्पेशल” ऑडिट के रूप में माने जाने से संबंधित अवलोकन के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि “स्पेशल” शब्द का प्रयोग केवल डीपीओ द्वारा कराए गए मूल ऑडिट की तुलना में प्रसारक द्वारा कराए गए पुनरावृत्त ऑडिट को एक भिन्न शब्दावली प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। तथापि, इस आशंका को दूर करने के लिए कि प्रसारक-प्रेरित ऑडिट पर डीपीओ-प्रेरित ऑडिट की तुलना में भिन्न प्रावधान लागू होते हैं, संशोधित संशोधन में “स्पेशल” शब्द को हटा दिया गया है। प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है कि प्रसारक मूल विनियमों के विनियमन 15 (2) के अंतर्गत, उचित आधारों पर, ऑडिट कराने का अपना अधिकार बनाए रखते हैं।

विनियमन 15 (2) तीसरा परंतुक – प्रसारक द्वारा ऑडिट के लिए ऑडिटर के चयन के संबंध में

125. मसौदा विनियम 2025 में विनियमन 15 (2) (क) के चौथे परंतुक में यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रसारक द्वारा ऑडिट के मामले में, प्रसारक मेसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा पैनल में शामिल ऑडिटर्स में से, तीन ऑडिटर्स के नाम वितरक को प्रदान करेगा और वितरक पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ऑडिट के लिए एक ऑडिटर का चयन करेगा, ऐसा न करने की स्थिति में प्रसारक ऑडिटर के चयन हेतु प्राधिकरण से संपर्क करेगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

126. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- डीपीओ को प्रसारक द्वारा प्रस्तावित तीन ऑडिटर्स में से किसी एक का चयन करने अथवा, अन्य बातों के साथ-साथ, पंद्रह दिनों के भीतर कोई उत्तर न देकर उन सभी को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करना, ऑडिट की स्वतंत्रता को निष्प्रभावी करता है और साथ ही निष्पक्ष जांच के उद्देश्य को भी विफल करता है। इसके पश्चात् का वह प्रावधान, जो डीपीओ द्वारा चयन न किए जाने की स्थिति में भादूविप्रा को ऑडिटर नियुक्त करने की अनुमति देता है, अपारदर्शी है और ऑडिटर के चयन के लिए किसी भी निर्दिष्ट मानदंड से रहित है। प्रसारक-प्रेरित ऑडिट के लिए संपूर्ण फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है और ऐसे ऑडिट के लिए ऑडिटर के चयन का अधिकार उसी प्रकार प्रसारक के पास होना चाहिए, जैसा कि डीपीओ-प्रेरित ऑडिट के मामलों में होता है। प्रसारक, पीड़ित पक्ष होने तथा ऑडिट की लागत वहन करने वाला होने के नाते, प्राधिकरण के पैनल में शामिल सूची से सक्षम ऑडिटर नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए।
- मसौदा संशोधन में बेसिल को विशिष्ट रूप से और बार-बार सम्मिलित करना अनुचित है और इससे पक्षपात वाले बर्ताव की धारणा उत्पन्न होती है।
- ऑडिटर के चयन की प्रक्रिया में निष्पक्षता और तटस्थता बनाए रखी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी पक्ष को ऑडिटर की पसंद पर अनुचित प्रभाव प्राप्त न हो। प्रसारक को तीनों नाम प्रस्तावित करने की अनुमति दिए जाने से कथित स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है, और एक संतुलित दृष्टिकोण ऑडिटर के नामांकन में संयुक्त भागीदारी को सुनिश्चित करेगा।
- यदि एक से अधिक प्रसारक प्राधिकरण से ऑडिट की मांग करते हैं और उन्हें इसकी अनुमति प्रदान की जाती है, तो वितरक अनेक ऑडिटों से कैसे निपटेगा, क्योंकि विभिन्न ऑडिटर्स के माध्यम से कई ऑडिटों का प्रबंधन वितरक के दैनिक कार्य संचालन को प्रभावित करेगा और यह एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में, यदि एक से अधिक प्रसारकों को ऑडिट की अनुमति दी जाती है, तो ऑडिट करने के लिए एक साझा ऑडिटर को नियुक्त किया जाना चाहिए।

विश्लेषण

127. हितधारकों की प्रतिक्रियाओं पर विचार करते हुए, तथा इस सिद्धांत के अनुरूप कि वितरकों को अपने ऑडिटर के चयन का अधिकार निहित है और प्रसारकों के पास भी समान अधिकारी होना चाहिए, सातवें संशोधन विनियमों से संबंधित परंतुक को हटा दिया गया है। तीसरे परंतुक में तदनुसार संशोधन किए गए हैं, ताकि प्रसारकों को पैनल में शामिल ऑडिटर्स तथा बेसिल में से अपनी पसंद के ऑडिटर नियुक्त करने की स्पष्ट अनुमति प्रदान की जा सके, जिससे ऑडिट के संचालन में लचीलापन और स्वायत्तता सुनिश्चित हो। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में बेसिल के नाम के उल्लेख से संबंधित विषय पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

128. एकाधिक ऑडिट अनुरोधों तथा एक सामान्य ऑडिटर के चयन से संबंधित टिप्पणी के संदर्भ में यह ध्यान दिया जा सकता है कि मूल विनियमों का विनियमन 15 (2) पहले से ही प्रसारक द्वारा आरंभ किए गए ऑडिट का प्रावधान करता है, और वर्तमान संशोधन उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करता है। प्राधिकरण द्वारा प्रसारकों के उचित आधारों पर पुनः ऑडिट की मांग करने के अधिकार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। तदनुसार, इस संबंध में किसी अतिरिक्त संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

विनियमन 15 (2A) – उस स्थिति के संबंध में जहाँ प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है और प्रसारक पाँच (5) महीनों के भीतर अपना ऑडिट कर सकता है

129. मसौदा विनियम 2025 के (विनियमन 15 (2) (ख)) में उन मामलों के लिए दो परिदृश्य प्रस्तावित किए गए थे, जहाँ प्रसारक को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर की नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होती है-

(i) जहाँ किसी टेलीविजन चैनल का वितरक, विनियमन 15 (1) के अंतर्गत, उस वर्ष की 30 सितंबर की तिथि तक, जिसमें ऑडिट किया जाना था, उन प्रसारकों के साथ, जिनके साथ उसने इंटरकनेक्शन अनुबंध किए हैं, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट साझा करने में विफल रहता है, वहाँ प्रसारकों को, वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से, ऐसे टेलीविजन चैनलों के वितरक की एड्रसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारकों की लागत पर, कराने की अनुमति होगी।

(ii) जहाँ विनियमन 15 (1) के अंतर्गत ऑडिट वैकल्पिक है, वहाँ प्रसारकों को, वितरक को लिखित रूप में सूचित करने के पश्चात, संयुक्त रूप से या पृथक-पृथक रूप से, एड्रसेबल सिस्टम का ऑडिट, प्रसारकों की लागत पर, कराने की अनुमति होगी।

मसौदा विनियम 2025 में, यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि इन प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रसारक द्वारा ऑडिट कराया जाता है, तो ऐसा ऑडिट उस वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा और उस वर्ष की 30 सितंबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

130. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- प्रसारक प्रायः सैकड़ों वितरकों के साथ लेन-देन करते हैं और ऑडिट संसाधनों-वित्तीय तथा लॉजिस्टिक दोनों-को प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की इतनी संकुचित अवधि के भीतर संपूर्ण इकोसिस्टम में एकत्रित करना व्यावहारिक नहीं है। ऐसे मामलों में प्रसारकों द्वारा ऑडिट कराने के लिए संशोधन में किसी निश्चित समय-सीमा को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, ताकि सब्सक्राइबर डेटा के समग्र और सटीक सत्यापन के लिए आवश्यक लचीलापन उपलब्ध हो सके।
- यह प्रावधान वितरक की अनुपालन-चूक के लिए उत्तरदायित्व और लागत को अनुचित रूप से प्रसारकों पर स्थानांतरित करता है, जबकि ऐसे ऑडिट वितरकों के विनियामक दायित्व हैं। विनियमन 15 (1) के अंतर्गत ऑडिट वितरकों के लिए अनुपालन की आवश्यकता है, न कि प्रसारकों के लिए। वितरक के चूक करने की

स्थिति में प्रसारकों पर ऑडिट लागत थोपना वस्तुतः गलत पक्ष को दंडित करता है तथा वितरकों को ऑडिट में देरी करने के लिए विकृत प्रोत्साहन प्रदान करता है।

- छोटे सब्सक्राइबर आधार वाले उन वितरकों के लिए, जहाँ ऑडिट वैकल्पिक हैं, प्रस्तावित विनियमन के परिणामस्वरूप अनेक प्रसारकों द्वारा अनावश्यक और बार-बार ऑडिट कराए जा सकते हैं, जिससे अनुपातहीन अनुपालन लागत और दोहराव उत्पन्न होगा। वैकल्पिक ऑडिट छोटे वितरकों पर अनुपालन का बोझ कम करने के उद्देश्य से प्रारंभ किए गए थे, और प्रसारकों को इस वैकल्पिकता को निष्प्रभावी करने की अनुमति देना उस विनियामक उद्देश्य के विपरीत है तथा छोटे परिचालकों पर वित्तीय दबाव उत्पन्न कर सकता है।

विश्लेषण

131. हाल के वर्षों में प्रसारकों द्वारा आरंभ किए गए ऑडिट की संख्या, सभी प्रसारकों और डीपीओ के संदर्भ में व्यापक रूप से नहीं हुए हैं। हालांकि सामान्यतः ऐसे ऑडिट को पूर्ण करने के लिए चार महीनों की अवधि को पर्याप्त माना जाता है, प्राधिकरण ने परिचालन संबंधी बाधाओं के संबंध में हितधारकों की टिप्पणियों पर संज्ञान लिया है। तथापि, डीपीओ-प्रेरित ऑडिट के लिए छह महीनों की अवधि को आवश्यक नहीं माना गया है, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका होता है और डीपीओ की तैयारियाँ उपलब्ध रहती हैं। तदनुसार, प्रसारक-प्रेरित ऑडिट को पूर्ण करने की समय-सीमा को संशोधित कर 30 सितंबर (मसौदा विनियम में दिए गए चार महीनों) से पाँच महीने कर दिया गया है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया में समयबद्ध अनुशासन बनाए रखते हुए अतिरिक्त लचीलापन प्रदान किया जा सके।
132. डीपीओ के डिफॉल्ट के मामलों में ऑडिट की लागत प्रसारकों द्वारा वहन न किए जाने संबंधी हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, प्राधिकरण का मत है कि विनियामक ढांचे को अनुपालन दायित्वों और व्यावहारिक प्रवर्तनीयता के बीच संतुलन स्थापित करना चाहिए। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि वितरक के गैर-अनुपालन के मामलों में भी प्रसारकों के पास सब्सक्राइबर डेटा का सत्यापन करने की क्षमता बनी रहे, जबकि उनके द्वारा वहन की जाने वाली वित्तीय लागत फालतू या अत्यधिक ऑडिट अनुरोधों को हतोत्साहित करती है। ऐसे डीपीओ द्वारा अनुपालन न किया जाना मूल विनियमों के अंतर्गत वित्तीय निरुत्साहन तथा विनियामक कार्रवाई के अधीन होता रहेगा।
133. छोटे वितरकों से संबंधित चिंताओं को हल करने के लिए, प्राधिकरण ने यह प्रावधान किया है कि इच्छुक प्रसारक संयुक्त रूप से ऐसे वितरकों की एड्रेसेबल सिस्टम्स का ऑडिट करा सकते हैं, जिससे दोहराव न्यूनतम हो और लागत में कमी आए। यह सुरक्षा यह सुनिश्चित करती है कि छोटे डीपीओ पर अनुपालन का बोझ कम करने का विनियामक उद्देश्य बना रहे, साथ ही प्रसारकों को आवश्यकता होने पर डेटा का सत्यापन करने की अनुमति भी उपलब्ध रहे।

विनियमन 15 (2ख) – प्रसारक और डीपीओ के बीच इंटरकनेक्शन अनुबंध के अनुसार सब्सक्राइबर संख्याओं में विसंगति के निपटान के संबंध में; तथा अनुसूची III या अनुसूची X अथवा दोनों के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के संबंध में

134. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि यदि उप-विनियमन (1) अथवा (2) (क) अथवा (2) (ख) के अंतर्गत किए गए ऑडिट से यह प्रकट होता है कि—

- (क) सब्सक्राइबर संख्याओं में कोई विसंगति है, तो ऐसी विसंगति का निपटान प्रसारक और वितरक के बीच इंटरकनेक्शन अनुबंध में निहित प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकता है;
- (ख) यदि वितरक द्वारा प्रयुक्त एड्रेसेबल सिस्टम अनुसूची III या अनुसूची X अथवा दोनों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो वितरक को तीन सप्ताह की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के संकेतों को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति होगी।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

135. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर निम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- मसौदा विनियम 2025 में, विनियमन 15 (2) (ग) अपने वर्तमान स्वरूप में प्रतिबंधात्मक और अस्पष्ट दोनों हैं, इसकी शब्दावली यह संकेत देती है कि यह अनुसूची III और/या अनुसूची X के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ डीपीओ द्वारा विसंगतियों अथवा गैर-अनुपालन के मामलों में प्रसारकों को कुछ सीमित उपचार प्रदान करता है, तथापि इन उपचारों का दायरा और उनकी प्रयोज्यता स्पष्ट नहीं है, जिससे व्याख्यात्मक अनिश्चितता तथा असंगत कार्यान्वयन की संभावना उत्पन्न होती है। विनियमन 15 (2) (ग) को इस प्रकार से पुनर्लिखित किया जाना चाहिए कि यदि सब्सक्राइबर संख्याओं में विसंगति हो और/या वितरक द्वारा उपयोग की जा रही एड्रेसेबल सिस्टम अनुसूची III अथवा अनुसूची X अथवा दोनों में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हो, तो प्रसारक पक्षकारों के बीच लागू कानूनों अथवा समझौते के अनुसार सुधारात्मक उपाय कर सके।
- भादूविप्रा को ऑडिट निष्कर्षों से उत्पन्न सिग्नल डिस्कनेक्शन पर रोक लगानी चाहिए और किसी भी गैर-अनुपालन से संबंधित मुद्दे को सेवा में व्यवधान के स्थान पर सुधारात्मक कार्रवाई अथवा भादूविप्रा द्वारा निर्देशित समाधान के माध्यम से निपटाया जाना चाहिए।
- अनिवार्य ऑडिट एक वैधानिक उपकरण है और सब्सक्राइबर विसंगतियों के संबंध में इसके निष्कर्षों से भादूविप्रा अथवा माननीय टीडीसैट द्वारा प्रवर्तित एक मानकीकृत समाधान उत्पन्न होना चाहिए, जिसे दीर्घकालिक वाणिज्यिक पुनः-वार्ता के लिए खुला न छोड़ा जाना चाहिए और अलग-अलग इंटरकनेक्शन अनुबंध धाराओं पर निर्भरता, डीटीएच प्लेटफार्म के विरुद्ध अंतहीन विवादों तथा वाणिज्यिक लाभ के लिए अवसर उत्पन्न करती है, जो एक स्पष्ट विनियामक ऑडिट के संपूर्ण उद्देश्य को कमजोर करती है।

विश्लेषण

136. मासिक सब्सक्राइबर रिपोर्ट की तुलना में ऑडिट के दौरान प्रकट सब्सक्राइबर संख्याओं में किसी भी प्रकार की भिन्नता के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसी विसंगतियों, यदि कोई हों, के निपटान हेतु रिफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर्स (आरआईओ) तथा इंटरकनेक्शन अनुबंधों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाने चाहिए। यह दृष्टिकोण विनियामक ढांचे के अंतर्गत विस्तृत दंड संरचनाएँ निर्धारित करने के स्थान पर, पक्षकारों को शर्तों पर पारस्परिक रूप से सहमत होने की अनुमति देकर दंड और समायोजन के समाधान को मार्केट मैकेनिज्म पर छोड़ता है। मौजूदा विनियमों में यह भी प्रावधान है कि प्रसारक-प्रेरित ऑडिट के दौरान पाए गए सब्सक्राइबर संख्याओं में अंतर का निपटान इंटरकनेक्शन अनुबंध के अनुसार होगा।

137. इसके अतिरिक्त, मौजूदा इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अनुसार, जहाँ किसी ऑडिट से यह प्रकट होता है कि अनुसूची III अथवा अनुसूची X में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है, वहाँ वितरक को तीन सप्ताह की लिखित सूचना प्रदान करने के पश्चात प्रसारकों को टेलीविजन चैनलों के संकेतों को डिस्कनेक्ट करने की अनुमति है। सिस्टमैटिक नॉन-कम्प्लायंस के विरुद्ध अवरोध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सातवें संशोधन विनियमों में समान प्रावधानों को बनाए रखा गया है।
138. सिग्नल डिस्कनेक्शन को प्रतिबंधित किए जाने संबंधी सुझावों के संदर्भ में, प्राधिकरण इस स्टेज पर सहमत नहीं है। तीन सप्ताह की नोटिस अवधि के अधीन सिग्नल डिस्कनेक्शन, जहाँ प्रणालीगत गैर-अनुपालन स्थापित हो जाता है, प्रसारण इकोसिस्टम की अखंडता की रक्षा के लिए एक आनुपातिक और आवश्यक उपाय बना हुआ है। इस उपाय को हटाने से सब्सक्राइबर डेटा में हेरफेर के विरुद्ध खिलाफ रोकथाम कमजोर होगी और शेड्यूल III और शेड्यूल X के तहत निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुपालन में बाधा उत्पन्न होगी।

शेड्यूलिंग

139. मसौदा विनियम 2025 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि विनियमन 15 के उप-विनियमन (1) के अंतर्गत वितरक द्वारा किया जाने वाला वार्षिक ऑडिट, उक्त विनियमन में विनिर्दिष्ट तरीके के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

140. प्रत्युत्तर में, एक टिप्पणी में यह उल्लेख किया गया है कि विनियमन पहले से ही विनियमन 15 (1) के अंतर्गत वार्षिक ऑडिट को अनिवार्य करता है, और यह कथन कि ऑडिट “उक्त विनियमन में निर्दिष्ट तरीके से शेड्यूल किया जाएगा”, शेड्यूलिंग से संबंधित किसी भी नए कार्यात्मक विवरण या स्पष्टीकरण को प्रदान किए बिना केवल मौजूदा कानून की पुनरावृत्ति करता है।

विश्लेषण

141. यह देखते हुए कि शेड्यूलिंग का प्रावधान सातवें संशोधन विनियमों में विनियमन 15(1) के अंतर्गत पहले से ही शामिल है, मौजूदा प्रावधान के साथ अलाइन करने के उद्देश्य से अनुसूची III तथा अनुसूची X में संशोधन किया गया है, ताकि निरंतरता सुनिश्चित हो सके।

इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के प्रावधान

142. परामर्श पत्र में, परामर्श हेतु कुछ अन्य मुद्दे निम्न प्रकार से थे:

प्रश्न 11. एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग दिशानिर्देशों के आलोक में, क्या इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची-III के खंड ग-14 (सीएस और एसएमएस) में निम्नानुसार संशोधन किया जाना चाहिए:

“सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एकटीवेशन एवं डिएकटीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।

जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक या अधिक वितरकों के बीच साझा होगा, वहाँ सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एकटीवेशन एवं डिएकटीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स को प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा”

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं तो उचित कारण बताते हुए कोई वैकल्पिक संशोधन सुझाएं?

प्रश्न 12. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के उन मामलों के लिए, जहाँ सीएस और एसएमएस को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के साथ साझा नहीं किया जाता है,

- क्या आप सहमत हैं कि ऐसे मामलों में, जहाँ तक साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का संबंध है, इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर ऑडिट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के उन्हीं तत्वों तक विस्तारित होना चाहिए, जिन्हें डीपीओ के बीच साझा किया जा रहा है?
- यदि प्रसारक ऐसा निर्णय लेता है, तो क्या प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने की एक पूर्व-शर्त के रूप में, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित, सभी डीपीओ का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए।

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

प्रश्न 13. यदि सेवा प्रदाताओं के बीच सीएस और एसएमएस साझा किए जाते हैं,

- यह सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट करने के लिए कौन से प्रावधान पेश किए जाने चाहिए कि वितरकों (इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले) द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही हों, तथा सीएस/डीआरएम/एसएमएस के साझाकरण के कारण किसी प्रकार का हेरफेर नहीं हुआ हो?
- क्या प्रसारक को सीएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ का एक साथ ऑडिट (प्रसारक-प्रेरित ऑडिट) करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे सभी डीपीओ के संबंध में मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य और सही हों, तथा सीएस/डीआरएम/एसएमएस के साझाकरण के कारण कोई हेरफेर न हुआ हो।

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

प्रश्न 14. क्या आप सहमत हैं कि डीपीओ के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, इंटरकनेक्शन विनियम की अनुसूची III तथा ऑडिट प्रक्रिया के दौरान मल्टीप्लेक्सर के लॉग के मूल्यांकन के लिए ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त संशोधनों की आवश्यकता है?, यदि हाँ, तो कृपया प्रस्तावित संशोधन का सुझाव दें, यह ध्यान में रखते हुए कि कोई भी प्रसारक किसी अन्य प्रसारक के डेटा को नहीं देख सके और कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया उस स्थिति में भी अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

प्रश्न 17. एमआईबी द्वारा एमएसओ के बीच, डीटीएच ऑपरेटरों के बीच तथा एमएसओ और एचआईटीएस ऑपरेटर के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के लिए जारी किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के आलोक में, क्या एमएसओ के बीच, डीटीएच ऑपरेटरों के बीच तथा एमएसओ और एचआईटीएस ऑपरेटरों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण को सुगम बनाने के लिए इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के किसी अन्य मौजूदा प्रावधान में संशोधन करने अथवा किसी अतिरिक्त विनियमन को लागू करने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कृपया हितधारक एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के मद्देनजर आवश्यक माने जाने वाले इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में अपेक्षित संशोधनों (किसी भी अतिरिक्त प्रावधान सहित) पर, उनके कारणों सहित, अपनी टिप्पणियाँ प्रदान करें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि हितधारकों को अपनी टिप्पणियाँ तालिका 4 में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करनी होंगी, जिसमें स्पष्ट रूप से मौजूदा विनियमन संख्या अथवा नई विनियमन संख्या, सुझाया गया संशोधन तथा इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन के कारण अथवा पूर्ण औचित्य का उल्लेख किया गया हो।

तालिका 4: एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के मद्देनजर इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में आवश्यक संशोधनों पर हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिए प्रारूप

क्रम संख्या	इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के मौजूदा विनियमन की विनियमन संख्या / इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में प्रस्तावित नई विनियमन संख्या (1)	मौजूदा विनियमन के प्रावधान (2)	हितधारक द्वारा सुझाए गए संशोधन/नए प्रावधान (3)	प्रस्तावित संशोधन के कारण/ पूर्ण औचित्य (4)
1.				
2.				

(नोट: यदि अतिरिक्त विनियमन प्रस्तावित किया गया है तो कॉलम (2) खाली छोड़ा जा सकता है)

प्रश्न 19. हितधारक वर्तमान परामर्श से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर भी अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं।

परामर्श पत्र के प्रश्न 11 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

143. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- प्रस्तावित संशोधन से सहमति है। सुझाव दिया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाना चाहिए:
 - i. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के लिए सीएस इंस्टेंस को पृथक डेटाबेस के साथ लॉजिकल इंस्टेंस में विभाजित किया जाए। हार्डवेयर और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर (स्पेस और पावर) आवश्यकताओं को ही केवल साझा कर सकते हैं।
 - ii. प्रत्येक सीएस इंस्टेंस केवल एक एसएमएस के साथ ही संवाद करे। ऐसे किसी सीएस इंस्टेंस की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसे एक से अधिक एसएमएस द्वारा एड्रेस किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वन-टू-वन कॉरस्पॉन्डेंस समाप्त हो जाता है।

- “लॉग” का अर्थ और परिभाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि, “सीएस समाधान/सिस्टम के भीतर बैकएंड घटकों में स्थित सीएस के आंतरिक लॉग को छोड़कर, सीएस और एसएमएस के बीच लेन-देन से संबंधित लॉग तथा सभी कमांड के आदान-प्रदान को भी लॉग” माना जाए। संशोधन करते समय लॉग के प्रकार को संशोधन में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया जाना चाहिए और तदनुसार संशोधित खंड ग-14 निम्न प्रकार से होना चाहिए:

“सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एकटीवेशन एवं डिएकटीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए ट्रांसएक्शनल लॉग्स को जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक या अधिक वितरकों के बीच साझा होगा, वहाँ सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एकटीवेशन एवं डिएकटीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए ट्रांसएक्शनल लॉग्स को प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा”

- प्रस्तावित संशोधन से सहमति व्यक्त करते हुए हितधारकों ने सुझाव दिया गया है कि सीएस को सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड के अनुरूप, संबंधित वितरकों के सभी एसटीबी/वीसी को व्हाइटलिस्ट करने तथा टैग करने में सक्षम होना चाहिए, और कम से कम पिछले लगातार तीन सालों की अवधि के लिए जिसमें एसएमएस द्वारा जारी किए गए एकटीवेशन तथा डिएकटीवेशन कमांड शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, तारीख और टाइम स्टैम्प के साथ लॉग उत्पन्न करने, रिकॉर्ड करने तथा बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के बीच केवल हेड-एंड/वीडियो सिग्नल/ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम ही साझा की जानी चाहिए, और प्रत्येक इकाई को अपना स्वतंत्र सीएस तथा एसएमएस बनाए रखना चाहिए। भादूविप्रा को सीएस और एसएमएस के साझाकरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा, सेवा विभेदीकरण तथा संबंधित डीपीओ के साथ सेवा/ग्राहक पहचान /सहसंबंध के मूलभूत सिद्धांत को भी कमजोर करता है, और ये प्रणालियाँ डीपीओ के लिए सब्सक्राइबर एक्सेस प्रबंधन, विशिष्ट सेवाएँ प्रदान करने तथा सामग्री सुरक्षा की रक्षा करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अतिरिक्त, इससे संभावित सामग्री सुरक्षा और वितरण से संबंधित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें सब्सक्राइबर की कम घोषणा जैसे जोखिम शामिल हैं, जो प्रसारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

144. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत, मसौदा विनियम 2025 पर प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियाँ उन मुद्दों को भी सम्मिलित करती हैं, जिनमें सीएस और एसएमएस का साझाकरण शामिल है, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं। सीएस/एसएमएस साझाकरण से संबंधित तकनीकी पहलुओं तथा लॉग की परिभाषा के संबंध में प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऑडिट के लिए व्यापक प्रक्रियात्मक विवरणों को ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि ऐसे विवरण सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। तकनीकी कार्यक्षमताओं से संबंधित अन्य शेष मुद्दों के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी अथवा सूक्ष्म विवरणों को विनियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाना आवश्यक नहीं है।

परामर्श पत्र के प्रश्न 12 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

145. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर्स का ऑडिट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के उन्हीं तत्वों तक विस्तारित होना चाहिए, जिन्हें डीपीओ के बीच साझा किया जा रहा है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के उन मामलों में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के साथ सीएस और एसएमएस साझा नहीं किए जाते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता का ऑडिट पृथक-पृथक किया जाना चाहिए।
- ऐसे मामलों में, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के बीच सीएस और एसएमएस साझा नहीं किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के लिए केवल साझा किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के तत्वों का ही नहीं, बल्कि सभी तत्वों का ऑडिट किया जाना चाहिए, ताकि यह आकलन किया जा सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण वास्तव में हो रहा है तथा किस सीमा तक हो रहा है। ऑडिट सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं और सीकर्स के लिए एक साथ प्रारंभ किया जाना चाहिए।
- प्रसारकों को साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित सभी डीपीओ का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो प्रसारक के लिए टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में शामिल प्रसारकों की संख्या और ऑडिट के समापन के लीड-टाइम को ध्यान में रखते हुए बाजार में समय के हित में है।
- एक ही ऑडिटर को सभी प्रकार की सेवाओं—डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि के लिए ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए, और इसके अतिरिक्त प्रसारकों को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने की पूर्व-शर्त के रूप में, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित सभी डीपीओ का पूर्ण तकनीकी ऑडिट कराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि यह नेटवर्क आर्किटेक्चर से संबंधित संवेदनशील जानकारी से जुड़ा हुआ मामला है।
- प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्रदान करने की एक पूर्व-शर्त के रूप में, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण व्यवस्था में सम्मिलित सभी डीपीओ के सभी तत्वों का, साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑडिट सहित, पूर्ण ऑडिट कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि यह समझा जा सके कि डीपीओ के बीच किस प्रकार और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर साझा की जा रही है तथा कितने डीपीओ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा कर रहे हैं।

146. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न खंडों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियाँ उन मुद्दों को भी समाहित करती हैं, जिनमें सीएस और एसएमएस का साझाकरण शामिल है, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित हैं। सीएस/एसएमएस के साझाकरण के मामलों में ऑडिट के दायरे से संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऑडिट के लिए ऐसे व्यापक प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किए जाएंगे। सेवाओं की सभी श्रेणियों के लिए केवल एक ही ऑडिटर को अनुमति दिए जाने जैसे अन्य शेष मुद्दों के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी अथवा सूक्ष्म विवरणों को विनियमों के माध्यम से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

परामर्श पत्र के प्रश्न पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

147. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- जहाँ सेवा प्रदाताओं के बीच सीएस और एसएमएस साझा किए जा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाले डीपीओ की प्रणालियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहने वाले प्रत्येक डीपीओ के लिए पृथक रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रसारकों के लिए यह संभव होना चाहिए कि वे किसी भी कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले किसी भी व्यक्तिगत डीपीओ को डिस्कनेक्ट कर सकें, जिसमें विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करना, सब्सक्रिप्शन शुल्क के भुगतान में चूक करना अथवा पायरेसी में संलिप्त होना शामिल है, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त तथा एक साथ ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर(र्स) का ऑडिट (दोनों-विनियम 15(1) और 15 (2)) के तहत एक साथ किया जाना चाहिए ताकि साझा सीएस और एसएमएस प्रणालियों से एक साथ पूर्ण डेटा डंप निकाला जा सके और एसटीबी के पूरे यूनीवर्स (सभी पात्रता रिकॉर्ड के साथ) को साझा सीएस और एसएमएस सिस्टम में परिभाषित विशिष्ट आईडेंटिफायर/डिफ्रेंशिएटर के आधार पर सेवा प्रदाताओं के बीच विभाजित किया जा सके।
- सीएस/एसएमएस/डीआरएम साझा किए जाने के मामलों में, यह मत व्यक्त किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के संबंध में प्रसारक द्वारा किया जाने वाला ऑडिट, मौजूदा ऑडिट मैनुअल में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप अनिवार्य किया जा सकता है, क्योंकि यह सभी हितधारकों के दृष्टिकोण से संवेदनशील विषय है। यद्यपि प्रसारकों द्वारा एक साथ ऑडिट किए जाने की अनुमति दी जा सकती है, तथापि सीएस/एसएमएस/डीआरएम साझा करने में सम्मिलित सभी डीपीओ से सूचना प्राप्त होने के पश्चात ऑडिट को पूर्ण करने के लिए चार सप्ताह की एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। अनुसूची-III के बिंदु ग(5) में एक नया प्रावधान सम्मिलित किया जाना चाहिए।

“बशर्ते कि किसी भी सीएस इंस्टेंस को केवल एक ही एसएमएस के साथ एकीकृत किया जा सकेगा।”

- ऑडिट करने के लिए वर्तमान में विद्यमान प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त हैं कि डीपीओ द्वारा प्रसारकों को उपलब्ध कराई गई मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट पूर्ण, सत्य एवं सही हों, तथा सीएस/डीआरएम/एसएमएस साझा किए जाने के कारण किसी प्रकार का हेरफेर न हुआ हो। इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले सेवा प्रदाताओं के मामलों में भी इसी प्रकार के प्रावधान लागू किए जा सकते हैं और प्रसारक को सीएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ का एक साथ ऑडिट, (प्रसारक-प्रेरित ऑडिट) करने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्रसारक को सीएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ को एक साथ ऑडिट (प्रसारक-प्रेरित ऑडिट) करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि सभी डीपीओ/ एमएसओ/डीटीएच/एचआईटीएस को हर साल अनिवार्य वार्षिक ऑडिट से गुजरना आवश्यक है। इसलिए, प्रसारक की किसी भी विशिष्ट/प्रासंगिक आवश्यकताओं की जांच वार्षिक आडिट के दौरान स्वयं ही की जा सकती है।

148. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों में सीएस और एसएमएस के साझाकरण से संबंधित वे मुद्दे भी सम्मिलित हैं, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। सीएस/एसएमएस के साझाकरण के मामलों में ऑडिट के दायरे और समय-सीमा से संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ऑडिट से संबंधित ऐसे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, को ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किया जाएगा।

परामर्श पत्र के प्रश्न 14 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

149. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, मौजूदा क्लॉज 4.5 लागू होता है और इसमें किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स आउटपुट (ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम) में साझा सीएस प्लेटफॉर्म से कॉमन ईसीएम और ईएमएम शामिल होते हैं।
- यद्यपि मक्स इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के संदर्भ में सूचना के रिसाव का कोई अंतर्निहित जोखिम नहीं है, फिर भी किसी विशेष डीपीओ के संबंध में ऑडिट के दायरे को प्रभावी रूप से सीमित करने के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि एक ही मक्स साझा करने वाले प्रत्येक डीपीओ के लिए ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम-वाईज विवरण प्रदान किया जाए। इस उद्देश्य से इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में ऑडिट मैनुअल की धारा 4.5 में निम्न संशोधन किया जाना चाहिए:

“मक्स कॉन्फिगरेशन चेक करें ताकि एसआईडी के साथ कॉन्फिगर किए गए ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम्स (“टीएस”) की संख्या, हर एसआईडी का स्कैम्बलिंग स्टेटस और ईसीएम और ईएमएम कॉन्फिगरेशन (मक्स - टीएस स्ट्रीम-कॉन्फिगर किए गए ईसीएम और ईएमएम की संख्या), जैसा कि संबंधित डीपीओ के लिए किए गए इंफ्रा शेयरिंग डिक्लरेशन के अनुसार है, को वैलिडेट किया जा सके, जैसे मक्स आईडी, टीएस आईडी, ऑडिट के तहत डीपीओ की पूरी सर्विस लाइनअप की सर्विस आईडी लिस्टिंग।”

- यदि मल्टीप्लेक्सर कॉमन है और सिग्नल का सिमुल-क्रिप्ट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऑडिट के दौरान प्रसारक लॉग को देख सकता है। हालांकि, यदि डीपीओ दोनों फ़ीड्स को दो अलग-अलग मक्स के माध्यम से अलग-अलग संचालित कर रहा है, तो प्रसारक को केवल अपने ही हिस्से से संबंधित लॉग देखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि किसी भी स्थिति में प्रसारक को सेवा प्रदाता से किसी अन्य प्रसारक का डेटा प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
- मल्टीप्लेक्सर सेवाओं को एन्क्रिप्टेड अथवा अनएन्क्रिप्टेड मोड में वहन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तदनुसार, ऑडिटर्स को विशेष रूप से इसकी समीक्षा करने के लिए फ्री एक्सेस प्रदान की जानी चाहिए और विनियमों में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए कि ऑडिट अवधि के दौरान चैनलों की एन्क्रिप्शन स्थिति सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट के समय मक्स लॉग समीक्षा/सत्यापन के लिए उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही, डीपीओ को ऐसे लॉग को कम से कम पिछले तीन पूर्ववर्ती वर्षों की अवधि के लिए गैर-संपादन योग्य संग्रहीत रिपोर्ट के रूप में बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु इंटरकनेक्शन विनियमों की अनुसूची III तथा ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त संशोधन किए जाने का सुझाव दिया गया है:

- i. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर, दोनों को सभी एन्कोडर्स और सभी मक्स (MUX) की कंप्रेशन चैन को नियंत्रित करने वाले नेटवर्क सर्विस मैनेजर के लॉग बनाए रखने चाहिए, तथा मक्स लॉग को ऑडियो-वीडियो पीआईडी मैपिंग, सर्विस आईडी, सर्विस नाम, तथा सेवाओं और एन्क्रिप्शन से संबंधित समस्त जानकारी के विवरण सहित बनाए रखना चाहिए। टेलीविज़न चैनलों का वितरक, प्रसारक के अनुरोध पर, अपने हेड-एंड से वितरित की जा रही सभी ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम (टीएस) की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराएगा।
- ii. इसके अलावा, टेलीविज़न चैनलों के वितरक द्वारा वितरित सभी चैनलों का एन्क्रिप्शन केवल सीएस के माध्यम से मक्स पर ही लागू किया जाना चाहिए, न कि हेड-एंड के किसी अन्य उपकरण पर।

कई डीपीओ, चैनलों को मक्स के माध्यम से अनएन्क्रिप्टेड मोड में पास करते हैं और क्यूएम (मॉड्यूलेटर) पर पूरी स्ट्रीम को स्कैम्बल कर देते हैं, जो सब्सक्राइबर एसटीबी पर किसी चैनल को व्यक्तिगत रूप से सक्रिय या निष्क्रिय करने में सक्षम नहीं होता। इसके परिणामस्वरूप अंडर डिक्लेरेशन की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसे चैनलों का सीएस और एसएमएस सिस्टम में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होता। तदनुसार, खंड 14 में निम्नांकित संशोधन किया जाना चाहिए::

“प्राइमरी डीपीओ/ इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता को सभी पे चैनलों के लिए एन्कोडर छोर पर अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग सम्मिलित करना चाहिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ सभी पे चैनलों के लिए एसटीबी छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग सम्मिलित करेगा, और इसे निम्न प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो ओवरलैप न हो या छिप न जाए। आदर्श रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो स्क्रीन के निचले बाएँ भाग में स्थापित किया जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ अपना लोगो स्क्रीन के निचले दाएँ भाग में स्थापित करेगा।”

150. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण सहित ऐसे विषय शामिल हैं, जो एमआईबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होते हैं। मल्टीप्लेक्सर से संबंधित हितधारकों की टिप्पणियों के संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऑडिट के लिए वे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किए जाएंगे।

परामर्श पत्र के प्रश्न 17 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश।

151. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण से संबंधित किसी भी प्रावधान को सम्मिलित करने के लिए 'इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण' से संबंधित एक नया अध्याय जोड़े जाने का सुझाव दिया गया है। इस संबंध में, हितधारक की विस्तृत प्रतिक्रिया भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हितधारक ने निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया है:
 - कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण अनुरोध प्रसारकों की तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके लिखित अनुमोदन के अधीन होगा, और तदनुसार डीपीओ किसी भी लंबित तकनीकी अथवा वाणिज्यिक मुद्दे के संबंध में प्रसारकों से स्वीकृति/एन.ओ.सी. प्राप्त करेंगे।
 - इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, प्राइमरी एमएसओ को एकटीवेशन/डीएकटीवेशन पोर्टल सक्षम करना चाहिए तथा प्रसारक को ऐसे पोर्टल तक पहुंच प्रदान करनी चाहिए, ताकि वह डिफॉल्ट प्राइमरी या सेकेंड्री एमएसओ (जैसा भी लागू हो) को स्वतंत्र रूप से निष्क्रिय करने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सके।
 - जहां सीएस और एसएमएस साझा किए जाते हैं, वहां प्राइमरी डीपीओ प्रत्येक सेकेंड्री डीपीओ के सीएस और एसएमएस डेटा को पृथक रूप से संग्रहीत करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वह व्यक्तिगत

रूप से सुलभ हो। जहां सेकेंड्री डीपीओ को केवल टीएस सिग्नल प्रदान किए जा रहे हों, वहां प्रत्येक सेकेंड्री डीपीओ का विवरण पृथक रूप से संग्रहीत एवं साझा किया जाना चाहिए।

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण में संलग्न संस्थाओं के ऑडिट संयुक्त रूप से और एक साथ आयोजित किए जाने चाहिए।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की इच्छा रखने वाले सभी डीपीओ के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे (इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग के लिए कोई भी अनुबंध करने से पूर्व) प्रसारक की तकनीकी टीम द्वारा अपने सिस्टम का प्री-ऑडिट करवाए।
- यदि कोई सेकेंड्री डीपीओ इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के लिए एक प्राइमरी डीपीओ से किसी अन्य प्राइमरी डीपीओ में स्थानांतरित होता है, तो ऐसे डीपीओ को किसी अन्य प्राइमरी डीपीओ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने से पूर्व प्रसारक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्राइमरी डीपीओ यह सुनिश्चित करेगा कि सेकेंड्री डीपीओ को प्रसारकों के टेलीविजन चैनलों के संकेतों की अच्छी गुणवत्ता तथा निर्बाध आपूर्ति प्राप्त हो।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति सभी संभावित परिदृश्यों तथा सभी प्लेटफार्मों पर दी जानी चाहिए, जिनमें डीटीएच और आईपीटीवी शामिल हैं, किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

152. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक जापन के विभिन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के अनुसार इंटरकनेक्शन विनियम 2017 में संशोधन से संबंधित विषय भी शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण, एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। डीपीओ द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के ऑडिट से संबंधित वे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त रूप से हल किए जाएंगे। अन्य शेष विषयों, जैसे एकटीवेशन/ डीएकटीवेशन पोर्टल की आवश्यकता, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा निर्बाध सेवाओं अथवा संकेतों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर का एक डीपीओ से दूसरे डीपीओ में स्थानांतरण आदि के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी अथवा सूक्ष्म विवरणों को विनियमों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उनका समाधान आपसी समझौतों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

परामर्श पत्र के प्रश्न 19 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

153. वर्तमान परामर्श से संबंधित किसी अन्य मुद्दे पर हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने वाले प्रश्न 19 के प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचार निम्न प्रकार हैं:
- i. प्रसारक विनियमन 15 (2) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, और यह प्रावधान उनके लिए एमएसओ को आर्थिक अथवा कानूनी रूप से परेशान करने का एक साधन बन गया है।
 - ii. विनियमन 15 (2) में उल्लिखित दोनों शर्तें, अर्थात् “ऑडिट रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं” तथा “प्रसारक की राय में”, ओपन एंडेड हैं। इन शब्दों के कारण प्रसारक, केवल डीपीओ को परेशान करने के उद्देश्य से, किसी भी विषय को उक्त विनियमन के अंतर्गत उठा सकते हैं।
 - iii. हितधारकों ने विनियमन 15 (2) में निम्न प्रकार से संशोधन करने का सुझाव दिया:

क. ऐसे मामलों में, जहां विनियमन 15 (1) (क) में संदर्भित ऑडिटर, डीपीओ द्वारा प्रसारक को प्रस्तुत सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट के संबंध में, अथवा अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पुष्टि न होने के संबंध में, जैसा भी मामला हो, एक क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करता है, वहां वितरक

को कारणों की लिखित सूचना देने के पश्चात्, प्रसारक को टेलीविजन चैनलों के वितरक की सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम तथा अन्य संबंधित प्रणालियों का ऑडिट करने की अनुमति होगी, जो एक कैलेंडर वर्ष में एक से अधिक बार नहीं होगा:

- i. बशर्ते कि, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित क्वालिफिकेशन्स बताता है।
 - क. डीपीओ द्वारा प्रस्तुत तथा भादूविप्रा के पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सत्यापित ग्राहकों की संख्या में 0.5% से अधिक का अंतर पाया गया है।
 - ख. ऑडिट के दौरान कोई अघोषित सीएसएस/एसएमएस/हेड-एंड पाया गया।
 - ग. यदि ऑडिट के दौरान कोई अनएन्क्रिप्टेड सिग्नल पाया जाता है।
 - घ. प्रसारकों द्वारा दिए गए ग्राउंड एसटीबी नमूनों और सिस्टम में वास्तविक उपलब्धता के बीच 5% से अधिक का अंतर पाया जाता है।
- iv. ऑडिटर्स को डीपीओ द्वारा अपने क्लोज्ड नेटवर्क में प्रस्तुत किए जा रहे आईपीटीवी ऐप्स का ऑडिट करने में सक्षम बनाने के लिए, यह आवश्यक है कि ऐसे ऐप्स की विशेषताओं को मानकीकृत किया जाए, अथवा ऐसे ऐप्स के लिए एक व्हाइटलिस्टिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
- v. आईपीटीवी प्लेटफॉर्म, जो एसटीबी के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें भी सूचना सुरक्षा ऑडिटर के माध्यम से अपना ऑडिट कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए, जिसमें हेड-एंड/आईटी एप्लिकेशन परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण, कंट्रोल परीक्षण, तथा एप्लिकेशन के कॉन्फिगरेशन, वल्नरेबिलिटी एवं अन्य संबंधित परीक्षण शामिल हों।
- vi. ऑडिटर्स को ऑडिट रिपोर्ट उसी दिन डीपीओ और प्रसारकों दोनों को जारी करनी चाहिए।
- vii. पैनल में शामिल प्रत्येक ऑडिट एजेंसी के पास ऐसे प्रशिक्षित कर्मी होने चाहिए, जो सीएसएस/एसएमएस, डिजिटल हेड-एंड तथा संबंधित हेड-एंड प्रणालियों से भली-भांति परिचित हों। यह ध्यान दिलाया गया है कि पैनल में शामिल अधिकांश एजेंसियों के पास मुख्यतः वित्तीय ऑडिट का अनुभव है, न कि सीपीटीवी/डीएस/आईपीटीवी परिवेश के ऑडिट का।
- viii. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के संबंध में, हितधारकों का मत था-
 - क. एचआईटीएस तथा डीटीएच प्लेटफार्मों में सीएसएस और एसएमएस सर्वरों के इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।
 - ख. सिमुल-क्रिप्ट परिवेश (इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण) में सर्वर विफलता की स्थिति में किसी भी प्रकार की डेटा हानि को रोकने के लिए, डीपीओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास सीएसएस और एसएमएस के संबंध में एक डिजास्टर रिकवरी सिस्टम (बैक-अप/स्टैंड-बाय सर्वर) उपलब्ध हो, जो कम से कम तत्काल पूर्ववर्ती तीन लगातार वर्षों की अवधि के लिए सीएसएस और एसएमएस पर तथा उनके माध्यम से निष्पादित प्रत्येक कार्रवाई को रिकॉर्ड करने और संरक्षित रखने में सक्षम हो।
 - ग. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को यह सुनिश्चित करने के लिए यथोचित प्रयास करने चाहिए कि सेवा उपलब्धता बनी रहे, (ऐसी सेवा जो दर्शकों द्वारा अनुभव की जा सकने वाली समस्याओं से मुक्त हो, जिनमें बिना किसी सीमा के, बिना ऑडियो के वीडियो, बिना वीडियो के ऑडियो, अथवा महत्वपूर्ण सिग्नल विकृति शामिल हैं) और जिसमें दैनिक ट्रांसमिशन शेड्यूल से कोई भी व्यवधान या विचलन न हो।
 - घ. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को एक प्रसारक रिमोट लाइव कंट्रोल पैनल (डैशबोर्ड) विकसित करना चाहिए, ताकि अन्य बातों के साथ-साथ, प्रसारक अपने संबंधित चैनलों के संकेतों को सेकेंड्री डीपीओ के लिए दूरस्थ रूप से एक्टीवेट, डीएक्टीवेट तथा पुनः एक्टीवेट कर सकें।

- इ. डैशबोर्ड को निम्नलिखित जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी चाहिए—
- इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा सेकेंड्री डीपीओ द्वारा वास्तविक समय में तैनात प्रत्येक सीएस का विवरण, संबंधित सीएस नंबर सहित।
 - संबंधित प्रसारकों के लिए एन्क्रिप्शन की स्थिति, अर्थात् क्या संबंधित चैनल वास्तविक समय में एन्क्रिप्टेड हैं या अनएन्क्रिप्टेड।
 - अवसंरचना प्रदाता और सेकेंड्री डीपीओ के संदर्भ में प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सभी संबंधित प्रसारकों की सेवाओं के नाम।
- च. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्लेटफॉर्म पर जोड़े गए या हटाए गए किसी भी सीएस को डैशबोर्ड पर, ऐसे जोड़ने और/या हटाने की तिथि एवं समय की मोहर सहित, जैसा भी लागू हो, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर का यह दायित्व होगा कि वे प्रसारक को कम से कम 30 दिन पूर्व लिखित रूप में सूचित करें।
- छ. एचआईटीएस इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामले में, एचआईटीएस प्रदाता द्वारा एमएसओ के स्थानीय केबल ऑपरेटरों ("एलसीओ")/डीपीओ को जारी की गई केबल ऑपरेटर प्रिमाइसेज़ इक्विपमेंट (सीओपीई) इकाइयाँ उनके सिस्टम में स्पष्ट रूप से पहचानी गई/दृश्यमान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एचआईटीएस के ऑडिट के दौरान, एचआईटीएस ऑपरेटर को पैनल में शामिल ऑडिटर्स के साथ-साथ, प्रसारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर, सीओपीई इकाइयों के इंस्टॉलेशन पते सहित विस्तृत जानकारी प्रसारक को भी उपलब्ध करानी चाहिए।
- ज. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण करने वाले डीपीओ को यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वे 24×7×365(6) दिनों के आधार पर हर दस (10) मिनट के अंतराल पर फिंगरप्रिंटिंग शेड्यूल करें, और इसे निम्न प्रकार से किया जाए कि कनेक्टेड एसटीबी की टीवी स्क्रीन पर फिंगरप्रिंटिंग स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- ix. भादूविप्रा द्वारा उचित ऑडिट शुल्क मैट्रिक्स प्रकाशित किया जाना आवश्यक है। अत्यधिक मोलभाव के कारण कई बार ऑडिट कार्य और रिपोर्ट की गुणवत्ता से समझौता हो जाता है।
- x. किसी ऑडिट फर्म द्वारा किए जा सकने वाले अधिकतम ऑडिटों की संख्या, विनियमन 15(1) और 15(2) के तहत निर्धारित की जानी चाहिए।
- xi. विनियमन 15(1) और/या 15(2) के तहत ऑडिट कराए जाने के लिए, डीपीओ/प्रसारक को निर्धारित शुल्क मैट्रिक्स के अनुसार ऑडिट शुल्क जमा कर भादूविप्रा से अनुरोध करना चाहिए, और इसके पश्चात भादूविप्रा द्वारा ऑडिटर की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- xii. कई बार डीपीओ के लिए क्लाउड समाधान या डेटा सेंटर में एसएमएस की होस्टिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ऑडिट के दौरान ऐसे सर्वरों का भौतिक सत्यापन संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब एसएमएस एडब्ल्यूएस मुंबई में होस्ट किया गया हो और ऑडिटर भौतिक सत्यापन की मांग करे, जो कि संभव नहीं है, तब एसएमएस को गैर-अनुपालन का फ्लैग दे दिया जाता है। अतः इस विषय को ऑडिट मैनुअल में स्पष्ट रूप से हल किया जाना आवश्यक है।
- xiii. ऑडिटर के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह पूरे ऑडिट काल के दौरान, प्रत्येक माह के कम से कम एक सप्ताह को कवर करते हुए, 20% सैंपल सप्ताहों के लिए, डीपीओ के नेटवर्क पर उपलब्ध प्रसारकों के प्रत्येक पे चैनल के एमएसआर डेटा का सत्यापन करे।
- xiv. वर्तमान में सत्यापन केवल सीएस बनाम एसएमएस में कुल सक्रिय ग्राहकों के लिए समग्र स्तर पर किया जा रहा है। इसमें यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि पात्रताओं की संख्या (अर्थात् प्रत्येक सक्रिय सीएस कार्ड पर सक्रिय कुल चैनलों की संख्या) की तुलना एसएमएस में प्रत्येक सीएस कार्ड पर उपलब्ध कुल पात्रताओं से की जाए।

- xv. ऑडिट प्रक्रिया तभी सार्थक होगी जब डीपीओ, प्रत्येक माह प्रसारक को प्रस्तुत की जाने वाली मासिक सब्सक्राइबर रिपोर्ट के हिस्से के रूप में, सीएस और एसएमएस वाईज सब्सक्राइबर संख्या प्रस्तुत करेगा।

विश्लेषण

154. प्राधिकरण ने हितधारकों द्वारा प्रस्तुत की गई टिप्पणियों की समीक्षा की है। इस संदर्भ में निम्न बातों पर ध्यान दिया जा सकता है:

- विनियमन 15(2) से संबंधित मुद्दों के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि इन विषयों को पहले ही सातवें संशोधन विनियमों के अंतर्गत हल किया जा चुका है, तथा इनके औचित्य इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के विभिन्न विश्लेषण अनुभागों में प्रस्तुत किए गए हैं।
- डीपीओ और प्रसारक को ऑडिट रिपोर्ट एक साथ प्रस्तुत करने संबंधी टिप्पणियों के उत्तर में, सातवें संशोधन विनियम निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑडिट पूर्ण करने को अनिवार्य करते हैं तथा प्रसारकों को ऑडिट रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित किए जाने का प्रावधान करते हैं।
- आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं के ऑडिट से संबंधित टिप्पणियों के उत्तर में, भादूविप्रा के इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत आईपीटीवी ऑपरेटरों सहित सभी डीपीओ को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अपने सिस्टम का ऑडिट कराना अनिवार्य किया गया है। इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची X में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (डीआरएम) प्रणाली से संबंधित आवश्यकताएँ निर्दिष्ट हैं।
- प्रशिक्षित ऑडिट कर्मियों की कथित आवश्यकता को देखते हुए, सातवें संशोधन विनियमों का उद्देश्य ऑडिट प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना तथा ऑडिटर्स की जवाबदेही को सुदृढ़ करना है। डिजिटल एड्रसेबल सिस्टम के ऑडिट हेतु ऑडिटर्स को सूचीबद्ध करने के लिए जारी रुचि की अभिव्यक्ति में आवेदन ऑडिटर्स के लिए न्यूनतम अनुभव एवं दक्षता संबंधी पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के संबंध में निम्नांकित को नोट किया जा सकता है:
 - यह प्रत्येक प्लेटफॉर्म, जैसे डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ आदि, के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा जारी संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित होता है।
 - एमआईबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत एमएसओ के बीच, एमएसओ और एचआईटीएस ऑपरेटर के बीच तथा डीटीएच ऑपरेटरों के बीच सीएस/एसएमएस सहित इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति दी गई है।
 - एमआईबी दिशानिर्देश एचआईटीएस और डीटीएच ऑपरेटरों के बीच सीएस/एसएमएस के इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति नहीं देते हैं।
 - इन दिशानिर्देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाली संस्थाओं के लिए विस्तृत आवश्यकताएँ शामिल हैं, जिनमें डिजिस्टर रिकवरी सिस्टम, प्रसारकों द्वारा सिंगलस का डिस्कनेक्शन, लॉग बनाए रखना, सीएस/एसएमएस साझा करना तथा ऑडिट हेतु उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। डैशबोर्ड, सीओपीई टर्मिनल आदि से संबंधित सुझाव के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि ये तकनीकी कार्यक्षमता के विषय हैं, जिन्हें मार्केट प्रैक्टिस के माध्यम से अधिक उपयुक्त रूप से संबोधित किया जा सकता है।
 - सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एमआईबी द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।
 - इसके अतिरिक्त, सभी सेवा प्रदाताओं को भादूविप्रा के सेवा गुणवत्ता एवं उपभोक्ता संरक्षण (एड्रसेबल सिस्टम) विनियम, 2017 (यथा संशोधित) सहित भादूविप्रा के सभी लागू विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है।

- यूनीवर्सल ओवर्ट फिंगरप्रिंटिंग के सुझाव के संबंध में, यह उपयोगकर्ता अनुभव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। किसी कॉम्प्रोमाइज्ड डीपीओ की पहचान आवश्यक होने पर, संबंधित डीपीओ के विशिष्ट सेगमेंट के लिए फिंगरप्रिंटिंग प्रारंभ की जा सकती है।
- ऑडिट शुल्क के विनियमन के संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि भादूविप्रा द्वारा इस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में ऑडिटर्स को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ऑडिट शुल्क प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं।
- पर्याप्त प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने वाले सूचीबद्ध ऑडिटर्स की संख्या को ध्यान में रखते हुए, ई.ओ.आई. के अंतर्गत किसी एक फर्म द्वारा किसी डीपीओ का तीन वर्षों से अधिक अवधि तक निरंतर ऑडिट करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, न कि किसी फर्म द्वारा किए जाने वाले ऑडिट की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है।
- ऑडिट से संबंधित वे मैक्रो प्रक्रियात्मक विवरण, जिन्हें सभी डीपीओ पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, ऑडिट मैनुअल में सम्मिलित किए गए हैं अथवा किए जाएंगे। तकनीकी कार्यक्षमताओं से संबंधित अन्य शेष विषयों के संबंध में, प्राधिकरण का मत है कि ऐसे तकनीकी/सूक्ष्म विवरणों को विनियमों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है।

मसौदा विनियम 2025

155. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि एसएमएस तथा सीएस/डीआरएम में प्रत्येक वितरक के लिए क्रमशः अनुसूची III और अनुसूची X में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, साझा एसएमएस/सीएस/डीआरएम का उपयोग करते हुए प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंसेज बनाए जाने चाहिए तथा दो या दो से अधिक वितरकों के बीच डेटा को निम्न प्रकार से पृथक् किया जाना चाहिए कि एसएमएस और सीएस/डीआरएम के बीच इकाई वार मिलान किया जाना संभव हो।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

156. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- प्रस्तावित प्रावधानों से सहमत हैं।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रावधानों को शामिल करने से सहमत होते हुए यह सुझाव दिया गया कि भादूविप्रा को सभी प्रासंगिक अनुसूचियों में इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण से संबंधित प्रावधानों का समन्वय करना चाहिए तथा यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि साझा सिस्टम्स में सीएस, एसएमएस तथा कंटेंट एक्विजिशन सिस्टम्स/सिग्नल्स भी शामिल हो सकते हैं। किसी भी भ्रम से बचने के लिए यह भी सुझाव दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण से संबंधित प्रावधानों को अनुसूची IX तक विस्तारित किया जाए (क्योंकि वर्तमान में यह केवल अनुसूची III और अनुसूची X तक सीमित हैं)।
- यह प्रावधान अनुपालन करने वाले डीटीएच ऑपरेटरों पर अत्यधिक, अनावश्यक और बिना क्षतिपूर्ति के पूंजीगत व्यय का बोझ डालता है और कई वितरकों के लिए महंगे “अलग-अलग इंस्टेंस” लागू करने के लिए बाध्य करना केवल एक कठोर विनियामक परिभाषा को संतुष्ट करता है, परिचालनात्मक अतिरेक उत्पन्न करता है और अंततः सेवा लागत में वृद्धि होगी जो सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ेगी।
- प्रावधानों से असहमत। मसौदा संशोधन अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए कोई मूलभूत विश्लेषण किए बिना इंफ्रास्ट्रक्चर साझा के लिए एक फ्रेमवर्क पेश करने का प्रस्ताव करता है। सुझाव दिया गया कि इन

प्रावधानों को तब तक अंतिम रूप न दिया जाए, जब तक कि आवश्यक आधारभूत अध्ययन विनियामक सैंडबॉक्सिंग के माध्यम से न किए जाएँ और उन्हें परामर्श हेतु हितधारकों के साथ साझा न किया जाए। प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने का प्रस्ताव करने वाले और/या इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों को कवर करते हुए संयुक्त और एक साथ ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

- मसौदा विनियम यह स्पष्ट नहीं करते कि अनेक डीपीओ द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की स्थिति में एसएमएस और सीएस/डीआरएम के अलग-अलग इंस्टेंस तकनीकी रूप से कैसे लागू किए जाएँगे। अस्पष्टता और दुरुपयोग को रोकने के लिए भादूविप्रा को सिस्टम सैग्रीगेशन, डेटा एक्सेस तथा ऑडिटेबिलिटी को स्पष्ट करते हुए विस्तृत तकनीकी दिशानिर्देश जारी करने चाहिए। निम्नलिखित प्रस्तुत किया गया:
 - i. साझा एसएमएस और डीआरएम सिस्टम्स प्रत्येक डीपीओ के लिए सभी निर्धारित आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम होनी चाहिए। प्रत्येक डीपीओ के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाएँ और डेटा का पूर्ण पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए ताकि एसएमएस और डीआरएम के बीच इकाई-वार मिलान संभव हो सके।
 - ii. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर सहित सभी डीपीओ के लिए ऑडिट एक साथ आरंभ किया जाना चाहिए।
 - iii. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाले डीपीओ का सिस्टम्स (एसएमएस और सीएस) इंफ्रास्ट्रक्चर चाहने वाले प्रत्येक डीपीओ के लिए अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विनियमों के उल्लंघन की स्थिति में, जिसमें सब्सक्रिप्शन शुल्क के भुगतान में चूक या पायरेसी शामिल है, प्रसारकों को व्यक्तिगत डीपीओ के सिग्नल डिस्कनेक्ट करने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही, प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त एवं एक साथ ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
 - iv. सीएस संबंधित वितरकों के सभी एसटीबी/वीसी को व्हाइटलिस्टिंग करने और टैग करने में सक्षम होगा और सीएस में निष्पादित प्रत्येक आदेश के अनुरूप कम से कम तुरंत पहले के तीन लगातार वर्षों की अवधि के लिए तारीख और समय की मुहर के साथ लॉग बनाने, रिकॉर्ड करने और बनाए रखने में सक्षम होगा, जिसमें एसएमएस द्वारा जारी एकटीवेशन और डीएकटीवेशन आदेश शामिल हैं, परंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।
 - v. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के लिए सीएस इंस्टेंस को अलग-अलग डेटाबेस के साथ लॉजिकल इंस्टेंस के रूप में पृथक् किया जाना चाहिए। केवल हार्डवेयर तथा उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर (स्थान और पावर) साझा की जानी चाहिए।
 - vi. प्रत्येक सीएस इंस्टेंस केवल एक एसएमएस के साथ कम्यूनिकेट करेगा। एक से अधिक एसएमएस द्वारा संबोधित किए जाने वाले सीएस इंस्टेंस की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में वन-टू-वन पत्राचार समाप्त हो जाता है।
 - vii. प्रसारक को डीपीओ को इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने की अनुमति देने से पूर्व तकनीकी ऑडिट कराने का अधिकार होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि डीपीओ का सिस्टम्स भादूविप्रा विनियमों के अनुरूप है।
- बकाया राशि या पायरेसी के कारण डिस्कनेक्शन का सामना कर रहे डीपीओ को इंफ्रा-शेयरिंग अरेंजमेंट के ज़रिए प्रसारक की कार्रवाई को बायपास करने से रोकना चाहिए और ऐसे डीपीओ को किसी दूसरे वितरक के ज़रिए प्रसारक सिग्नल एक्सेस करने की अनुमति देने से इन्फोर्समेंट एक्शन नाकाम हो जाएंगे और गैर-अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करने से पूर्व डीपीओ को संबंधित प्रसारक से पूर्व लिखित अनुमोदन या अनापति प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए तथा साझाकरण को क्रियान्वित करने से पहले प्रसारकों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के सिस्टम्स का ऑडिट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

विश्लेषण

157. प्राधिकरण ने नोट किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए सरकार द्वारा जारी संबंधित दिशानिर्देशों/विधियों द्वारा शासित होता है, जैसे कि डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ आदि। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के दिशानिर्देश पहले से ही सीएस/एसएमएस सहित इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की अनुमति देते हैं। तदनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं को इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करते समय अथवा उसका संचालन करते समय एमआईबी द्वारा जारी इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

158. मौजूदा विनियमों में, इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के मद (ग)(2) में यह प्रावधान किया गया है कि:

“एसएमएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स के जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए एसएमएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।”

इसी प्रकार इंटरकनेक्शन विनियम, 2017 की अनुसूची III के मद (ग)(14) में यह प्रावधान है कि—

“सीएस में निष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा जारी एक्टीवेशन एवं डिएक्टीवेशन कमांड सहित, मगर इन्हीं तक सीमित नहीं, के अनुरूप कम से कम दो पिछले क्रमागत वर्षों के लिए लॉग्स के जनरेट, रिकार्ड और मैटेन करने के लिए सीएस स्वतंत्र रूप से समर्थ होगा।”

159. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची X में भी इसी प्रकार के प्रावधान विद्यमान हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, जहाँ एसएमएस, सीएस तथा डीआरएम को भी साझा किया जा सकता है, इन प्रावधानों में संशोधन आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसएमएस, सीएस और डीआरएम सिस्टम्स प्रत्येक वितरक के लिए इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। इसके अतिरिक्त, साझा एसएमएस/सीएस/डीआरएम का उपयोग करते हुए प्रत्येक वितरक के लिए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए जाने चाहिए तथा दो या अधिक वितरकों के बीच डेटा का निम्न प्रकार से पृथक्करण किया जाना चाहिए कि एसएमएस और सीएस/डीआरएम के बीच इकाई वार मिलान संभव हो सके।

160. दिनांक 9 अगस्त 2024 के परामर्श पत्र में उठाए गए ऑडिट मैनुअल से संबंधित अन्य मुद्दों के संदर्भ में, प्रश्न संख्या 7, 8, 15, 16 और 18 के माध्यम से प्राप्त हितधारकों की टिप्पणियों को नोट किया गया है और उनकी जांच की गई है। इन टिप्पणियों में ऑडिट मैनुअल में क्लॉज वाइज़ सुझाव तथा इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के कारण आवश्यक संशोधन शामिल हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ऑडिट मैनुअल में उपयुक्त संशोधनों पर विचार करेगा।

161. उपर्युक्त के मद्देनज़र, सातवें संशोधन विनियमों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तथापि, मार्केट डेवलपमेंट्स पर निगरानी रखी जाएगी और यदि आवश्यक प्रतीत हुआ, तो उचित समय पर हस्तक्षेप करने पर विचार किया जा सकता है।

इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रावधान – वॉटरमार्किंग

162. परामर्श पत्र में, परामर्श हेतु अन्य मुद्दे निम्न प्रकार से रखे गए थे:

प्रश्न 9. एमआईबी द्वारा जारी इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण दिशानिर्देशों के आलोक में, क्या इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची-III के खंड घ-14 (सीएस और एसएमएस) में निम्नानुसार संशोधन किया जाना चाहिए:

“सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल एन्कोडर एंड पर इनसर्ट किया जाएगा। बशर्ते कि, दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) के प्रवर्तन के बाद तैनात किए गए एन्कोडर ही एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो का सपोर्ट करेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा।”

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया उपर्युक्त औचित्य के साथ वैकल्पिक संशोधन का सुझाव दें?

प्रश्न 10. इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, यदि यह निर्णय लिया जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, तो—

- i) क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर वितरकों दोनों के लोगोज़ (पारदर्शिता स्तर, आकार आदि) के विनिर्देशों, को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो कृपया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर, वितरक दोनों के लोगोज़ के लिए विस्तृत विनिर्देश (पारदर्शिता स्तर, आकार आदि) प्रदान करें।
- ii) चूँकि टीवी स्क्रीन पर एक से अधिक डीपीओ के लोगोज़ की उपस्थिति से सब्सक्राइबर के स्तर पर वीडियो सिग्नल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए ऐसे कौन से उपाय, जैसे कि डीपीओ के लोगो को ओवरलैप करना या कोई और समाधान, अपनाए जाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि डीपीओ (इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर) का लोगो सब्सक्राइबर की टीवी स्क्रीन पर साफ़ दिखाई दे, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता डीपीओ के नेटवर्क लोगो पर वॉटरमार्किंग करके पायरेसी का पता लगाने का मकसद भी पूरा हो? कृपया प्रस्तावित उपाय का विवरण दें।

कृपया अपने उत्तर के समर्थन में उचित औचित्य और तर्क प्रस्तुत करें।

परामर्श पत्र के प्रश्न 9 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

163. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को मोटे तौर पर संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता सभी पे चैनलों के लिए एन्कोडर छोर से नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा तथा साझा नेटवर्क में शामिल डीपीओ अपने-अपने स्तर पर एसटीबी छोर से अपना लोगो भी डालेगा। यह व्यवस्था आवश्यक मानी गई ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर साझा करने वाले ऑपरेटर्स को वॉटरमार्किंग के ज़रिए पायरेसी के लिए अलग-अलग पहचान संभव हो सके।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, वॉटरमार्किंग लोगो को या एन्कोडर छोर पर अथवा एसटीबी छोर पर डाला जा सकता है।
- पायरेसी की किसी भी अनावश्यक घटना को रोकने के लिए वॉटरमार्किंग लोगो को असल में सिर्फ एन्कोडर छोर पर डाला जाना चाहिए। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, वॉटरमार्किंग लोगो को या तो एन्कोडर छोर या एसटीबी छोर पर डाला जा सकता है।
- वॉटरमार्किंग लोगो को एन्कोडर छोर अथवा एसटीबी छोर पर डाला जा सकता है और इसका निर्णय प्रदाता तथा सीकर के बीच पारस्परिक सहमति से होना चाहिए।
- यदि इंफ्रास्ट्रक्चर साझा किया जाना है, तो लोगो केवल एसटीबी छोर ही लगाया जाना चाहिए अथवा यदि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और डीपीओ दोनों के लोगो को स्क्रीन पर अलग-अलग स्थानों पर इस प्रकार से रखा जाना चाहिए कि वे एक-दूसरे को ओवरलैप न करें।
- एन्कोडर स्तर पर वॉटरमार्किंग लोगो का सम्मिलन अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए और केवल एसटीबी स्तर पर लोगो का सम्मिलन ही इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की आवश्यकताओं तथा एंटी-पायरेसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो सकता है।
- अधिकांश एमएसओ के पास पुराने एन्कोडर उपलब्ध हैं और अपग्रेड के लिए विक्रेता समर्थन उपलब्ध नहीं है। छोटे डीपीओ के लिए नए हार्डवेयर पर होने वाला व्यय वहन करना संभव नहीं है। इसलिए, सीमित भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत और वास्तविक रूप से पायरेसी की संभावना न रखने वाले एमएसओ के लिए कुछ छूट प्रदान किए जाने का सुझाव दिया गया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण व्यवस्थाओं में, एन्कोडर छोर से लोगो डालने से लोगो ओवरलैप, दृश्य अव्यवस्था तथा उपभोक्ता अनुभव से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, अतः एन्कोडर छोर से वॉटरमार्किंग लोगो का सम्मिलन अनिवार्य नहीं होना चाहिए। एंटी-पायरेसी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यदि कोई वॉटरमार्किंग लोगो को बदलने या मास्क करने में सक्षम हो जाता है, तो डीपीओ-ट्रिगर फिंगरप्रिंट निम्न तरीके से उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है:
 1. प्रसारक, अपने द्वारा ट्रिगर किए गए फिंगरप्रिंट के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की पहचान कर सकेगा।
 2. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की पहचान होने पर, प्रसारक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को उत्तरदायी ठहराएगा कि वह वास्तविक डीपीओ (इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर/ इंफ्रा प्रदाता) के एसटीबी आईडी की पहचान हेतु डीपीओ ट्रिगर्ड फिंगरप्रिंट सक्रिय करे।
 3. चूंकि वर्तमान में इंफ्रा प्रदाता के पास इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर के एसटीबी पर फिंगरप्रिंट ट्रिगर करने की प्रत्यक्ष क्षमता उपलब्ध नहीं है, इसलिए दो संभावित समाधान सुझाए गए हैं—
 - सभी इंफ्रा सीकर्स के फिंगरप्रिंट एपीआई का उपयोग कर एक साझा यूटिलिटी विकसित की जाए, जिससे यह फिंगरप्रिंट तत्काल ट्रिगर्स करे; अथवा
 - सभी भागीदार डीपीओ की एक साझा एंटी-पायरेसी टीम स्थापित की जाए, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर फिंगरप्रिंट ट्रिगर करे।

- प्रस्तावित शर्तों को लागू करने से पूर्व उनका उचित परीक्षण और व्यावहारिक सत्यापन आवश्यक है। यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सीएस या एसएमएस के माध्यम से निष्पादित कमांड को किसी विशिष्ट डीपीओ से निश्चित रूप से कैसे जोड़ा जा सकता है। भादूविप्रा को किसी भी व्यापक परिवर्तन को लागू करने से पूर्व विनियामक सैंडबॉक्सिंग के माध्यम से परीक्षण करना चाहिए। हितधारक द्वारा निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव भी रखा गया:

“सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग केवल एन्कोडर छोर पर डाला जाएगा। बशर्ते कि दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं इंटरकनेक्शन (एड्रसेबल सिस्टम) (संशोधन) विनियम, 2019 (2019 का 7) के प्रभाव में आने से पूर्व लगाए गए स्मिर्फ ऐसे एन्कोडर, जो एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग का समर्थन नहीं करते हैं, उन्हें 31 मार्च 2025 को या उससे पूर्व हटा दिए जाएंगे और उन्हें ऐसे एन्कोडरों से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग का समर्थन करते हों।

इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा। स्क्रीन पर दो वॉटरमार्क स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए, एक वॉटरमार्क एन्कोडर छोर से इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का, तथा दूसरा वॉटरमार्क एसटीबी छोर से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएँ लेने वाले डीपीओ का। बशर्ते कि एसटीबी वॉटरमार्क 50% पारदर्शी होना चाहिए।”

164. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के बाद के भाग में प्रस्तुत इन मसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियों में नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग से संबंधित विनियामक प्रावधानों के औचित्य को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता द्वारा एन्कोडर छोर पर तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर द्वारा एसटीबी/मिडलवेयर के माध्यम से प्रदान किया जाना है।

परामर्श पत्र के प्रश्न 10 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

165. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- एसटीबी छोर पर कार्यान्वयन में विकास और आवश्यक विनिर्देशों से जुड़ी जटिलताओं को देखते हुए, लोगो के स्पेसिफिकेशन को विनियमित नहीं किया जाना चाहिए। स्पेसिफिकेशन तय करने का काम ऑपरेटरों पर छोड़ देना चाहिए।
- दो लोगो प्रदर्शित करने से न केवल जटिलताएं और दिक्कतें उत्पन्न होंगी, बल्कि यह उपभोक्ता के देखने के अनुभव को भी बाधित करेगा। इससे उपभोक्ता को तीन लोगो दिखाई देंगे (i) इंफ्रा सेवा प्रदाता का, (ii) इंफ्रा सेवा सीकर का और (iii) प्रसारक का। यह डीपीओ द्वारा चलाए जाने वाले अनिवार्य संदेशों या स्कॉल के अतिरिक्त होगा। पायरेसी नियंत्रण का उद्देश्य प्रसारक-स्तर तथा एसटीबी-स्तर पर फिंगरप्रिंट फ्लैश करके पूरा किया जा सकता है।

- प्रसारक के लोगो के साथ स्क्रीन पर दो डीपीओ के लोगो दिखाई देने से उपभोक्ता अनुभव खराब होगा और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, इसलिए, स्क्रीन पर दोनों डीपीओ के लोगो दिखाना मुश्किल होगा और यह सुझाव दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर डीपीओ के लोगो को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- डीपीओ लोगो के लिए पारदर्शिता का वर्तमान स्तर लगभग 80% बनाए रखा जाना चाहिए।
- उपभोक्ता के छोर पर वीडियो सिग्नल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग के माध्यम से पायरेसी रोकने के लिए कुछ नियम बनाए जाने चाहिए, जैसे कि:
 - लोगो का आकार 1080पी से अधिक न हो;
 - लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दें;
 - टीवी स्क्रीन पर किसी डीपीओ या प्रसारक के एक से अधिक लोगो प्रदर्शित नहीं होने चाहिए।
- चूंकि स्क्रीन पर दो वॉटरमार्क प्रदर्शित होंगे, इसलिए एसटीबी-छोर पर प्रदर्शित वॉटरमार्क को 50% पारदर्शिता पर रखा जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को देखने के अनुभव में बाधा न आए। प्राथमिक डीपीओ/इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता को एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए अपना नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग प्रदर्शित करना चाहिए, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता वितरक से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ सभी पे चैनलों के लिए एसटीबी छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालेगा, जिसे इस तरह से रखा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग प्रोवाइडर का नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग ओवरलैप या छिपा हुआ न हो। आदर्श रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्रदाता का लोगो 2 सेमी×2 सेमी आकार का, 50% पारदर्शी होना चाहिए और स्क्रीन के निचले दाईं ओर रखा जाना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता से सेवाएं लेने वाले प्रत्येक डीपीओ का लोगो 1.5 सेमी×1.5 सेमी आकार का, 50% पारदर्शी होकर स्क्रीन के निचले बाईं कोने पर डालेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दोनों लोगो सब्सक्राइबर की टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई दें। यह व्यवस्था फील्ड टीम को दोनों लोगो की स्पष्ट पहचान में सहायता करेगी और पायरेसी की स्थिति में सिग्नल के स्रोत का पता लगाने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण प्लेटफॉर्म के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि सभी एसटीबी पर प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर फिंगरप्रिंटिंग इनेबल की जाए।

166. मसौदा विनियम 2025 को तैयार करते समय हितधारकों की उपर्युक्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया था। इस व्याख्यात्मक जापन के बाद के भाग में प्रस्तुत मसौदा विनियमों पर हितधारकों की टिप्पणियों में अंतिम उपभोक्ता को सर्वोत्तम देखने का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से टीवी स्क्रीन पर लोगो के स्पेसिफिकेशन्स से संबंधित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है।

167. मसौदा विनियम 2025 में यह प्रस्तावित किया गया था कि सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो का वॉटरमार्किंग केवल एन्कोडर छोर पर डालने की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता पर लागू होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर एसटीबी/मिडलवेयर के माध्यम से नेटवर्क लोगो प्रदान करेगा। तथापि, उपभोक्ता के छोर पर अधिमानतः केवल दो ही लोगो दिखें अर्थात् केवल प्रसारक और लास्ट-माइल वितरक के लोगो।

मसौदा विनियम 2025 पर हितधारकों की टिप्पणियों का संक्षिप्त सारांश

168. प्रत्युत्तर में, हितधारकों से प्राप्त विभिन्न विचारों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है:

- ग्राहक अनुभव पर प्रतिकूल प्रभाव तथा डीपीओ पर भारी लागत के कारण एन्कोडर-स्तर पर लोगो इंसर्शन को अनिवार्य करना अनुशंसित नहीं है, यह दृष्टिकोण सेट-टॉप बॉक्स पर स्वचालित रूप से दूसरे सेवा प्रदाता का

लोगो प्रदर्शित करना एक जटिल और भ्रमित करने की स्थिति उत्पन्न करता है। उपभोक्ता को इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाता का और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहने वाले का, दोनों के लोगो दिखाई देंगे और इससे जटिलताओं के अलावा, इससे दर्शक भी परेशान होंगे, क्योंकि उन्हें तीन लोगो (एक ब्रॉडकास्टर का, और दो सेवा प्रदाता के, साथ में मैसेज और स्कॉल भी चलेंगे) दिखाई देंगे। केवल एसटीबी-स्तर पर लोगो प्रविष्टि ही इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण की आवश्यकताओं तथा एंटी-पायरेसी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त है।

- सभी पे चैनलों के लिए नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग सामान्यतः एन्कोडर छोर पर डाला जाए। तथापि, ऐसे मामलों में जहाँ सिग्नल साझा इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वितरित किए जाते हैं और डीपीओ अपना नेटवर्क लोगो सेट-टॉप बॉक्स (एसटीबी) या मिडलवेयर के माध्यम से प्रदर्शित करता है, वहाँ एन्कोडर छोर पर उस डीपीओ का वॉटरमार्किंग लोगो डालने की आवश्यकता लागू नहीं होगी, बशर्ते कि (क) इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता अपस्ट्रीम ट्रांसेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एन्कोडर छोर पर प्रसारक का पहचानकर्ता या वॉटरमार्क सम्मिलित करे अथवा बनाए रखे; और (ख) संबंधित डीपीओ यह सुनिश्चित करे कि उसका एसटीबी या मिडलवेयर तकनीकी रूप से प्रमाणित हो, उसमें नॉन-डिसेबल फॉरेंसिक वॉटरमार्किंग या ओवरले की सुविधा हो, उपयुक्त लॉग बनाए रखे जाएँ, तथा वह उन सभी सुरक्षा, ऑडिट और तकनीकी आवश्यकताओं का अनुपालन करे, जिन्हें प्राधिकरण समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकता है।
- “अधिमानतः” शब्द का समावेश तथा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के लोगो के अनिवार्य प्रदर्शन का अभाव, इस नए प्रावधान को कमजोर बनाता है, जो अनुसूची-III के अंतर्गत अपेक्षित सख्त तकनीकी अनुपालन के अनुरूप नहीं है। एंटी-पायरेसी उपायों को प्रभावी बनाने के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए कि प्रसारक, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता और लास्ट-माइल डीपीओ, तीनों के लोगो उपभोक्ता की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से और बिना किसी ओवरलैपिंग के दिखाई दें। इस फ्रेमवर्क को तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए, जब तक इसकी व्यावहारिक व्यवहार्यता और सुरक्षा का परीक्षण करने हेतु एक समग्र, पारदर्शी विनियामक सैंडबॉक्सिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।
- विनियमन में व्यावसायिक आवश्यकता के अनुसार प्रसारक लोगो के साथ डीटीएच नेटवर्क लोगो को अनिवार्य करने की स्पष्ट अनुमति दी जानी चाहिए। डीपीओ की ब्रांडिंग को गैर-पसंदीदा स्थान तक सीमित करना अथवा लोगो की दृश्यता को सीमित करना, डीपीओ के अपने नेटवर्क का विपणन और सुरक्षा करने के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप करता है तथा वास्तविक सेवा प्रदाता की उपभोक्ता पहचान को कमजोर करता है।

विश्लेषण

169. इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची III के मद (घ) 14 के अनुसार:

“सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो केवल एन्कोडर एंड में इन्सर्ट किया जाएगा।

बशर्ते इन संशोधन विनियमों के लागू होने के बाद, स्थापित किए गए एन्कोडर केवल एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के लिए वॉटरमार्किंग नेटवर्क लोगो को सपोर्ट करेंगे।”

इसी प्रकार के प्रावधान इंटरकनेक्शन विनियम 2017 की अनुसूची-X में भी निहित हैं।

170 इंटरकनेक्शन विनियम 2017 के अंतर्गत पे चैनलों के लिए एन्कोडर छोर से नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग का डालना अनिवार्य किया गया था। उक्त प्रावधान का मुख्य उद्देश्य पायरेसी से निपटना था, जिसके अंतर्गत पायरेसी में प्रयुक्त सिग्नल के स्रोत की पहचान की जा सके। यह व्यवस्था आवश्यक है क्योंकि कोई गलत इकाई केवल

एसटीबी स्तर पर डाले गए लोगो को निष्क्रिय करने या उसके साथ छेड़छाड़ करने में सक्षम हो सकती है। हालाँकि, डीपीओ के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर साझाकरण के मामलों में, चूँकि एन्कोडर एक से अधिक डीपीओ द्वारा साझा किए जा सकते हैं, प्रत्येक डीपीओ के लिए एन्कोडर छोर से अलग-अलग वॉटरमार्किंग लोगो डालने से अंतिम स्क्रीन पर कई डीपीओ के लोगो दिखाई देंगे, जिससे टीवी स्क्रीन पर वीडियो सिग्नल को देखने के अनुभव की गुणवत्ता से समझौता होगा।

171. तदनुसार, प्राधिकरण का मत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं को केवल एन्कोडर छोर पर नेटवर्क लोगो वॉटरमार्किंग डालने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर सीकर को एसटीबी अथवा मिडलवेयर के माध्यम से अपना नेटवर्क लोगो प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है।
172. ऐसे परिदृश्य में, यदि प्रसारक चाहे, तो उसे प्रसारक-प्रेरित फिंगरप्रिंट का उपयोग कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के स्रोत की पहचान हो जाने पर, प्रसारक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता से वास्तविक डीपीओ की एसटीबी पहचान निर्धारित करने के लिए डीपीओ-प्रेरित फिंगरप्रिंट सक्रिय करने का अनुरोध कर सकता है। यह आर्किटेक्चर कई लोगो को वीडियो सिग्नल में रुकावट डालने से रोकता है और अलग-अलग एन्कोडर लगाने से जुड़े अतिरिक्त वित्तीय बोझ से भी बचाता है।
173. तथापि, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, प्राधिकरण का यह मत है कि वीडियो संकेतों पर अनेक लोगो के प्रदर्शित होने से बचा जाना आवश्यक है। तदनुसार, ग्राहक के अंतिम स्क्रीन पर किसी भी समय अधिमानतः दो से अधिक लोगो प्रदर्शित नहीं होने चाहिए, जिनमें एक प्रसारक का तथा दूसरा लास्ट माइल वितरक का हो। लोगो के स्पेसिफिकेशन्स का निर्धारण सेवा प्रदाताओं पर छोड़ा जाता है। प्राधिकरण का यह भी मत है कि सेवा प्रदाता सामान्यतः अंतिम उपभोक्ता को सर्वोत्तम दृश्य अनुभव प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
174. उपर्युक्त के मद्देनज़र, सातवें संशोधन विनियमों में उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। तथापि, मार्केट डेवलपमेंट्स पर निगरानी रखी जाएगी और यदि आवश्यक प्रतीत हुआ, तो उचित समय पर हस्तक्षेप करने पर विचार किया जा सकता है।

परिवर्णी शब्दों की सूची

परिवर्णी शब्द	विवरण
बेसिल	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
सीएसएस	कंडीशनल एक्सेस सिस्टम
डीएसएस	डिजिटल एट्रिसेबल सिस्टम
डीआरएम	डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट
डीपीओ	डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर
डीटीएच	डायरेक्ट टू होम
ईसीएम	पात्रता नियंत्रण संदेश
ईएमएम	पात्रता प्रबंधन संदेश
ईओआई	रुचि की अभिव्यक्ति
एचआईटीएस	हेड-एंड इन द स्काई
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
जेवी	ज्वाइंट वेंचर
एमआईबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एमएसओ	मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर
एमएसआर	मासिक सब्सक्रिप्शन रिपोर्ट
ओएचडी	ओपन हाउस डिस्कशन
आरआईओ	रेफरेंस इंटरकनेक्शन ऑफर
एसएमएस	सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम
एसटीबी	सेट टॉप बॉक्स
टीडीसैट	दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण
भादूविप्रा	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएस	ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th February, 2026

**THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES
INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (SEVENTH AMENDMENT)****REGULATIONS, 2026
(1 of 2026)**

F. No. RG-1/1/(1)/2025-B AND CS(2).— In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, —

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and

(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, —

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017), namely: -

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2026 (1 of 2026).

(2) These regulations shall apply throughout the territory of India.

(3) They shall come into force from the 1st April, 2026.
2. In regulation 15 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the “principal regulations”), --

(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Every distributor of television channels shall get addressable system of its distribution platform, such as subscriber management system, conditional access system, digital rights management system, and other related systems audited once every year, for the preceding financial year, by an auditor, to verify the information contained in the monthly subscription reports made available by the distributor to the broadcasters, and the distributor shall ensure that the relevant audit report, including all annexures, is shared with each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement, by the 30th September every year:

Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every distributor of television channels to get the audit, under this sub-regulation, conducted from any of such empanelled auditors, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited:

Provided further that the distributor shall inform the broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement, at least thirty days in advance, the schedule of audit and the name of the auditor:

Provided also that the broadcaster may depute one representative to attend the audit and share inputs of the broadcaster for verification during the audit process and the distributor shall permit such representative to attend the audit.

Explanation: For removal of doubt, it is clarified that the presence of the representative of the broadcaster is for the limited purpose of sharing inputs, if any, for verification during the audit process, and does not entitle him to direct or influence, in any manner, the conduct of the audit:

Provided also that it shall be optional for the distributors of television channels, whose active number of subscribers on the last day of the preceding financial year does not exceed thirty thousand, to get the audit conducted under this regulation:

Explanation: For removal of doubt, it is clarified that in the case of infrastructure sharing or Joint Ventures, the combined subscriber base of all distributors utilizing such infrastructure shall be taken into account for determining applicability of above proviso.

Provided also that the empanelled auditor, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, conducting the audit of the addressable systems, shall furnish the audit report, along with an audit certificate, to the distributor confirming that the auditor is independent of the auditee and that the audit was conducted in accordance with the provisions of the regulations, and the auditor shall also furnish such other information or certification as may be specified by the Authority from time to time:

Provided also that after coming into effect of these regulations, the unaudited period, if any, preceding the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit.

Explanation: For removal of doubt, it is clarified that in case of first audit after the implementation of these regulations, an unaudited period, if any, preceding to the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit and any overlapping period for which the audit has already been done in the year 2025 shall be excluded from the audit.

Provided further that any variation, due to audit, resulting in less than zero point five percent of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid.”

- (b) in sub-regulation (1A), for the words “in a calendar year of its subscriber management system, conditional access system and other related systems”, the words “in a year within the specified time, of addressable system of its distribution platform” shall be substituted;
- (c) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) In case a broadcaster receives the audit report by the 30th September under sub-regulation (1) and finds significant inadequacies or discrepancies in such audit report, it may point out the same, in writing, to the distributor of television channel from whom the audit report has been received, with its specific observations and with supporting documents, if any, within forty-five days of receipt of the audit report:

Provided that the distributor shall, on receiving observations from broadcaster, refer the same to the auditor, within seven days of its receipt, to examine and address the observations and the auditor shall, after addressing the observations of the broadcaster, provide its updated audit report to the distributor within a period of thirty days, which the distributor shall forward to the broadcaster within seven days of its receipt:

Provided further that if the broadcaster finds that its observations have not been addressed completely, it may make a representation before the Authority with its specific observations and supporting documents, if any, within thirty days of receipt of updated audit report:

Provided also that the Authority will examine the representation of the broadcaster, at such fees and costs, as may be specified by the Authority, which shall be borne by the broadcaster and, upon such examination, the Authority may permit the broadcaster to get the audit conducted from any of the auditors empanelled by the Authority, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, to verify the inadequacies/discrepancies pointed out by the broadcaster and the cost of such audit shall be borne by the broadcaster.

(d) after sub-regulation (2), so substituted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

(2A) In case a broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the 30th September from the distributor of a television channel who is under obligation to get its addressable systems audited under sub-regulation (1), it shall be permissible to the broadcasters, either jointly or severally, and after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system of such distributor of television channels done, from any of the auditors empanelled by the Authority, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, at its own cost:

Provided that where the audit under sub-regulation (1) is optional for the distributor of a television channel, it shall be permissible to the broadcasters, after informing the distributor, in writing, to jointly get the audit of the addressable system done, from any of the auditors empanelled by the Authority, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, at their own cost.

Explanation: It is clarified that an audit under these provisions can be got done by a broadcaster only once in a financial year and such audit shall be completed within five months from the 30th September of that financial year.

(2B) In case the audit conducted under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) or sub-regulation (2A) reveals that –

- (a) there is a discrepancy in the number of subscribers, the payment amount may be settled in accordance with the provisions of the interconnection agreement entered into between the broadcaster and the distributor;
- (b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor.”

3. In Schedule III of the principal regulations,-

(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-

“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation.”;

(b) after item (E), the following item shall be inserted, namely:-

“(F) **Infrastructure sharing cases:-**

1. SMS and CAS should have capability to meet all the requirements of each distributor as specified in this schedule. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/CAS and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and CAS.
2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”

4. In Schedule X of the principal regulations,-

(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-

“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation.”;

(b) after item (F), the following item shall be inserted, namely:-

“(G) Infrastructure sharing cases -

1. SMS and DRM should have capability to meet all the requirements of each distributor as specified in this schedule. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/DRM and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and DRM.
2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”

ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./658/2025-26]

Note.1---- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 21-4/2016-B&CS dated the 3rd March, 2017 (1 of 2017).

Note. 2---- The principal regulations were amended vide notification No. 21-6/2019-B&CS dated the 30th October, 2019 (7 of 2019).

Note. 3---- The principal regulations were further amended vide notification No. 21-5/2019-B&CS dated 1st January 2020 (1 of 2020).

Note. 4---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/ (3)/2021-B AND CS (2) dated 11th June 2021 (1 of 2021).

Note. 5---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/(2)/2022-B AND CS (2) dated 22nd November 2022 (2 of 2022).

Note. 6---- The principal regulations were further amended vide notification No. C-1/2/(1)/2021-B AND CS(2) dated 14th September 2023 (4 of 2023).

Note. 7---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-8/1/(9)/2021-B AND CS (1 AND 3) dated 8th July 2024 (4 of 2024).

Note. 8---- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2026 (1 of 2026).

Explanatory Memorandum

Introduction and Background

1. On 3rd March 2017, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017. The said regulations were further amended vide a notification dated 30th October 2019, 1st January 2020, 11th June 2021, 22nd November 2022, 14th September 2023 and 8th July 2024 (the principal regulations along with its amendments are hereinafter referred to as “Interconnection Regulations 2017”).
2. Given the size and structure of the sector and the fast changes in technology and business models, there is a need for regulations to evolve with time to resolve the issues raised by stakeholders. Stakeholders have been raising certain issues for review of audit related provisions contained in the Interconnection Regulations 2017. Further, to incorporate infrastructure sharing related provisions contained in the infrastructure sharing guidelines for MSOs dated 29th December 2021, for HITS dated 06th November 2020, and for DTH dated 16th September 2022, issued by the Ministry of Information and Broadcasting (hereinafter referred to as the “MIB”), there is a need to review the audit related provisions and corresponding schedules of the Interconnection Regulations 2017. Accordingly, TRAI issued a consultation paper on ‘Audit related provisions of Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual’ on 9th August 2024 (hereinafter referred to as the “consultation paper”) for seeking comments of the stakeholders. Comments and counter comments received from stakeholders were placed on TRAI’s website. This was followed by an open house discussion on 5th December 2024.
3. After duly considering all the comments and counter-comments received from the stakeholders in response to the consultation paper and its own analysis, the Authority issued Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2025 on 22nd September 2025 (hereinafter referred to as the “draft Regulations 2025”), for seeking further comments of the stakeholders. Comments received from stakeholders on draft Regulations 2025 were placed on TRAI’s website.
4. After taking into consideration the comments received from the stakeholders in response to the consultation paper and draft Regulations 2025 and in-house analysis, the Authority has finalized the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2026 (hereinafter referred to as the “Seventh Amendment Regulations”). The comments of the stakeholders received on various provisions contained in draft Regulations 2025 have been addressed in detail in the explanatory memorandum. The subsequent paragraphs explain the objects and reasons of the Seventh Amendment Regulations.

Audit related provisions in the Interconnection Regulations 2017

5. Regulation 15 of the Interconnection Regulations 2017 is, *inter-alia*, reproduced as under:

“15. Audit.— (1) Every distributor of television channels shall, once in a calendar year, cause audit of its subscriber management system, conditional access system and other related systems by an auditor to verify that the monthly subscription reports made available by the distributor to the broadcasters are complete, true and correct, and issue an audit report to this effect to each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement:

Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every distributor of television channels to cause audit, under this sub-regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India limited, or any of such empaneled auditors:

Provided further that any variation, due to audit, resulting in less than zero point five percent of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid.

(1A) If any distributor fails to cause audit once in a calendar year of its subscriber management system, conditional access system and other related systems, as specified under sub-regulation (1), it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or

rules or regulations or order made or direction issued thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of rupees one thousand per day for default up to thirty days beyond the due date and an additional amount of rupees two thousand per day in case the default continues beyond thirty days from the due date, as the Authority may, by order, direct:

Provided that the financial disincentive levied by the Authority under this sub-regulation shall in no case exceed rupees two lakhs:

Provided further that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the distributor, has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations observed by the Authority.

(2) In cases, where a broadcaster is not satisfied with the audit report received under sub-regulation (1) or, if in the opinion of a broadcaster the addressable system being used by the distributor does not meet requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, as the case may be, it shall be permissible to the broadcaster, after communicating the reasons in writing to the distributor, to audit the subscriber management system, conditional access system and other related systems of the distributor of television channels, not more than once in a calendar year:

Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every broadcaster to cause audit, under this sub-regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India limited, or any of such empanelled auditors.

Provided further that if such audit reveals that additional amount is payable to the broadcaster, the distributor shall pay such amount, along with the interest at the rate specified by the broadcaster in the interconnection agreement, within ten days and if such amount including interest due for any period exceed the amount reported by the distributor to be due for such period by two percent or more, the distributor shall bear the audit expenses, and take necessary actions to avoid occurrence of such errors in the future:

Provided also that it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor, if such audit reveals that the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, as the case may be.

(3) Every distributor of television channels shall offer necessary assistance to auditors so that audits can be completed in a time bound manner."

6. The sub-regulation (1) of regulation 15 of the Interconnection Regulations 2017 mandates all the distributors of television channels to cause audit of their system once in a calendar year. As per the existing provisions of Interconnection Regulations 2017, if any DPO fails to cause audit of its system once in a calendar year, then such a DPO is liable to pay a financial disincentive (with an upper cap on the financial disincentive of Rupees Two Lakh per year).
7. However, despite the provision of financial disincentive being in place and constant efforts made by TRAI and MIB, it was observed that many distributors are still not getting their system audited in a time-bound manner. As per the data of audits received from the auditors empaneled by TRAI and BECIL, the number of DPO caused audits have been low in the last few years as compared to the number of DPOs required to do so.
8. DPOs with significantly low subscriber base have informed TRAI in various meetings that they find difficulty in causing audits of their systems every year, as they have capacity constraints both in terms of manpower as well as financial resources. Representations were also received from a few small DPOs with requests to exempt them from audit due to their inability to afford audit fees. Several MSOs with small subscriber base have also requested MIB for exemption from the requirement of audit on account of financial constraints.
9. Further, to incorporate infrastructure sharing related provisions contained in the infrastructure sharing guidelines issued by the MIB, there is a need to review the audit related provisions and corresponding schedules of the

Interconnection Regulations 2017. Accordingly, TRAI issued the consultation paper to seek comments of the stakeholders.

10. In this regard, the issues for consultation in the consultation paper were as follows:

Q1. Should provision of Regulation 15(1) be retained or should it be removed in the Interconnection Regulation 2017?

- i) *In case you are of the opinion that provisions of Regulation 15(1) should be retained then*
 - a. *Should it continue in its present form or do they need any modifications?*
 - b. *In case you are of the opinion that modifications are required in Regulation 15(1) of the Interconnection Regulation 2017, then please suggest amended regulations along with detailed justification for the same.*
- ii) *In case it is decided that provisions of Regulation 15(1) should be removed then what mechanism should be adopted to ensure that the monthly subscription reports made available by the distributors to the broadcasters are complete, true and correct?*

Q2. Should small DPOs be exempted from causing audit of their systems every calendar year, under Regulation 15(1) of Interconnection Regulation?

- A. *If yes, then,*
 - 1. *Should 'subscriber base' of DPO be adopted as a criterion for defining small DPOs for this purpose?*
 - i. *If yes,*
 - a) *what limit of the subscriber base should be adopted to define small DPOs for the purpose of exempting them from causing audit of their systems under Regulation 15(1)?*
 - b) *on which date of the year should the DPOs' subscriber base be taken into consideration for categorising whether or not the DPO falls in exempted category?*
 - c) *In case any distributor is offering services through more than one distribution platforms e.g. distribution network of MSO, IPTV, etc. then should the combined subscriber base of such distributor be taken into consideration for categorising whether or not the distributor falls in exempted category?*
 - ii. *If 'subscriber base' criterion is not to be adopted, then what criteria should be selected for defining small DPOs?*
 - 2. *In case it is decided that small DPOs may be exempted from causing audit of their systems under Regulation 15(1), then should broadcasters be explicitly permitted to cause subscription audit and/or compliance audit of systems of such DPOs, to verify that the monthly subscription reports made available by the distributor to them are complete, true and correct?*
 - i. *If yes, what should be the mechanism to reduce burden on small DPOs that may result due to multiple audits by various broadcasters?*
 - ii. *If no, what should be the mechanism to verify that the monthly subscription reports made available by the small DPOs to the broadcasters are complete, true and correct?*
- B. *If you are of the view that the small DPOs should not be exempted from the mandatory audit, then*
 - i. *how should the compliance burden of small DPOs be reduced?*
 - ii. *should the frequency of causing mandatory audit by such small DPOs be decreased from once in every calendar year to say once in every three calendar years?*
 - iii. *alternatively, should small DPOs be permitted to do self-audit under Regulation 15(1), instead of audit by BECIL or any TRAI empaneled auditor?*

Q3. As per the existing Interconnection Regulation, all the distributors of television channels have been mandated to cause audit of their system once in a calendar year. Should the existing provision of "calendar year" be continued or "financial year" may be specified in place of calendar year? Please justify your answer with proper reasoning.

Q4. As per the existing Interconnection Regulation, the annual audit caused by DPO under regulation 15 (1), shall be scheduled in such a manner that there is a gap of at-least six months between the audits of two consecutive calendar years and there should not be a gap of more than 18 months between audits of two consecutive calendar years. Instead of above, should the following schedule be prescribed for annual audit?

- i) *The DPOs may be mandated to complete annual audit of their systems by 30th September every year.*

- ii) *In cases, where a broadcaster is not satisfied with the audit report received under regulation 15(1), broadcaster may cause audit of the DPO under Regulation 15(2) and such audit shall be completed latest by 31st December.*
- iii) *In case DPO does not complete the mandatory annual audit of their systems by 30th September in a year, broadcaster may cause audit of the DPO under Regulation 15(2) from 1st October to 31st December [of the] year. This shall not absolve DPO from causing mandatory audit of that year by 30th September and render the non-complaint DPO liable for action by TRAI as per the provisions of Interconnection Regulation 2017?*
Justify your answer with proper reasoning.

Q5. In case you do not agree with schedule mentioned in Q4, then you are requested to provide your views on the following issues for consultation:

- i. *As per the existing Interconnection Regulation, the annual audit caused by DPO under regulation 15(1), shall be scheduled in such a manner that there is a gap of at-least six months between the audits of two consecutive calendar years and there should not be a gap of more than 18 months between audits of two consecutive calendar years. Does the above specified scheduling of audit need any modification? If yes, please specify the modifications proposed in scheduling of audit. Please justify your answer with proper reasoning.*
- ii. *For the audit report received by the broadcaster from the DPO (under regulation 15(1)), should the broadcasters be permitted to cause audit under regulation 15(2) within a fixed time period (say 3 months) from the date of receipt of that report for that calendar year, including spilling over of such period to the next year?*
 - *If yes, what should be the fixed time period within which a broadcaster can cause such audit. Please support your answer with proper justification and reasoning.*
 - *If no, then also please support your answer with proper justification and reasoning?*
- iii. *In case a DPO does not cause audit of its systems in a calendar year as specified in Regulation 15(1) then should broadcasters be permitted to cause both subscription audit and/or compliance audit for that calendar year within a fixed period (say 3 months) after the end of that calendar year?*
 - *If yes, what should be the fixed time period (after the end of a calendar year) within which a broadcaster should be allowed to get the subscription audit and/or compliance audit conducted for that calendar year? Please support your answer with proper justification and reasoning.*
 - *If no, then also please support your answer with proper justification and reasoning?*

Q6. What measures may be adopted to ensure time bound completion of audits by the DPOs? Justify your answer with proper reasoning.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q1 of the consultation paper

11. In response to Q1, divergent views were received from the stakeholders. Those favouring continuation of regulation 15(1) broadly commented as follows:

- There is no flaw in regulation 15 (1) and it should be retained as it is, however, the efficacy and intention behind its implementation needs to be reviewed in a serious manner, which will help in ensuring its compliance.
- Regulation 15(2) of the challenge audit should be removed. Giving a second option that allows broadcasters to challenge audits (regulation 15(2)) is unnecessary, adds cost to compliance, and gives a higher pedestal to broadcasters allowing them to seek an additional audit over and above the Regulator's own defined audit process.
- If a DPO has completed an annual audit by TRAI empaneled auditor, broadcasters should be restricted from challenging the audit without valid justification and substantiated data.
- Currently the clause related to triggering the audit by a broadcaster is open ended. This should be modified, so that the audit can be triggered by the broadcaster only if there is more than 2% variance in the subscriber count. However, this should not lead to disruption of services in any case.
- Broadcasters with a subscriber base of less than 10% of the total base of DPO should not be given an option to trigger the audit of any DPO.
- Regulation 15(1) should be retained but not on a compulsory basis.

- The audit frequency may be revised to once every 2/3/4/5 years, in order to ease the compliance burden on small MSOs.
- DPOs experience difficulties in arranging yearly technical audits from empaneled auditors. Also, the amount charged by the auditors is extremely high, which they cannot afford.
- Provision under regulation 15(1) is a very necessary condition and it should not be removed, but appropriate self-audit arrangements should be added, where small DPOs are not burdened with the audit fees.

12. Those who opposed continuation of Regulation 15(1) commented as summarized below:

- Regulation 15(1) should be removed, and broadcasters should be given an unfettered first right to cause audits of DPOs' system. This change will ensure that broadcasters, who are the owners of TV channels, have the ability to verify the Monthly Subscription Reports (MSRs) which form the basis of their revenue, and can do so in a timely manner.
- Under the current regime, although DPOs are mandated to conduct audits, many of them fail to do, or they do after inordinate delays and repeated requests of broadcasters. DPOs push back on broadcaster-caused audits, by seeking strict proof of discrepancies found in the DPOs' audit report, and by delaying the broadcaster-caused audits on various pretexts.
- In several past instances, broadcasters requested time to conduct audits, but such requests were denied by DPOs. It was also observed that DPO audit reports were manipulated, incomplete, and inaccurate, with delays in submission. Consequently, the statutory data retention period expired, preventing verification of records for that duration.

13. One of the comments received during the consultation process called for fixing the auditor fees.

14. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations 2025 presented in the subsequent section of this explanatory memorandum covers issues including annual audit to be mandatorily conducted by a DPO having more than 30000 subscribers; making these audit optional for smaller DPOs having less than 30000 subscribers while enabling the broadcasters to do their audit once in a year, if considered necessary; defining timelines and procedure for audits; the cases and situations when a broadcaster can conduct audit in case of non-receipt of audit report and examination by TRAI before any re-audits by the broadcaster.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q2 of consultation paper

15. In response to Q2, divergent views were received from the stakeholders. Those favouring exemption to small DPOs from compliance of regulation 15(1), commented:

- There should not be any audit for small MSOs as it is an additional burden, and they are not in a position to bear the cost of the audit. Still, if an audit is necessary, it should be done without any charge.
- There should not be any audit requirement for small DPOs, as a smaller number of DPOs are left in our country.
- The suggested criterion for determining the threshold for exemption based on subscriber base varied significantly; and it ranged from 5000 to 50000.
- Audit is not economically possible in every calendar year. Audit should not be made mandatory for DPOs having less than 5000 subscribers; and the audit frequency may be revised to once in three years for DPOs having 5000 to 10000 subscribers.
- DPO's working at district levels should be exempted from compliance to regulation 15(1).
- Regulation 15(1) should be removed from the Interconnection Regulations 2017, and broadcasters should be given unfettered first right to audit. However, in case regulation 15(1) is retained in some form or the other, then DPOs with less than 30000 subscribers should be exempted from audit under regulation 15(1). With respect to such DPOs, a broadcaster may be allowed to conduct an audit under regulation 15(2) at its discretion once in a calendar year. However, such an exemption should not apply to a DPO having less than 30000 subscribers if it forms part of a Joint Venture (JV) or is otherwise sharing infrastructure, unless the JV or the parties to the infrastructure sharing arrangement together have less than 30000 subscribers.

16. Those opposing exemption to small DPOs from compliance of regulation 15(1), broadly commented as follows:
 - Regulation should be same for all the DPOs and there should be no disparity in terms of small or big DPO, as any exemption to smaller DPOs will further increase the disparity and non-compliance of the regulation.
 - Law of land never differentiates between caste, creed, economic conditions and influence of the offender and the same applies in the case of the Companies Act 2013 also. The Companies Act 2013 does not discriminate the companies on the basis of their turnover; and therefore, providing exemption to DPOs on the basis of size/turnover will not serve the purpose.
 - Regulation 15(1) was introduced in the regulation for bringing transparency in Cable TV and Broadcasting domain, so as to curtail underreporting happening in the sector. Any exemption to regulation 15(1), will further increase underreporting and unauthorized distribution, which will be a huge loss to the exchequer.
 - Audit should be compulsory for every DPO whether it is small or big, audit fees can be regulated for smaller DPOs having subscriber base less than 1000.
17. On the question of reducing frequency of mandatory audits for small DPOs, different views received from the stakeholders are summarized below:
 - Frequency should not be decreased, and it should continue to be mandated once in a calendar year.
 - Frequency of audit should be changed to once every two or three or five years for small DPOs.
 - Audit frequency must be modified to once in two financial years to reduce the compliance burden.
 - An audit should be required once every five years.
 - Prescribed processes for the audit require some changes, as small DPOs currently face financial difficulties due to high audit fees. Audits should be conducted simultaneously by all broadcasting companies by an empaneled auditor. Further, the fee for self-audit should be kept as Rupee 15000 only, or alternatively the audit should be mandated once every three years.
 - Audit should be mandated only once in the whole license period.
18. On the issue of identifying the appropriate date in a year for considering the DPOs' subscriber base to determine exemption status, stakeholders generally expressed the following views:
 - Subscriber base as of the last financial year should be considered, as subscriber base of DPOs is decreasing day by day.
 - Same date should be considered i.e., every year end, or as decided by the TRAI.
19. With respect to whether the combined subscriber base of distributors should be considered for determining exemption status under regulation 15(1), particularly where a distributor operates through multiple platforms such as MSO networks or IPTV, stakeholders expressed divergent views:
 - Collective/combined subscriber base of all its distribution platforms should not be considered since DPO executes separate interconnection agreements with broadcasters for each of its distribution platforms.
 - Combined subscription base should be taken into consideration.
20. In response to whether broadcasters should be explicitly permitted to cause audit of the systems of small DPOs exempted under regulation 15(1), stakeholders expressed differing views, which are broadly summarized below:
 - Any DPO with less than 30000 subscribers should be exempted from mandatory audit under the regulation 15(1). With respect to such DPOs, a broadcaster should be allowed to conduct audit under regulation 15(2) at its discretion once in a calendar year.
 - In case differential treatment of DPOs based on subscriber base needs to be given, then broadcasters should be permitted to conduct subscription audit of such small DPOs under regulation 15(2) only where there is doubt regarding the completeness/correctness/truthfulness of the MSRs submitted by them.
21. In response to the question of how the compliance burden on small DPOs may be reduced in cases where they are not exempted, stakeholders broadly expressed the following views:
 - There is no compliance burden on small DPOs, except getting only one audit conducted every calendar year. Also, this one-time audit process gets completed in a week's time for smaller DPOs and takes three to four weeks for bigger DPOs having seven to eight headends, therefore as such, there is no compliance burden on

the DPOs. Moreover, Authority can publish a general rate card for audit fees, which shall be based on the number of CAS/number of SMS/number of subscribers/expected time to complete the audit etc. This will also reduce the burden of smaller MSOs.

- In case it is decided to reduce the compliance burden of certain category of DPOs (based on their subscriber numbers), then either of the following methods could be adopted to ensure parity:

Method 1:

- i) The choice to conduct an audit of their systems under regulation 15(1) should remain with the DPOs.
- ii) DPOs (big or small) could be given an option of officially communicating/reporting to TRAI at the beginning of every calendar year (and within the first three months of that calendar year) whether they intend to carry out an audit of their systems as per regulation 15(1) in that calendar year.
- iii) In case the DPO is not willing/not responding, then, the Authority may direct the broadcasters to carry out the audit of such systems under regulation 15(2) and submit the resulting reports to TRAI.
- iv) For DPOs who communicate their willingness to TRAI at the beginning of the year but fail to conclude the DAS audit of that calendar year, then, the Authority may consider appropriate punitive action against the DPO.

Method 2:

- All DPOs (big or small) must compulsorily conduct the compliance audit of their systems as per regulation 15(1) and submit the annual compliance report to TRAI.
- In case differential treatment of DPOs based on subscriber base needs to be given, then broadcasters should be permitted to conduct subscription audit of such small DPOs under regulation 15(2) only where there is doubt regarding the completeness/correctness/truthfulness of the MSRs submitted by them.

22. On the issue of whether small DPOs should be permitted to conduct self-audits under regulation 15(1), in place of audits by the auditors empaneled by TRAI or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited (hereinafter referred to as “BECIL”), stakeholders broadly expressed the following views:

- Some stakeholders opined that the word self-audit is self-contradictory, as audit in itself means scrutiny of data or system by an authenticated third party, which necessarily needs to be un-biased.
- Some stakeholders favoured a self-audit system, wherein the smaller DPOs will not be burdened with the heavy audit charges.

23. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’ comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including annual audit to be mandatorily conducted by a DPO having more than 30000 subscribers; making these audit optional for smaller DPOs having less than 30000 subscribers while enabling the broadcasters to do their audit once in a year, if considered necessary; the total subscriber base to be considered for such exemptions in case of a Joint Venture and Infrastructure sharing, defining timelines and procedure for audits; the cases and situations when a broadcaster can conduct audit in case of non-receipt of audit report and examination by TRAI before any re-audits by the broadcaster.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q3 of consultation paper

24. In response to Q3, divergent views were received from the stakeholders. Those favouring the replacement of the existing provision of ‘Calendar year’ with ‘Financial Year’ broadly commented as follows:

- The audit period should be aligned to financial year, as all the accounting provisions and audits in India are scheduled based on the financial year. Also, the calendar year is not in synchronization with the annual financial year contracts and financial agreements with the broadcasters.
- Aligning the audit period with the financial year ensures consistency with other financial reporting and compliance requirements. This makes it easier for DPOs to integrate the audit process with their annual financial audits. Given that renewal of Reference Interconnect Offer (RIO) takes place during January and February, the past practice of conducting the audit on the basis of the calendar year is impractical.
- Alignment of audit period to financial year would provide several practical and regulatory benefits that would enhance the effectiveness of the audit process. This would streamline the audit process, reduce administrative burden and ensure that the audit captures a complete and accurate representation of the DPO's operations over a consistent reporting period. Moreover, subscription revenue(s) is a key component of the

broadcasting sector, and aligning the audit period with the financial year would ensure that subscription and compliance audits are consistent with the financial data reported.

25. The stakeholders favouring continuation of calendar year broadly opined as follows:

- Regulation 15(1) of the Interconnection Regulations 2017 should be abolished. However, in case it is retained, DPOs may conduct the audit under regulation 15(1) once in a calendar year, provided that this requirement is strictly adhered to.
- The existing provision of annual audits in a calendar year together with a minimum & maximum period specified between two consecutive audits is fine and requires no modification. Further, there is no connection between the audit period prescribed under TRAI regulations and the financial year reporting obligations for a company under the Companies Act, 2013.
- Annual audit conducted by DPOs are directed towards the technical compliance and technical aspects of the system. Financial year-based audit should not be made as the benchmark for DAS audits.

26. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including annual audit to be mandatorily conducted by a DPO having more than 30000 subscribers and the periodicity of audit aligned to once in a financial year as against calendar year in the extant regulation.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q4 of consultation paper

27. In response to Question 4 seeking comments of stakeholders on replacing the extant requirement of annual audits within a calendar year along with minimum and maximum period specified between two consecutive audits by specific timelines for audits, different views were received from the stakeholders. Those favouring the proposed timelines of DPO-caused audit by 30th September every year and broadcaster-initiated audits by 31st December every year, broadly commented as follows:

- The specified timelines ensure compliance and reduce unnecessary conflicts and disputes.
- Stakeholders indicated complete agreement with the proposed timelines as they are time-bound, relevant and put the onus on both the stakeholders for a time bound DAS audit and associated reporting. This will also save unnecessary litigations and long drawn queries from broadcasters, which in many instances come up to six months after sharing the audit report.
- The requirement for the DPO to complete its mandatory annual audit by September 30th is indeed very relevant, and the timelines must be strictly adhered to. The deadline of September 30th for completing the mandatory annual audit constitutes a critical regulatory requirement which ensures that all DPOs are evaluated within a consistent timeframe. This is essential for maintaining uniformity and fairness across the industry. Adhering to this deadline ensures that all entities are held to the same standards and practices. This will also save unnecessary litigation.
- In the event a DPO fails to comply with the audit requirement under regulation 15(1) within the prescribed timelines, the broadcasters should not provide broadcasting signals to such DPO. Regulation 15(2) should not be construed as a fishing inquiry or a tool for the broadcaster to arm twist the DPOs.
- Adherence to these timelines would bring seriousness and discipline in conduct of audits. This will reduce the conflicts and disputes between DPOs and broadcasters, as broadcasters seek queries even after six months of submitting audit reports including those for the previous year's audit.

28. The broad summary of the views received from stakeholders who disagreed with the proposed timelines is as follows:

- Provision for broadcaster-initiated audit on DPOs should be deleted. Broadcasters caused audits are not required as the broadcasters do not raise any objection to the audit reports throughout the year. However, towards the end of the year, when there is no concurrence on commercial terms, broadcasters invoke the need for audit, with obtuse questions to victimize the DPOs with their threats. This unbound power given to the broadcasters needs to be removed to bring a balance in the ecosystem. Furthermore, TRAI mandated audits are done by empaneled auditors which should bring finality and therefore broadcaster-initiated audits are not required at all.

- Oppose the proposal of reducing the period for conducting audit by DPOs to nine months from the current 12 months.
- The current provision requiring an audit to be conducted in a calendar year together with minimum and maximum period specified between two consecutive audits is fine and requires no modification. Further the provision under regulation 15(2) permitting audit by a broadcaster 'not more than once in a calendar year' should be stretched to mandate that if one broadcaster has initiated a subsequent audit post receipt of an audit report, no other broadcaster would be permitted to cause audit for the same calendar year.
- Annual audit should be completed within nine months of the end of the previous financial year, i.e., by December of the current financial year. Since the Audit Manual prescribes a large amount of data to be shared with the auditors, sufficient time is required to complete the audit, especially for DPOs having a large amount of data. Further, a grace period of three months (i.e., until March of the current financial year) may be provided to the DPOs. This will allow additional time for the DPOs to complete the audit if they face any unforeseen delays. The requirement of regulation 15(2) of a broadcaster caused audit or challenge audit should be done away with. In the event if the DPO does not complete the audit within the specified time period (i.e., after the grace period as well until March of the current financial year), broadcasters should be allowed to initiate an audit of the DPOs' systems only within the next six months.
- In case regulation 15(1) is retained in some form or the other, then DPOs should be mandated to complete audit under regulation 15(1) and submit audit reports (including submission of missing annexures and/or supporting data/documents that may be pointed out by broadcaster and/or responding to other audit queries) to broadcasters by 30th June of a calendar year. This will give ample time to the broadcasters to conduct audit under regulation 15(2) at their discretion. Further, broadcasters should continue to have the right to conduct audit under regulation 15(2) at any time (i.e., even before 30th June).

29. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including unfair practices used by broadcaster to undertake broadcaster caused audit, defining timelines and procedure for audits; the cases and situations when a broadcaster can conduct audit in case of non-receipt of audit report and the examination by TRAI before any re-audits by the broadcaster.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q5 of consultation paper

30. In response to Question 5 seeking suggestions of stakeholders on timelines if they do not agree to proposed timelines in question 4, varying views were received from stakeholders which are summarized below:
- TRAI mandated audits should be treated as final, and the broadcasters should not be given the right to audit DPOs as it is merely a duplication of work which adds additional costs and burden on the DPOs. Any gaps discovered by the TRAI auditors should be flagged for remedial measures to be taken.
 - Broadcasters should be permitted to cause audit under regulation 15 (2) within a fixed time period from the date of receipt of audit report for that calendar year, including any spillover period to the subsequent year. However, the broadcasters must identify specific issues as per the Regulations/Audit Manual for which they are not satisfied with the audit report and communicate the same to the DPOs within four weeks of receipt of the audit report. Further, if a DPO fails to commence the annual audit as per regulation 15(1) within a fixed time frame, then the broadcasters may be permitted to conduct DAS audit of such DPOs under regulation 15(2). In cases where the DPO fails to communicate commencement of mandatory DAS audit under regulation 15(1) within six months of completion of the calendar year, then the broadcasters should seek clarification on the same from the DPO. In case the DPO does not share any schedule for planned commencement of DAS Audit as per regulation 15(1) within four weeks of receipt of such broadcaster communication, then the broadcaster should be allowed to conduct audit of the DPO's system under regulation 15(2).
 - Existing scheduling requirement of a six-month minimum gap and an 18-month maximum gap between audits of consecutive calendar years is appropriate and effective. It ensures regular and timely audits while providing necessary flexibility for organizations to manage their audit schedules effectively. Therefore, no modification to the current timeline is required.
 - In case regulation 15(2) is retained on justifiable grounds, then, to maintain a structured and timely audit process, broadcasters should be allowed to initiate queries on the audit done by the TRAI empaneled auditor only within one month of receiving the audit report from the DPO. This will ensure that any discrepancies

or issues are addressed promptly and efficiently. After this period, broadcasters should not be allowed to trigger any further queries.

- With respect to mandating broadcasters a fixed timeline to conduct audit under regulation 15(2) following receipt of regulation 15(1) audit reports, such timeline should not be mandated upon broadcasters since majority of the audit reports submitted by DPOs have important annexures and data/documents missing. DPOs take months to furnish the same and to respond to broadcaster's queries. Some DPOs also use the excuse of data migration/system crash/server issues/non availability of CAS/SMS tech support.
- Further with respect to binding broadcasters to conduct audit under regulation 15(2) within a fixed timeline after the end of a calendar year, in cases where DPOs have not got audit conducted under regulation 15(1), such timeline should not be mandated upon broadcasters. In practice, most of the time DPOs face challenges in arranging the necessary technical support to facilitate broadcaster-initiated audits.

31. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including restricting broadcaster caused audit, limiting time period for broadcasters to cause audit and with specific reasons, allowing broadcaster to cause audit in case DPO fails to get audit conducted in allowed time period and submission of complete audit report with all annexures.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q6 of consultation paper

32. In response to Q6, the various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:

- To ensure timely completion of audits by DPOs, heavy penalties that can act as a deterrent should be imposed on DPOs for non-compliance including cancellation of license to operate their respective distribution platform and blacklisting for a period of three years from operating any kind of distribution platform. Further, DPOs should be mandated to complete the audit within 10-14 days.
- Penalty should be levied for late submission of audit report after the due date to ensure strict compliance to the timelines.
- Broadcasters should be mandated to provide the Transport Stream (TS) and all audit-related queries, if any, to the empaneled auditor or the concerned DPO, at least 15 days prior to the date of commencement of audit. Financial disincentives should also be levied on the broadcasters in case there is a delay of more than 15 days in providing the required response to the auditor/DPO.
- Improving the quality of auditors empaneled by TRAI is crucial for ensuring that audits are conducted with accuracy, integrity, and professionalism. TRAI in collaboration with BECIL should undertake periodic training programs in line with new regulations, technological advancements, and emerging industry practices for upgrading the skills of the auditors.
- DPO must complete self-audit as per regulation 15(1) by 30th June, and in cases where audit is not conducted until 30th June, they should pay a penalty. If broadcasters get audit conducted, it would be very tough for DPOs to manage all broadcasters' audits.
- Strict action should be taken by TRAI against defaulters by imposing financial disincentives to the tune of Rupees Five Lacs on first default, Rupees Ten Lacs on second default and Rupees One Lac per day on continuing default. In cases where the default continues despite reminders and notices by TRAI, the Authority should recommend cancellation of their license. Further, some action should also be there on broadcasters, who continue to provide signals to the defaulting DPOs despite having knowledge of default on audit provisions. Thus, if no audit report is being sent to the broadcasters, and yet the broadcasters are not disconnecting their signals; this implies that the broadcasters are also abetting the default, and hence there should be financial disincentives against such broadcasters also.
- Measures presently in place mandating "Non-Compliant" title to an errant DPO is more than sufficient as this will result in broadcasters not signing new RIO agreement.
- Time bound completion of audits is also dependent on the active participation and co-operation of the DPO's vendors during the conduct of any audit at the DPO's premises. Therefore, the Authority may direct the SMS, CAS and STB vendors of all DPOs to extend complete co-operation and support during audit even if existing commercial relations do not exist between the parties, as the systems deployed come under the purview of the Regulations and hence the vendors must ensure compliance.

33. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum

covers issues including defining timelines and procedure for audits; quality of audits and action against defaulter DPOs.

34. After analysing the stakeholder comments, counter comments received on the consultation paper and inputs received during OHD, the Authority released draft Regulations 2025 on 22nd September 2025 seeking inputs of the stakeholders. The main body of the draft regulations are presented below:

2. *In regulation 15 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as “principal regulations”), --*

- (a) *for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -*

“(1) Every distributor of television channels shall get its addressable system of distribution platform, such as subscriber management system (SMS), conditional access system (CAS), digital rights management (DRM) system, and other related systems audited once every year, for the preceding financial year, by an auditor to verify the information contained in the monthly subscription reports made available by the distributor to the broadcasters, and the distributor shall take all necessary measures in advance to ensure that the audit report for the preceding financial year is shared with broadcasters, with whom it has entered into interconnection agreements, by the 30th September every year:

Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be mandatory for every distributor of television channels to get the audit conducted, under this sub-regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, or any of such empanelled auditors:

Provided further that the distributor shall inform the broadcaster, with whom it has entered into an interconnection agreement, at least thirty days in advance, the schedule of audit and the name of the auditor:

Provided also that the broadcaster may depute one representative to attend the audit and share inputs of the broadcaster for verification during the audit process and the distributor shall permit such representative to attend the audit

Explanation: For removal of doubt, it is clarified that the presence of the representative of the broadcaster is for the limited purpose of sharing inputs, if any, for verification, during the audit process, and does not confer any authority upon him to direct or influence in any manner the conduct of the audit:

Provided also that it shall be optional for distributors of television channels, whose active number of subscribers, on the last day of the preceding financial year, do not exceed thirty thousand, to get the audit conducted under this regulation:

Provided also that the empanelled auditor or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, conducting the audit of the addressable systems, shall furnish the audit report along with an audit certificate to the distributor confirming that the auditor is independent of the auditee and that the audit was conducted in accordance with the provision of the regulations, and the auditor shall also furnish such other information or certification as may be specified by the Authority from time to time:

Provided also that after coming into effect of these regulations, the unaudited period, if any, preceding to the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit.”

- (b) *in sub-regulation (1A), for the word “calendar”, the word “financial” shall be substituted;*

(c) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) (a) In case a broadcaster has received the audit report by the due date of 30th September under sub-regulation (1) and finds discrepancy in such audit report, it may point out the same, in writing, to the distributor of television channel from whom the audit report has been received, citing specific observations with evidence against audit report, within thirty days of receipt of audit report, and may provide a copy of the observations with evidence to the concerned auditor:

Provided that the distributor, on receiving observations from broadcaster shall refer the same to the auditor concerned, within seven days of its receipt, to examine and address the observation and the auditor shall address the observations of the broadcaster and provide its updated audit report to the distributor within a period of thirty days which the distributor shall forward to the broadcaster within seven days of its receipt:

Provided further that if the broadcaster finds that its observations are not addressed completely, the broadcaster may report to the Authority its specific observations with evidence within thirty days of receipt of updated audit report:

Provided also that the Authority shall examine the case on merits, at the fees and costs to be borne by the broadcaster, as may be specified by the Authority and, if found necessary, may permit the broadcaster to get a special audit conducted at the cost of broadcaster to ascertain the discrepancies pointed out by the broadcaster:

Provided also that in case of special audit, by broadcaster, the broadcaster shall give names of three auditors, from amongst M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited and the empanelled auditors, to the distributor and the distributor shall choose one auditor for the special audit, within fifteen days, failing which broadcaster shall approach the Authority for selection of the auditor.

(2) (b) In case a broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the due date of 30th September –

(i) where the distributor of a television channel fails to share the audit report of the preceding financial year, under sub-regulation (1), with the broadcasters, with whom it has entered into interconnection agreement, by the 30th September of the year in which the audit was due to be conducted, it shall be permissible to the broadcasters either jointly or severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system of such distributor of television channels done, at the cost of broadcaster.

(ii) where the audit is optional under sub-regulation (1), it shall be permissible to the broadcasters either jointly or severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system done, at the cost of broadcasters.

Explanation: *It is clarified that in case, an audit is got done by a broadcaster under these provisions, the audit shall be conducted only once in a year and completed within four months starting from the 30th September of that year:*

(2) (c) In case the audit conducted under sub-regulation (1) or (2)(a) or (2)(b) reveals that –

- (a) there is a discrepancy in subscriber numbers, it may be settled as per provisions in the interconnection agreement between broadcaster and the distributor;*
- (b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor.”*

3. In Schedule III of the principal regulations,-

(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-

“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation.”;

(b) after item (E), the following item shall be inserted, namely:-

“(F) Infrastructure sharing cases-

1. SMS and CAS should have capability to meet all the requirements prescribed in this schedule for each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/CAS and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and CAS.

2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”

4. In Schedule X of the principal regulations,-

(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-

“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation.”;

(b) after item (F), the following item shall be inserted, namely:-

“(G) Infrastructure sharing cases-

1. SMS and DRM should have capability to meet all the requirements prescribed in this schedule for each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/DRM and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and DRM.

2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

35. In response to draft Regulations 2025, differing views were received from stakeholders which are summarized below:

- The Authority’s approach to introduce changes in a piecemeal manner is inconsistent with the preceding 2024 consultation paper, which dealt with three aspects i.e., audit regulations, infrastructure sharing, and the audit manual, as interdependent and inter-related issues. The current consultative exercise separates the issues of audit regulations, the audit manual and infrastructure sharing. This prevents stakeholders from assessing the cumulative impact of the proposals.
- Withdraw the present draft amendment and subsume the entire exercise into the forthcoming holistic review of the regulatory framework.
- Issues relating to infrastructure sharing remain unanalyzed and that the explanatory memorandum of the draft amendment defers crucial revisions to the audit manual to an unspecified future date.
- During the meeting held on 25th February 2025, TRAI had proposed deferring this exercise and including it within the holistic review of the broadcasting regulatory framework, to which the industry had agreed to avoid duplicative and disjointed interventions.
- TRAI Act, 1997 clearly defines the role of TRAI as a regulator (a legislative function) and the role of the Hon’ble TDSAT as an adjudicator (a judicial function). By granting itself the power to decide cases on their merits, TRAI is overstepping its legislative mandate and assuming a judicial role.

- Draft introduces jurisdictional inconsistencies by interfering with service providers' rights to approach the Hon'ble TDSAT and by encroaching upon the Tribunal's domain.
- Stakeholders have been granted only 15 days (with one additional week's extension) to provide their comments on the draft amendment and no provision had been made for providing counter-comments.
- Draft Regulations 2025 propose significant operational changes involving audit procedures, infrastructure sharing mechanisms, and data management obligations. A minimum period of one year from the date of notification of the revised amendment should be provided to enable all stakeholders to align their systems, processes, and contractual frameworks accordingly.

Analysis

36. In this section, the analysis of general comments received on draft Regulations 2025 has been done followed by detailed analysis of comments on specific regulations.
37. One of the suggestions received in the consultation process was that the draft Regulations 2025 may be withdrawn and the entire exercise may be subsumed into the forthcoming review of the regulatory framework. The issue was examined and since the consultation for amending regulations pertaining to audit regulations and Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual dated 8th November 2019 (hereinafter referred to as the "Audit Manual") were taken up vide a self-contained consultation paper in August 2024 and detailed responses of stakeholders vide comments, counter comments and OHD have been received by the Authority, it is considered appropriate to conclude this process in time. Any deferment of the review of the regulations and consequent amendments for which consultation has already been completed, for a future review of other regulatory provisions for which even the consultation paper has not been issued, will needlessly delay these much-needed amendments which are based on stakeholder requests and the urgent requirement to streamline the audit process. The Authority, therefore, is of the view that amendment to the audit-related provisions need not be deferred any further and may be issued at the earliest.
38. With respect to the comments regarding purported severing of the inter-linked three issues of audit regulations, the audit manual and infrastructure sharing; and issues related to infrastructure sharing remaining un-analyzed, it may be noted that the consultation paper had considered these three issues for stakeholder's comments and analysis. It may also be noted that MIB guidelines permitting infrastructure sharing are already in place. The infrastructure sharing guidelines for HITS, MSOs and DTH were issued by MIB in November 2020, December 2021 and September 2022, respectively, which is after issue of the Interconnection Regulations 2017 and the Audit Manual. Therefore, it is pertinent to identify and address issues in the existing Interconnection Regulations 2017 that may affect infrastructure sharing amongst service providers and corresponding provisions in the Audit Manual. The Audit Manual mentions that it is a guidance document for conducting audits by auditors and it does not supersede any provision(s) of the extant regulations. Hence, this exercise is only to make necessary amendments in regulations and incorporate any required changes in the audit manual. Consultation for required amendments in the Audit Manual has already been done in the consultation paper dated 09th August 2024. The decisions on amendments in audit manual will flow from the decisions on amendments in audit regulations. The Authority is of the view that once the Seventh Amendment Regulations are issued, the audit manual may be issued aligning the manual with the updated regulatory framework, duly considering stakeholders comments.
39. Regarding the meeting held in TRAI on 25th February 2025, it may be noted that this meeting was held in TRAI on the request of broadcasters (i.e. one section of stakeholders) and their viewpoints were heard during the meeting. This is not a replacement of formal consultation process. As examined above, the Authority finds it appropriate to conclude the current consultation initiated to address outstanding regulatory issues, and also demanded by various stakeholders, for which a structured consultative process has already been completed, in time.
40. Regarding the comments about purported overstepping of its legislative mandate and assuming a judicial role by TRAI, it is pertinent to mention that the Authority's intent in this exercise is to streamline the audit process to enhance the efficiency and effectiveness of the audit process and increasing accountability of the auditor. The Authority is in no way attempting or intending to engage in resolution of disputes among service providers. TRAI is establishing a streamlined audit mechanism because the existing system has resulted in duplication of audits. For the financial accounts, each business entity undergoes a single audit in a year and the same is relied upon by ensuring credibility of audit process and accountability of auditors. Likewise, it is now planned that DAS audits should also be conducted normally once by strengthening audit process and ensuring accountability of auditors. For this purpose, the necessary regulatory check has been put so that a second audit is not caused merely as a

routine exercise but is a genuine requirement supported by evidence of flaws in the first audit. This check therefore deals with performance of original auditors (a TRAI empanelled auditor, required to perform audit as per TRAI's regulation, taking TRAI's Audit Manual for guidance). At no stage is a dispute between two service providers being sought to be adjudicated by TRAI. Hence the question of TRAI exceeding its regulatory mandate or stepping into the role of Hon'ble TDSAT does not arise. The Seventh Amendment Regulations therefore are specifically designed to improve the efficacy of overall audit process, reduce redundancy, and increase auditor accountability.

41. With respect to the comments that insufficient time has been provided in the consultation process, it may be noted that the Authority had issued consultation paper on 'Audit related provisions of Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual' on 9th August 2024 for seeking comments of the stakeholders. Comments on the consultation paper were invited from the stakeholders by 6th September 2024 and counter-comments, if any, by 20th September 2024. Comments and counter-comments received from stakeholders were placed on TRAI's website. This was followed by an open house discussion on 5th December 2024. Thereafter TRAI issued draft regulations on 22nd September 2025 and invited comments from stakeholders by 6th October 2025. On the request of stakeholders, the last date for submission of written comments was extended to 14th October 2025. These comments were placed on TRAI's website. It is clear from above that the Authority has given sufficient time to stakeholders for giving inputs at every stage.
42. Regarding the comment on providing a minimum period of one year from the date of notification of the revised amendment, it is noted that the date of implementation of these amendments is 1st April 2026 which provides sufficient time to all stakeholders to implement the Seventh Amendment Regulations. No major infrastructural upgrades requiring the requested one year time appears to be necessary for the implementation, and hence the demand is not considered justified.

Regulation 15(1) –regarding mandatory annual audit by the DPOs

43. In draft Regulations 15(1) of 2025, it has been proposed that DPOs shall get their addressable systems audited every year.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

44. In response, the views received from stakeholders are summarized below:
 - The provision is essential for consumer protection, transparency, trust and regulatory oversight. It ensures that monthly subscription reports are accurate, prevents overcharging or underreporting, builds confidence among stakeholders (broadcasters, distributors, and consumers) by institutionalizing third-party verification and empanelment of auditors. The mandatory reporting timelines enhance compliance and reduce disputes.
 - Annual audit framework should be rationalized so that in the absence of any change in hardware or infrastructure, only a subscription audit is mandated each year. Once a compliance audit has been duly carried out at a DPO, and in cases where there is no subsequent change in the hardware and infrastructure elements that are examined during the compliance audit (such as Headend, CAS, SMS, DRM systems), then repeating the same full-scope technical audit every year may not serve any additional regulatory purpose.
 - Audits should be done once every 5-10 years.
 - Draft Regulations 2025 need to be modified to grant broadcasters an unfettered right to audit and the DPO-caused audits under regulation 15(1) be done away with. This would not only safeguard broadcasters' commercial interests and ensure regulatory compliance but would also help in maintaining level playing field/ease of doing business amongst all DPOs by uniformly eliminating the claimed financial and administrative burden of bearing audit fees, associated obligations under regulation 15(1) and multiple audits.
 - It is necessary for TRAI to mandate that audit reports ought to be accompanied with all annexures, and failure to provide the same should be considered as non-furnishing of audit report.
 - It should be mandated to share the report in readable PDF format along with all the annexures for analysis and working.

Analysis

45. Sub-regulation (1) of regulation 15 of the Interconnection Regulations 2017 mandates every distributor of television channels to cause an audit of its systems once during each calendar year. Under the extant provisions, failure by a distributor to comply with this requirement attracts a financial disincentive, subject to a maximum ceiling of Rupees Two Lakh per annum. Notwithstanding the existence of this deterrent and the sustained efforts of TRAI and the Ministry of Information and Broadcasting (MIB), it has been observed that a significant number of distributors continue to default in conducting audits within the prescribed timelines.
46. Prior to implementation of Interconnection Regulations 2017, distribution platform operators (DPOs) used to complain that multiple technical audits of their systems by multiple broadcasters result in multiplicity of task and increased workload. Even if each of the pay broadcasters carry out audit of an addressable system platform in a given calendar year then, the same system may end up getting audited multiple times against the same parameters. This practice led to redundant expenditure and imposed a disproportionate financial and operational burden on the limited resources of both broadcasters and distributors.
47. The audit of the systems of DPO is necessary for ensuring trust and confidence in the technical systems deployed by a DPO. Such audits serve to ensure that the technical systems across the industry are standardized as per prescribed regulations, and further enable verification of monthly subscription reports submitted by DPOs to broadcasters. The accuracy of subscription reports is critical, as the settlement of charges between service providers is predicated upon these reports. Moreover, permitting audits of addressable systems constitutes a confidence-building measure across the value chain. Accordingly, the Interconnection Regulations 2017 established a mechanism for comprehensive annual audits of DPO systems.
48. The Authority is of the considered view that if a DPO gets its system audited for verifying subscription numbers and sends these reports to the respective broadcasters, then the problem of multiple audits of a DPO by different broadcasters in different time periods can be substantially mitigated. This measure will alleviate the compliance burden on both broadcasters and DPOs. Accurate subscriber reporting is fundamental to fair and transparent revenue-sharing arrangements, and will serve to minimize litigation. In the absence of a verifiable mechanism to crosscheck subscriber declarations, disputes arising from inconsistencies or under-reporting are likely to undermine trust and compromise contractual settlements.
49. In order to verify the information contained in the MSRs made available by the distributor to the broadcaster, it is pertinent that the distributor gets its complete addressable system audited at regular periodicity and not just subscription audit. Audit is the only mechanism to verify the hardware as well as software changes and the same can be ascertained only by complete audit. An annual audit is considered appropriate as this aligns with financial accounting cycle and enables verification of changes in subscription patterns on an annual basis. This will not only safeguard broadcasters' commercial interests and ensure regulatory compliance, but will also promote transparency and build trust in the system. Consequently, the requirement mandating distributors of television channels to cause an annual audit of their systems has been retained under the Seventh Amendment Regulations.
50. Further the Interconnection Regulations 2017 mandated that any variation, due to audit, resulting in less than zero-point five percent of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid. This provision was omitted in the draft regulation 2025. However, after examining the comments of the stakeholders it emerged that stakeholders intend clarity in the resolution of audit related issues, in general. Accordingly, this provision has been retained in the Seventh Amendment Regulations. The Authority is of the view that revising invoices for such negligible differences would be inefficient and cost-ineffective. Therefore, no revision of invoices already issued and paid is required where the variation is below above threshold.

Regulation 15(1) – regarding annual audits to be conducted in a Financial Year

51. The draft Regulations 2025 proposed that in the regulation 15(1) “calendar year” should be replaced with “financial year”.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

52. In response, differing views were received from the stakeholders. The views received from stakeholders favouring replacement of extant provision of getting the audits conducted in a ‘Calendar year’ with ‘Financial Year’ are summarized as below:

- This aligns with standard accounting practices and eases compliance.
- This ensures consistency with established financial accounting practices.
- Proposed change simplifies audit scheduling, improves financial reconciliation and aligns with statutory reporting cycles.
- Proposed change reduces administrative burden, confusion and enables more coherent tracking of revenue, subscription trends, and consumer pricing changes.

53. Those favouring continuation of calendar year opined the following:

- Current calendar year-based audit cycle aligns with operational timelines and reporting formats followed by most DPOs and broadcasters. Existing provision of calendar year as the audit period may be retained to preserve continuity, resource efficiency, and operational stability.
- Substitution of calendar year with financial year creates significant and unnecessary operational disruption for DTH operators. Their subscriber billing, packaging, and commercial reporting are fundamentally structured around a calendar year (Jan-Dec) cycle, not the financial year and forcing this audit period change requires a costly, complex re-engineering of proprietary IT and data systems and creates a concurrent administrative crunch, as this audit must now be rushed alongside other major financial and tax filings, increasing the risk of errors and non-compliance with minimal demonstrated benefit to transparency.

Analysis

54. The proposed amendments are intended to harmonize the Digital Addressable System (DAS) audit framework with the established financial audit framework. It has been observed that audits conducted on a calendar year basis are not synchronized with the contractual arrangements of broadcasters, which are often structured on a financial year basis. Further, the DTH subscribers' billing is on a continuous basis and not on a calendar year basis. Also, the required change is for the period to be audited which does not require any complex reengineering of proprietary system involved in above.
55. Mandating DAS audits on a financial year basis will facilitate operational and commercial alignment across the broadcasting ecosystem. The amendment shall come into force with effect from the audits to be conducted in the next financial year, i.e., FY 2026–2027 and onwards, thereby affording stakeholders adequate time to recalibrate their audit schedules in conformity with the revised regulatory framework.
56. In order to ensure consistency with contractual schedules between service providers, financial reporting obligations, and compliance requirements, the Authority deems it appropriate to substitute the existing calendar year audit provision with a financial year audit provision. Accordingly, DAS audits pertaining to the preceding financial year should be aligned with the financial year, i.e., 1st April to 31st March.

Regulation 15(1)- regarding the DPO to submit audit report by 30th September

57. In order to ensure time bound completion of audit, draft Regulations 2025 proposed that the audit report for the preceding financial year shall be shared by DPO with broadcasters, with whom it has entered into interconnection agreements, by 30th September every year.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

58. In response, the different views received from stakeholders are broadly summarized as follows:

- Mandatory reporting timelines (by 30th September) enhance compliance and reduce disputes.
- Stakeholders not agreeing to the proposed change stated that the proposed reduction of the timeline from the existing 12 months to just six months is not justified. A six month window is impractically short and may compromise the quality and thoroughness of the audit.
- A view called for reconsidering the proposed timelines by extending the deadline for submission of audit reports to 31st December of the subsequent financial year to ensure sufficient time for accurate, error-free, and quality reporting, without compromising compliance integrity.

- Since the draft amendment shall come into effect from 1st April 2026, they may be permitted to conduct the audit for the period of calendar year 2025 from 1st July 2025 to 31st March 2026 as a one-time dispensation, post which they will align their audit with the financial year as prescribed by the draft amendment.

Analysis

59. The extant regulations did not prescribe specific timelines for submission of audit reports by the distributors of television channels to the broadcasters. The regulatory framework merely requires that the annual audit be scheduled in such a manner that there is a minimum interval of six months and not exceeding eighteen months between two consecutive audits conducted in successive calendar years. The absence of a definitive submission date resulted in audits not being undertaken in a time-bound and uniform manner across the industry, often being pushed to the end of the year, thereby undermining the objective of timely compliance and standardized reporting.
60. In order to institute standardized timelines for audit scheduling and report submission across the industry, the amended regulations stipulate that every DPO shall furnish an audit report to each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement by 30th September of each year. Furthermore, distributors are required to submit the relevant portions of the audit report, together with all annexures, to the broadcasters concerned.
61. Time-bound completion of audits and the timely submission of audit reports to broadcasters are essential for streamlining the audit process. Accordingly, it is prescribed that audits shall be conducted by the distributor for the preceding financial year, and the audit report shall be furnished by the distributor to each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement no later than 30th September of the financial year.
62. This stipulation ensures that broadcasters are afforded sufficient time to initiate audits of those distributors who fail to submit their audit reports by the prescribed date. The six month period culminating on 30th September is consistent with financial audit cycles and is considered a reasonable timeframe for planning and scheduling audits keeping in view the scope of work involved. The establishment of a definitive timeline enables distributors to organize and execute their audits in advance, thereby safeguarding the quality, comprehensiveness, and integrity of the audit process.

Regulation 15 (1) 1st proviso – regarding audit by TRAI empanelled auditor or BECIL

63. In line with Interconnection Regulations 2017, the draft Regulations 2025, stated that the Authority may empanel auditors for the purpose of audit under regulation 15(1) and it shall be mandatory for every distributor to get the audit conducted, from M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, or any of such empanelled auditors.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

64. In response, the various views received from stakeholders are summarized below:
 - Reiteration of BECIL or TRAI-empanelled auditors as exclusive authorized auditors is redundant. Industry already adheres to the requirement of engaging only authorized entities for annual audits and mandating specific institutions or categories offers no additional regulatory safeguard but restricts flexibility in engaging equally competent and accredited third-party auditors.
 - Reference to BECIL in draft Regulations 2025 and all other similar references in the regulations should be amended to reflect only “empanelled auditors” (i.e., without any specific reference to BECIL) as this will preserve equality, avoid perceptions of favoritism, and ensure a level playing field for all empanelled auditors, including BECIL.

Analysis

65. It is pertinent to note that the principal regulations contain explicit provisions permitting audits to be undertaken either by auditors duly empanelled by the Authority or by BECIL. Further, BECIL, being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), has been engaged in conducting audits of distributor systems even prior to the introduction of the extant regulatory framework in 2017, and possesses substantial experience and expertise in this domain.
66. In accordance with the stipulations of the Interconnection Regulations 2017, the Authority has empanelled a number of auditors. The audit of the technical systems of distributors, as mandated under the regulations,

necessitates not only financial expertise but also technical proficiency. Hence the auditing entity should not only have financial experts but also technical experts who are well-versed with the broadcasting and distribution industry and are proficient in understanding the technical set-up of DPOs like network, head-end, customer detail integration in SMS and CAS; and possess knowledge of customer and system lifecycle.

67. Through these amendments, the Authority seeks to enhance the accountability of auditors. Further, the technical proficiency requirements and stringent accountability provisions have been incorporated into the Expression of Interest (EOI) document issued by TRAI in August 2025 for empanelment of auditors. Any eligible entity may apply for empanelment as a DAS auditor. The Authority is of the considered view that the empanelment framework provides adequate flexibility for entities to enroll, while ensuring that only financially and technically competent auditors are engaged to meet regulatory requirements.
68. At present, a sufficient number of auditors, including BECIL, are available for selection by distributors and broadcasters, thereby ensuring flexibility in choice. Furthermore, the continued inclusion of BECIL under the Seventh Amendment Regulations, serves to augment the pool of experienced, competent, and eligible auditors. Since distributors and broadcasters retain the freedom to appoint any auditor from the empanelled list, the inclusion of BECIL does not distort the level playing field among auditors.

Regulation 15 (1) 2nd proviso – regarding DPOs to inform audit schedule in advance to the broadcasters

69. In the draft Regulations 2025, the distributors have been mandated to inform the broadcasters, with whom they have entered into an interconnection agreement, regarding the schedule of their DAS audit and the name of the auditor at least thirty days in advance.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

70. In response, various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
 - Intimation to the broadcaster should be given seven days in advance instead of 30 days. After the appointment of an auditor, the audit commences within seven days, and if a DPO has to give 30 days' notice then the DPO has to wait for 30 days to commence the audit.
 - This provision poses both operational and confidentiality challenges. DTH operators' audit timelines are dynamic and dependent on data readiness and system availability; fixing a 30 days advance notice period removes necessary flexibility. Disclosure of the auditor's identity and audit schedule to broadcasters—who are commercial counterparts—creates potential confidentiality and independence risks.

Analysis

71. It is pertinent to note that existing Audit Manual issued by the Authority on 8th November 2019 already provides that if the audit, either compliance or subscription, is caused by the DPO, then the information regarding the schedule/conduction of audit along with audit agency details will be required to be shared with the concerned broadcasters at least 30 days before conduction of audit. Thus, as per the provisions of the Audit Manual, the distributors are already required to provide information related to schedule/conduct of audit along with the audit agency details to the broadcasters at least 30 days before the conduction of audit. The present provision merely incorporates into the regulatory framework, through the Seventh Amendment Regulations, the requirement already contained in the Audit Manual, thereby formalizing the obligation within the regulations. There is no confidentiality challenge involved in the audit. The audited data is of direct use of the broadcaster and the same is given to them.

Regulation 15 (1) 3rd proviso – regarding the broadcaster may depute a representative to attend the audit

72. Draft Regulations 2025 proposed that the broadcaster may depute one representative to attend the audit and share inputs of the broadcaster for verification during the audit process and the distributor shall permit such representative to attend the audit. It is also clarified by the Explanation in the draft Regulations 2025 that the presence of the representative of the broadcaster is for the limited purpose of sharing inputs, if any, for verification, during the audit process, and does not entitle him to direct or influence in any manner the conduct of the audit.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

73. In response, differing views were received from the stakeholders. The comments of the stakeholders favouring the provision, some with certain caveats are summarized as follows:
- Inclusion of broadcaster participation during audits (without influencing the process) is a balanced step that respects both operational independence and stakeholder engagement.
 - There are several practical and operational concerns with the single representative limitation as point 18(B)(5) of the Audit Manual permits a broadcaster, in the case of a broadcaster-led audit, to depute two representatives to observe the audit proceedings, however, under the draft amendment, a broadcaster is allowed to depute only one representative to attend the audit and provide inputs. The rationale for this discrepancy is unclear, and it is not evident why TRAI has chosen to prescribe differing requirements for broadcaster led and DPO led audits, particularly when both processes seek to ensure transparency and accuracy in audit outcomes. Keeping in mind the technical and commercial nature of the audit, at least two representatives of the broadcasters should be allowed to discuss and observe the audit.
 - In the interest of transparency, daily status update of audit can be recorded.
74. Those opposing the provision that the broadcaster may depute representative to attend the audit, commented as follows:
- Remove the provision and limit the broadcaster engagement to written submissions of inputs. Such presence is unnecessary as broadcasters can provide their inputs via email prior to commencement of the audit and allowing representatives of multiple broadcasters to physically attend will result in large groups (15–20 individuals) entering DPO premises, creating operational disruptions, confidentiality concerns, and risk of data leakage.
 - The intent of the audit is to be an independent third-party process conducted by TRAI empanelled auditors and the presence of broadcaster representatives undermines the independence and objectivity of this process. While the Authority has clarified that they would not interfere in the audit process but in practice they are bound to interfere in the audit process, and this would certainly hamper the whole process.
 - Audits are conducted on the premises of distributors, which are critical centers for operations and contain other sensitive information that is not required to be shared as a part of the audit process, but the physical presence of the representative poses a risk to distributor's sensitive information being leaked.
 - It will be difficult for the distributor to ensure confidentiality as the representative of one broadcaster shall be privy of the information being shared with the representative of another broadcaster and this shall pose a serious threat to the confidentiality of the sensitive information of the distributor.
 - Representatives of the broadcasters should not be allowed to communicate with the auditors as that may lead to a situation where the representatives can bias or poke the auditor, thereby rendering the audit process ineffective.
 - Independent TRAI-authorized auditors already ensure objectivity and compliance verification, making broadcaster's representative attendance unnecessary and intrusive, which will delay and compromise the integrity of the audit process.

Analysis

75. The Authority is of the considered view that the presence of a broadcaster's representative during the conduct of audits will enhance transparency and strengthen the overall efficacy of the audit process. Such presence ensures that the concerns and issues of the broadcaster are duly addressed in the course of the audit, thereby fostering confidence in the audit outcomes and obviating the necessity for follow up audits by the broadcaster.
76. With respect to the apprehensions raised regarding the participation of broadcaster representatives—namely, that communication with auditors may unduly influence the audit, or that their presence may cause operational disruptions, confidentiality risks, or potential data leakage—it is clarified that the regulations expressly limit the role of broadcaster representatives to the provision of inputs, if any, for verification purposes during the audit. The representatives are not vested with any authority to direct, interfere with, or otherwise influence the conduct of the audit. The procedural modalities for seeking inputs, restricting access to broadcaster specific information, and defining the scope of participation of representatives at the audit site shall be determined mutually by the auditor and the distributor of television channels, in accordance with site specific requirements. It is further noted that the extant Audit Manual already stipulates that DPOs permit the physical presence of broadcaster representatives during audits initiated by broadcasters.

77. Regarding the request to allow two representatives per broadcaster, the Authority is of the considered view that the presence of a single representative is sufficient to safeguard the interests of the broadcaster during the audit. The comparison with provisions permitting two representatives in Audit Manual is misplaced, as such provisions pertain to limited broadcaster-initiated audits. In contrast, audits conducted under regulation 15(1) are comprehensive in nature and encompass all broadcasters. Broadcasters may, if they so choose, explore the option of deputing a common independent representative to the audit site.

Regulation 15(1) 4th proviso – regarding making audits optional for the small DPOs

78. Draft Regulations 2025 proposed that it shall be optional for distributors of television channels, whose active number of subscribers, on the last day of the preceding financial year, do not exceed thirty thousand, to get the audit conducted under regulation 15(1).

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

79. In response, divergent views were received from the stakeholders. The views which favoured the provision are broadly summarized as follows:

- Pragmatic exemption for small DPOs from mandatory audits recognizes the operational constraints of smaller players while maintaining checks via broadcaster-initiated audits if necessary, encouraging proportional compliance without stifling regional or niche service providers, promoting inclusivity in the regulatory framework.
- TRAI should periodically review the subscriber threshold to reflect market dynamics and technological evolution.
- Introduce slabs or threshold-based exemptions. MSOs with fewer than 20000 connections may be exempted from mandatory audits under regulation 15(1) and regulation 15(2) and alternatively, such MSOs may be allowed to submit self-certification reports or simplified audit statements as a compliance mechanism.

80. Those opposing the provision commented as follows:

- Mandatory annual audits must continue for all DPOs, irrespective of size as exemptions will lead to misuse, with larger MSOs splitting their operations to fall below thresholds.
- Even small DPOs with 30000 subscribers generate annual revenues in the range of ₹3–5 crores, and the cost of a single annual audit (~₹75,000–1 lakh) is insignificant compared to their operations.
- Transparency and prevention of under-reporting were the very reasons for introducing regulation 15(1) and diluting it will undermine these objectives and create regulatory disparity.
- There should not be different regulations for different DPOs on the basis of size or financial parameters and that the regulatory framework should be uniformly applicable to all DPOs, as any carve-out in favour of smaller entities will only foster disparity, encourage non-compliance, and also increase the cases of non-compliance of the regulation with an adverse bearing on the industry as a whole.
- Audit exemption for small DPOs is unacceptable without the inclusion of the critical safeguards. However, the exemption ought to be conditional upon the aggregation of subscriber bases for infrastructure-sharing entities and the mandatory submission of weekly raw SMS/CAS data for verification purposes. Broadcasters must retain an unfettered right to audit these exempted DPOs at their discretion.

Analysis

81. The Authority notes that DPOs with significantly low subscriber bases have, in various consultations/interactions, represented their difficulties in conducting annual audits of their systems owing to constraints of manpower and financial resources. The smaller DPOs have higher input costs due to poor economies of scale and scope in operations. They are compelled to incur additional expenditure for engaging technical support from Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) vendors during the conduct of annual audits due to their limited technical resources and capabilities.

82. Additional representations have been received from certain small DPOs seeking exemption from audit requirements on account of their inability to bear audit fees. Several MSOs have also requested MIB for exemption from the requirement of audit due to their inability to afford audit fees on account of a small subscriber base.
83. In the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 (3 of 2024), dated 8th July 2024, the Authority recognized DPOs with subscriber bases of less than 30000 as smaller DPOs and accordingly made certain compliance requirements optional for such entities. These included, *inter alia*, the obligation to maintain an Interactive Voice Response System (IVRS), to host a dedicated website with provisions for Consumer Corner and Subscriber Corner, and to publish a Manual of Practice.
84. Issue that such relaxation may result in non-uniform regulation across DPOs of varying sizes or encourage fragmentation of MSOs are unfounded. The provision does not exempt smaller DPOs from audit requirements altogether but renders the annual audit optional, while simultaneously empowering broadcasters to initiate audits where necessary to verify subscriber numbers. However, all DPOs are required to ensure that their technical systems are always compliant with TRAI regulations at all times; and subscriber numbers reported to the broadcasters in the MSRs are correct and accurate.
85. The Authority is cognizant of the declining subscriber numbers attributable to migration towards alternate entertainment platforms, which disproportionately impacts smaller operators due to their limited financial capacity, higher operational costs, and lower economies of scale. In furtherance of its objective to facilitate ease of doing business and promote sectoral growth, the Authority is of the considered view that the requirement of annual audit may be rendered optional for distributors with fewer than 30000 active subscribers.
86. The argument that the income of these DPOs is sufficient to bear cost of audit needs to be viewed with respect to these facts. Further, as per seeding data received from MIB dated 15th September 2025, around 90% of cable subscribers are catered to by the MSOs who have more than 30000 subscribers. The systems of these MSOs are mandatorily being audited while the remaining MSOs who have subscribers up to 30000 are put under optional audit requirements with full rights to the broadcasters to cause audit of their systems.
87. This provision alleviates the compliance burden on smaller operators, many of whom have indicated that audit-related expenses constitute a disproportionately high share of their revenues. At the same time, it preserves flexibility for operators to undertake voluntary audits should they choose to do so and enables broadcasters to cause audits of such DPOs once annually if deemed necessary. This approach is consistent with the broader regulatory intent of reducing compliance costs for smaller entities, as reflected in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 (3 of 2024), wherein certain obligations were made optional for DPOs below the defined subscriber threshold.
88. For the purpose of determining applicability, the subscriber base of each registered/licensed DPO as on the last date of the preceding financial year shall be considered. Where infrastructure is shared or in case of Joint Venture, the combined subscriber base of all registered/permitted/licensed DPOs utilizing such infrastructure shall be taken into account for determining applicability of these audit provisions. The threshold of 30000 subscribers shall be subject to periodic review by the Authority.

Regulation 15(1) 5th proviso – regarding furnishing of audit certificate by the auditor

89. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the empanelled auditor, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, conducting the audit of the addressable systems, shall furnish the audit report along with an audit certificate to the distributor confirming that the auditor is independent of the auditee and that the audit was conducted in accordance with the provision of the regulations, and the auditor shall also furnish such other information or certification as may be specified by the Authority from time to time.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

90. In response, a submission received suggested that:

- Mandating auditors to furnish "such other information or certification as may be specified by the Authority from time to time" introduces open-ended compliance obligations without defined limits or notice requirements, which could lead to unpredictable reporting formats or additional certifications beyond the scope of the audit engagement, creating administrative uncertainty for both auditors and distributors.
- Reiterating the inclusion of M/s BECIL alongside TRAI empanelled auditors, unnecessarily narrows the choice of qualified professionals, limiting flexibility, and incur additional costs and may lead to unnecessary time overruns without any clear regulatory benefit.

Analysis

91. The Authority is of the considered view that, consistent with established practices governing financial audits, auditors shall be required to submit the audit report accompanied by an audit certificate affirming their independence from the auditee and confirming adherence to applicable regulatory provisions. The format of such certification may be prescribed separately by the Authority. The provision for any additional information or certification to be furnished by auditor as stipulated by the Authority from time to time, is also necessary to address unforeseen issues that may arise with respect to audit reports. Furthermore, as noted in the preceding sections, DPOs and broadcasters retain the freedom to appoint an auditor of their choice from among those empanelled by the Authority or from Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL).

Regulation 15(1) 6th proviso – regarding inclusion of unaudited period

92. Draft Regulations 2025 proposed that after coming into effect of these regulations, the unaudited period, if any, preceding the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

93. In response, the various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:

- Support the inclusion of this proviso, as it ensures that no operational period remains outside audit oversight. The regulation should clearly specify that the unaudited transition period between calendar and financial year cycles must be seamlessly captured in the subsequent audit.
- Including past unaudited periods retrospectively imposes significant operational and resource burdens on distributors. Historical system data may reside on legacy platforms or archived storage, making retrieval, reconciliation, and verification highly complex and time consuming. Regulations did not mandate retrospective audits earlier, and thus applying this requirement now would have a retroactive effect, contrary to settled regulatory principles and also risks duplicative audits and inconsistent reporting between past and current financial years.

Analysis

94. As per the extant provisions the DPOs are required to get their systems audited up to calendar year 2025. To ensure comprehensive audit coverage and that no operational period remains outside audit oversight, the regulation provides for covering any unaudited period preceding the financial year for which the first audit is conducted under the revised framework. This will close any gaps during transition and create a clean baseline for continued compliance. The extant data storage period requirements under the regulation ensure data availability for the above mandate allay any apprehension related to retrospective application of the provisions. Further, the regulation already clarifies that in case of first audit after the implementation of these regulations an unaudited period, if any, preceding to the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit and any overlapping period for which the audit has already been done in the year 2025 shall be excluded from the audit.

Regulation 15(2) regarding audit by broadcasters

95. Draft Regulations 2025 contain provisions 15(2) (a), 15(2) (b) and 15(2) (c) relating to following scenarios:

- “(2) (a) In case a broadcaster has received the audit report by the due date of 30th September under sub-regulation (1) and finds discrepancy in such audit report.....”
- “(2) (b) In case a broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the due date of 30th September.....”; and

- “(2) (c) In case the audit conducted under sub-regulation (1) or (2)(a) or (2)(b) reveals that –
(a) there is a discrepancy in subscriber numbers,;
(b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both,”.

Broad Summary of general comments of the stakeholders on draft Regulations 15(2)

96. The views received from stakeholders are summarized as follows:

- Audit framework should rest on a single, TRAI-mandated annual audit of DPO addressable systems (as per regulation 15(1) of the Interconnection Regulations 2017). Broadcaster-initiated audit route (as per regulation 15(2) of the Interconnection Regulations 2017) must be eliminated, since it duplicates audit efforts, drives up costs, and undermines the integrity of the TRAI audit regime.
- Parallel provision under regulation 15(2) of the Interconnection Regulations 2017 gives a similar parallel power to broadcasters who are an equal partner in the business value chain.
- Broadcasters frequently question audits conducted by TRAI-empanelled auditors, thereby undermining the credibility of TRAI’s own framework.
- Broadcasters must present substantiated evidence (e.g., subscriber discrepancy >2%) to initiate a second audit, a broadcaster must engage with the original audit report first, with scope for resolution, limit such audits to once per financial year per broadcaster per DPO, ensure grievance redressal mechanisms to protect DPOs from coercion or audit overreach and outcomes of such audits must be shared with TRAI and the DPO, and reflected in a public audit log. These steps will reduce frivolous audits and ensure audit discipline while protecting consumer interests.
- Structured pathway for broadcasters to raise discrepancies and seek special audits is a robust safeguard, as it balances distributor accountability, evidence-based escalation and TRAI’s oversight. TRAI may publish anonymized audit outcomes and compliance to promote industry-wide learning and benchmarking.
- Proposed amendment in regulation 15(2) fundamentally alters the broadcaster’s right to audit and repeals the existing direct right to conduct an audit under regulation 15(2) and replaces it with a cumbersome, multi-stage “challenge” process that is mediated by TRAI. Amendment effectively converts what has hitherto been a straightforward commercial right into a regulator-controlled mechanism, thereby restricting the broadcaster’s autonomy to conduct audit and independently verify subscriber reports furnished by the distributor.
- Explanatory memorandum of the draft Regulations 2025 provides no rationale as to why replacing a direct audit right with a TRAI-gatekept process is a solution and TRAI’s direct involvement introduces additional procedural complexity into what is essentially a B2B revenue assurance mechanism.
- New provision attempts to override the right of broadcasters to approach the Hon’ble TDSAT directly for audit-related disputes, and instead, mandates that they first go to DPO and later to TRAI that inter-alia lacks adjudicatory powers and capacity for prompt and efficient action.
- Hon’ble TDSAT, in Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. vs. Digiana Projects Pvt. Ltd. (B.P. No. 658 of 2020) (“Sony vs. Digiana”), held that a broadcaster’s right to conduct an audit under regulation 15(2) does not require any contest or legal dispute for permitting the broadcaster to proceed with its right to hold an audit. The amendment contradicts this principle by forcing a broadcaster into a lengthy dispute and appeal process to exercise its right to verify its revenue as it retains the problematic DPO-caused audit and fetters the broadcaster’s audit right, making it conditional and subject to TRAI’s approval.
- Circumscribed challenge audit and mechanism therefore under regulation 15(2) is procedurally unviable and strips broadcasters of their fundamental right to verify their revenue and protect their content and strongly oppose its introduction and suggest recognising and allowing broadcaster-initiated audits.

Analysis

97. The Authority has sought to streamline the audit framework by reducing compliance costs, instituting time-bound implementation, and limiting repeat audits to justifiable grounds. It is recognized that the conduct of two audits—one by the DPO and another by the broadcaster—significantly increases the cost to stakeholders. Accordingly, a second audit of the same system should be undertaken only where justifiable grounds exist.
98. The amendments introduced are intended to render the audit system robust, efficient, fair, and equitable, while also reducing costs. A single audit, conducted by an auditor chosen by the DPO from Authority’s empanelled list of

auditors or BECIL, who are subjected to stringent grading and accountability criteria, in the presence of broadcaster representatives, ensures the robustness of the process.

99. The framework mandates that DPOs furnish audit reports to broadcasters within prescribed timelines, while affording broadcasters the flexibility to seek clarifications on discrepancies observed in the audit report within a time-bound manner. Only where such stepwise escalation fails to resolve the broadcaster's concerns in the auditor's work, does the framework provide for the Authority's intervention to examine the alleged inadequacies/discrepancies in conduct of audit. Following such examination, if the Authority finds adequate basis in the broadcaster's contention regarding the inadequacies/discrepancies in the audit, the broadcaster may be permitted to cause a further audit of the DPO's system.
100. Further, given that audits are conducted by auditors empanelled by the Authority, it is imperative to ensure accountability on the part of auditors to undertake audits in a fair, transparent, and professional manner. This has been secured through stringent conditions incorporated in the revised Expression of Interest (EOI) for empanelment of auditors issued in August 2025. Under the revised framework, TRAI empanelled auditors categorized based on their experience, are required to conform to the Authority's empanelment criteria, and must submit, along with the audit report, a certificate affirming their independence and compliance with regulatory requirements.
101. These amendments are designed to streamline the audit process, eliminate unnecessary duplication, and enhance the robustness of the audit ecosystem, while simultaneously reducing costs to stakeholders. By aligning with established industry practice, wherein a single annual financial audit is the norm, the Seventh Amendment Regulations seek to improve audit efficiency, minimize duplication, and strengthen auditor accountability.
102. With reference to the provisions contained in regulation 15(2) of the extant framework, it has been brought to the notice of the Authority that the broadcasters sometimes invoke audits under this regulation without valid justification or substantiated data. And that broadcasters, despite not raising objections to the reports furnished by DPOs throughout the year, often seek to initiate audits towards the end of the year in circumstances where commercial terms remain unresolved, thereby using audit requests as a means of exerting pressure on DPOs.
103. It was further highlighted that the conferment of unbound audit powers upon broadcasters ought to be reconsidered to bring balance in the ecosystem. It has been argued that, since audits mandated by the Authority are conducted by empanelled auditors, such audits should bring finality, rendering broadcaster-initiated audits unnecessary. It was emphasized that once an audit has been conducted in accordance with the Authority's stipulations, any additional audit initiated by a broadcaster imposes undue financial and operational burdens on DPOs, despite their compliance with regulatory requirements. It has additionally been opined that broadcaster-initiated audits do not yield any incremental findings beyond those already covered in the DPO-initiated audit, and in effect amount to a duplication of the audit exercise. The comments called for providing a structured pathway for broadcasters to raise discrepancies for seeking special audits.
104. The Authority is of the view that a second audit of the same system should be undertaken only on justifiable grounds of inadequacies/discrepancies in the audit to avoid repetitive deployment of resources, maintain audit credibility, and uphold the exceptionality of the review process. Unwarranted repetition of audits results in resource wastage, operational disruption, and diminished stakeholder's confidence in the audit process. Therefore, a subsequent audit should be considered only on justifiable grounds supported with basis to demonstrate that significant issues of inadequacies/discrepancies in the audit remain unresolved or in case of unsatisfactory clarification from the auditor. This approach promotes transparency, accountability, and efficient audit practices.
105. To enable examination of adequacy of the grounds for seeking re-audit by broadcasters, there is a need to institute a mechanism for same. It is considered prudent to allow opportunity of clarifications on audit at first stage, when the broadcaster can approach the original auditor itself through DPO for clarifications on audit report to be replied to in a time bound manner. In cases where the original auditor fails to satisfactorily address or reply to the issues raised by the broadcaster, the broadcaster may approach TRAI with grounds for seeking re-audit. This mechanism does not remove the broadcasters' right to seek re-audit in genuine cases. It also does not reflect an intention on the part of TRAI to engage in resolution of disputes among service providers as has been apprehended by some stakeholders. On the contrary it aims to streamline the process. It also removes instances of unwarranted re-audits to coerce commercial deals as has been pointed by certain stakeholders. Any audit by the broadcaster(s) should be limited to their own subscription numbers in addition to the audit of technical systems of the DPO.

106. Regarding the issue raised about overstepping of its legislative mandate and assuming a judicial role by the Authority, as mentioned in previous paras, Authority's intent in this exercise is to streamline the audit process. The focus is on enhancing the efficiency and effectiveness of the audit process and increasing accountability of the auditor and the Authority is in no case attempting or intending to engage in resolution of disputes among service providers. TRAI is establishing a streamlined audit mechanism because the existing system has resulted in duplication of audits. In the financial sector, each business entity undergoes a single audit in a year and likewise it can be replicated in DAS audits also. The Seventh Amendment Regulations therefore are specifically designed to improve the efficacy of overall audit process, reduce redundancy, and increase auditor accountability.
107. While the Hon'ble TDSAT in Sony Pictures Networks India Pvt Ltd vs. Digiana Projects Pvt Ltd (Order dated 07.12.2020) observed that the broadcaster's right under Regulation 15(2) "does not and should not require any contest or legal dispute for permitting the broadcaster to proceed with its right to hold an audit" it is pertinent to note that the case was related to commercial dispute between two service providers. The Tribunal did not hold that the routine audit obligation of the DPO under Regulation 15(1) should be dispensed with. On the contrary, the order clearly distinguished between the annual audit mandated under 15(1) and the right of the broadcaster under Regulation 15(2), emphasizing that both provisions serve distinct purposes. The court's judgement interprets the extant Regulation 15(2) in the context where regulations allow broadcasters to conduct audit. Additionally, the Honorable TDSAT judgement did not adjudicate upon the validity of said regulation and were confined solely to the interpretation of extant provision. Accordingly, the provision remains amenable to amendment by TRAI. Based on the consultation process, Regulation 15(2) is being amended on grounds explained in the Consultation Paper, draft regulation and this EM.

Regulation 15(2)– regarding broadcaster to report in writing within forty-five (45) days in case of any discrepancy

108. In the draft Regulations 2025, it was proposed that in case a broadcaster finds discrepancy in audit report received under regulation 15(1), it may point out the same, in writing, to the distributor of television channel from whom the audit report has been received, citing specific observations with evidence against audit report, within thirty days of receipt of audit report, and may provide a copy of the observations with evidence to the concerned auditor.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

109. In response, various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
- This regulation may be amended to state that the report shall be deemed accepted and no queries can be raised by the broadcaster post expiry of 30 days.
 - In case a broadcaster has received the audit report by the due date of 30th September under sub-regulation (1) and finds discrepancy in such audit report related to number of subscribers, it may point out the same, in writing, to the distributor.
 - Current framework already provides adequate checks through independent empanelled auditors, reopening and revalidating audit results repeatedly may compromise finality and increase administrative burden on distributors. In case of discrepancy, the broadcaster may raise specific written observations supported by evidence within 30 days of receipt of the audit report and the distributor shall facilitate review by the auditor within a reasonable period, not exceeding 30 days, to ensure timely closure.
 - Timeline of 30 days is wholly inadequate, given that broadcasters usually have agreements with hundreds of DPOs, and DPOs may send their audit reports on or around the deadline for submission of audit report and a proper review of reports and analysis of annexures cannot be realistically completed within this compressed period of 30 days.
 - In practice, many distributors delay sharing complete audit reports or related communications and do so only after inordinate delays and repeated requests of broadcasters which would lead to expiration of the statutory period for retaining data, meaning there can be no verification of data for that particular period and if the 30 days period starts running from such delayed communication, broadcasters are placed in ambiguous enforcement situations where the deadline has technically lapsed before meaningful engagement has even begun. This provision requiring broadcasters to respond within 30 days ought to be removed so as to, *inter-alia*, neutralize any dilatory tactics.
 - At least 90 days' time should be given to the broadcasters to share the observations with the auditors/DPO.

Analysis

110. The Authority realizes that timely completion of audits is critical for the integrity of the entire value chain. It is necessary that audits pertaining to a financial year are completed in all respects by the end of the succeeding financial year. Allowing unbounded or long timelines for response or providing long period to convey observations on discrepancies, would unduly delay the audit process and subsequent compliance actions. Long timeframes for reporting discrepancies can prolong conclusion of audit process thus undermining the efficiency of the system. However, considering stakeholders' requests for extension of the timeframe for broadcasters, a modest increase in time allowed to submit written observations appears necessary and has been duly considered. Accordingly, the Seventh Amendment Regulations provide a time of 45 days, revising the timeline from 30 days as given in draft Regulations 2025. This is considered reasonable, balancing procedural efficiency with a reasonable opportunity for broadcasters to record their concerns.
111. With respect to comments regarding delays by distributors in furnishing complete audit reports, or instances of reports being shared only after repeated requests, the Authority notes that this issue has already been addressed in the amended framework. To ensure standardized timelines for audit scheduling and report submission across the industry, the regulations now mandate that every DPO shall furnish an audit report to each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement on or before 30th September of each year. In addition, distributors are required to submit the relevant portions of the audit report, together with all annexures, to the concerned broadcasters. This provision establishes uniformity, ensures timely compliance, and enhances transparency in the audit process.

Regulation 15(2) 1st proviso - regarding timelines for DPO and Auditor response, on receipt of Broadcaster's concerns

112. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the distributor, on receiving observations from broadcaster shall refer the same to the auditor concerned, within seven days of its receipt, to examine and address the observation and the auditor shall address the observations of the broadcaster and provide its updated audit report to the distributor within a period of thirty days which the distributor shall forward to the broadcaster within seven days of its receipt.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

113. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
- While supporting the above-mentioned provision of draft Regulations 2025, it was suggested that after this iteration, no audit should be allowed to be triggered by the broadcaster on their own. TRAI should check the re-audit case for merit based on evidence, thereby ensuring a clear and predictable audit schedule.
 - If there is delay in completing the audit due to justifiable reasons requiring consultation with the regulator, the DPO should inform TRAI accordingly and once such intimation is duly acknowledged by TRAI, the revised timeline should be treated as the effective audit completion period. TRAI should formalize this sequence and include provisions for extension of timelines in genuine cases acknowledged by the Authority.
 - This regulation should be amended to state that no additional audit shall be carried out and that the auditor shall merely provide a detailed response to the queries raised by the broadcaster within a period of 30 days as it will be difficult to re-open the report and amend it according to multiple queries raised by multiple broadcasters.
 - Improvisation of the audit report should not be permissible and once an auditor has completed and signed an audit, neither the auditor nor the distributor should have any scope to revise, re-interpret, or dilute the findings as allowing ex-post improvisations compromises the independence of the audit, and undermines confidence in the process.
 - Proposed timelines (seven days for distributor and 30 days for auditor) are overly stringent and do not account for the practical time needed to examine complex technical and transactional data. In many cases, addressing broadcaster observations involves technical data extraction, validation, and system verification, requiring coordination between multiple teams and impractical timelines could lead to incomplete responses or procedural lapses.

Analysis

114. The Authority is of the view that clear timelines will help ensure timely completion of the audits. Regarding the comment of the stakeholders that revision of the audit report should not be allowed, it may be noted that the intent of the provisions under this regulation is to provide an opportunity to broadcasters to bring out any inadequacies or discrepancies in the audit and provide the auditor the opportunity to provide clarifications, or rectifications that may be needed based on factual position. This is intended to reduce disputes and minimize the need for a subsequent audit. Further a span of 30 days is considered enough for the auditor to examine the issues raised and to provide clarifications/rectifications where necessary.
115. Regarding requests for timeline extensions in genuine cases, the Authority believes that timely audit completion is crucial. The timelines have been framed after duly considering the reasonable requirements. Permitting extensions could be used to circumvent the audit process, undermining its effectiveness.

Regulation 15(2) 2nd and 3rd proviso- – regarding the provision that broadcaster may approach TRAI if its concerns are not properly addressed seeking an audit

116. In the draft Regulations 2025, it was proposed that if the broadcaster finds that its observations are not addressed completely, the broadcaster may report to the Authority its specific observations with evidence within thirty days of receipt of the updated audit report. The Authority shall examine the case on merits, at the fees and costs to be borne by the broadcaster, as may be specified by the Authority and, if found necessary, may permit the broadcaster to get a special audit conducted at the cost of the broadcaster to ascertain the discrepancies pointed out by the broadcaster.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

117. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
- A second-level escalation to the Authority should be limited to substantial or material discrepancies rather than all residual disagreements, to prevent overburdening both the Authority and stakeholders.
 - TRAI, being a regulatory authority, is not empowered to adjudicate disputes arising from substantial or material discrepancies in the audit report and such grievances between the broadcaster and the distributor fall under the jurisdiction of the Hon'ble TDSAT. Any dispute arising out of the audit report will be a question of law which shall be referred to and adjudicated by the Hon'ble TDSAT as provided for in the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.
 - Regulation appropriately ensures broadcaster accountability for costs but lacks clarity on the process and scope of Authority intervention. There should be clear parameters defining when the Authority may permit special audits, to prevent frequent and unnecessary re-audits that could disrupt operations.
 - Broadcaster should inform the distributor of its concerns while reporting to TRAI and before the special audit is granted, the distributor should also be permitted to submit its clarifications to the Authority.
 - Treating a broadcaster's audit as "special" would require a broadcaster to demonstrate suspicion or submit *prima facie* evidence before being permitted to verify its own revenue. Such an approach weakens safeguards against data manipulation and renders the verification process reliant on regulatory discretion.
 - All references to TRAI's approval for broadcaster-led or "special" audits be deleted, and that the regulations to affirm the broadcaster's right to conduct audits as a normal, integral, and indispensable element of the interconnection regime.

Analysis

118. As mentioned earlier, dual audits by DPOs and broadcasters increase costs. A second audit of the same system should only be undertaken with justifiable grounds. Questioning audits conducted by TRAI-empanelled auditors or BECIL also undermines the system's integrity. Aligning with normal audit practices of single annual audits, these regulations aim to streamline the process, reduce duplication of audits, and enhance auditor accountability while providing broadcasters reasonable opportunity to get their concerns addressed by way of the procedure outlined in the regulation. This approach would eliminate duplication and improve overall efficiency.
119. For the financial accounts, each business entity undergoes a single audit in a year and the same is relied upon by ensuring credibility of audit process and accountability of auditors. Likewise, as mentioned above, it is now planned that DAS audits should also be conducted normally once by strengthening audit process and ensuring accountability of auditors. For this purpose, the necessary regulatory check has been put so that a second audit is

not caused merely in routine but is a genuine requirement supported by facts of flaws in the original audit. This check therefore deals with performance of original auditors (a TRAI empanelled auditor, required to perform audit as per TRAI's regulation, taking TRAI's Audit Manual for guidance).

120. Regarding the suggestion that escalation to TRAI should be confined to substantial or material discrepancies, so as to avoid overburdening both the Authority and the regulated entities with residual disagreements of minor consequence, the Authority agrees that the purpose of the provision is to address those inadequacies/discrepancies which materially affect subscriber reporting and revenue settlement. Accordingly, the framework is intended to ensure that consideration of re-audit is supported with evidence of significant inadequacies/discrepancies.
121. Regarding the comment by stakeholders that any dispute arising out of the audit report will be a question of law which should be referred to the Hon'ble TDSAT, the matter has been discussed in previous paras. The Authority is not intending to adjudicate any dispute between service providers but is envisaging scrutiny of grounds cited for inadequacies/discrepancies in the audit report before permitting a re-audit. It may be noted that the Authority's role under the regulation in this regard is for regulatory oversight and facilitation of audits where *prima facie* inadequacies/discrepancies are demonstrated. The adjudication of disputes of law or contractual interpretation shall continue to vest with the Hon'ble TDSAT. At no stage, a dispute between two service providers is being sought to be adjudicated by TRAI. Hence the question of TRAI exceeding its regulatory mandate or stepping into the role of Hon'ble TDSAT does not arise.
122. Regarding the need for greater clarity on the process and scope of Authority intervention, audits by broadcaster are envisaged to be permitted by the Authority where inadequacies/discrepancies are material, supported with the documentary evidence and remain unresolved even after pointing out to the original auditor. The broadcaster must submit evidence of such inadequacies/discrepancies along with its request, and TRAI will examine the matter for an adequate ground before permitting an audit.
123. Stakeholder comments further suggested that distributors should be afforded an opportunity to submit clarifications before a special audit is granted. The matter under consideration in the regulation is the fair and effective conduct of audit and not the commercial dealings between broadcaster and distributor. The auditor appointed by DPO has already got an opportunity to clarify the inadequacies/discrepancies raised by the broadcaster under the current amendment. Aim is to provide a structured pathway for broadcasters to raise inadequacies/discrepancies in DPO caused audit report to avoid unnecessary duplication of audits as in the extant system.
124. Regarding the observation related to treating broadcaster-initiated audits as "special" audits, it is to note that the word "special" was used just to give a different term to a repeat audit caused by broadcaster vis-à-vis the original audit caused by the DPO. However, to allay apprehensions of an impression that the broadcaster caused audit has different provisions than the DPO caused audit, the word "special" has been deleted in the revised amendment. The Authority clarifies that broadcasters retain their right to conduct audits under regulation 15(2) of the principal regulations on justifiable grounds.

Regulation 15(2) 3rd proviso – regarding selection of auditor for audit by the broadcaster

125. In the draft Regulations 2025, the 4th proviso of Regulation 15 (2) (a) proposed that in case of special audit, by broadcaster, the broadcaster shall give names of three auditors, from amongst M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited and the empanelled auditors, to the distributor and the distributor shall choose one auditor for the special audit, within fifteen days, failing which broadcaster shall approach the Authority for selection of the auditor.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

126. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
 - Granting the DPO the power to select one of the three auditors proposed by the broadcaster or reject all of them by, *inter-alia*, not responding within 15 days' neutralizes the audit's independence as well as defeats the objective of an impartial investigation. Subsequent provision, which allows TRAI to appoint an auditor should the DPO fail to choose, is opaque and devoid of any specified criteria for selection of auditor. Entire framework for broadcaster audit needs to be reconsidered and the right to select an auditor for a broadcaster-caused audit ought to rest with the broadcaster initiating it, like in the case of DPO-caused audits. The

broadcaster, being the aggrieved party and the one financing the audit, should be free to appoint competent auditors from the Authority's empaneled list.

- Specific and repeated inclusion of BECIL, in the draft amendment, is inappropriate and creates a perception of preferential treatment.
- Selection process should maintain neutrality and fairness, ensuring neither party gains undue influence over the choice of auditor. Allowing the broadcaster to propose all three names may affect perceived independence and a balanced approach would ensure joint participation in auditor nomination.
- In case multiple broadcasters request a special audit from the Authority and are allowed to get the same conducted, how will the distributor tackle multiple special audits as managing multiple audits through different auditors will hamper the daily functioning of the distributor and thus the same will become a huge challenge. In case a special audit is permitted from multiple broadcasters then a common auditor should be appointed to conduct the audit.

Analysis

127. In consideration of stakeholder feedback, and in alignment with the principle that distributors are vested with the discretion to select their auditor and the broadcaster too ought to have similar discretion, the proviso has been omitted from the Seventh Amendment Regulations. Consequential modifications have been affected in the third proviso to expressly permit broadcasters to appoint auditors of their choice from the empanelled list and BECIL, thereby ensuring flexibility and autonomy in the conduct of audits. The matter of mentioning the name of BECIL has already been dealt in this explanatory memorandum.
128. With regard to the comment concerning multiple audit requests and the selection of a common auditor, it may be noted that regulation 15(2) of the principal regulations already provides for broadcaster-initiated audits, and the present amendment does not alter that position. The need for broadcasters' right to seek re-audit on justifiable grounds, is also acknowledged by the Authority. Accordingly, no further modification or clarification in this regard is necessary.

Regulation 15(2A)- regarding the case where broadcaster does not receive audit report and the broadcaster may conduct its own audit within five (5) months

129. In the draft Regulations 2025 (regulation 15(2) (b)), two scenarios were proposed for cases where the broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the due date of 30th September –
 - (i) where the distributor of a television channel fails to share the audit report of the preceding financial year, under regulation 15(1), with the broadcasters, with whom it has entered into interconnection agreement, by the 30th September of the year in which the audit was due to be conducted, it shall be permissible to the broadcasters either jointly or severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system of such distributor of television channels done, at the cost of broadcaster.
 - (ii) where the audit is optional under regulation 15(1), it shall be permissible to the broadcasters either jointly or severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system done, at the cost of broadcasters.

It was clarified in the draft Regulations 2025 that in case an audit is got done by a broadcaster under these provisions, the audit shall be conducted only once in a year and completed within four months starting from the 30th September of that year.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

130. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
 - Broadcasters often deal with hundreds of distributors, and audit resources—both financial and logistical—cannot be marshalled across the entire ecosystem within such a compressed window of 4 months starting 1st October every year. Amendment should not mandate any fixed timeline for broadcasters to conduct audits in such cases, allowing flexibility to ensure thorough and accurate verification of subscriber data.
 - This provision unfairly shifts responsibility and cost to broadcasters for a compliance lapse of the distributor, even though such audits are regulatory obligations of distributors. Audit under regulation 15(1) is a

compliance requirement for distributors, not broadcasters. Imposing the audit cost on broadcasters when the distributor defaults effectively penalizes the wrong party and creates a perverse incentive for distributors to delay audits.

- For distributors with small subscriber bases where audits are optional, the proposed regulation may result in unnecessary and frequent audits by multiple broadcasters, creating disproportionate compliance costs and duplication. Optional audits were introduced to ease compliance burden on small distributors and allowing broadcasters to override this optionality defeats that regulatory intent and could financially strain small operators.

Analysis

131. The number of broadcasters-initiated audits in recent years has not been all pervasive across broadcasters and DPOs. While a four-month period is generally considered sufficient to complete such audits, the Authority has taken note of stakeholder comments regarding operational constraints. However, provision of the 6 months time as allowed for DPO caused audit is not considered necessary as sufficient time would have passed since close of previous financial year, and DPO's preparedness would be available. Accordingly, the timeframe for completion of broadcaster-initiated audits has been revised to five months from 30th September (from four months provided in the draft Regulation), thereby providing additional flexibility while retaining a time-bound discipline in the audit process.
132. With respect to the stakeholders' comments that the cost of audits in cases of DPO default should not be borne by broadcasters, the Authority is of the view that the regulatory framework must balance compliance obligations with practical enforceability. The provision ensures that broadcasters retain the ability to verify subscriber data even in cases of distributor non-compliance, while the financial payment by them discourages frivolous or excessive audit requests. Non-compliance by such DPOs remains subject to financial disincentives and regulatory action under the principal regulations.
133. To address concerns regarding small distributors, the Authority has provided that willing broadcasters may jointly commission audits of such distributors' addressable systems, thereby minimizing duplication and reducing costs. This safeguard ensures that the regulatory intent of easing burdens on small DPOs is preserved, while still allowing broadcasters to verify data where necessary.

Regulation 15(2B) – regarding discrepancy in subscriber numbers to be settled as per interconnection agreement between broadcaster and DPO; and the requirements under Schedule III or X or both not met

134. In the draft Regulations 2025, it was proposed that in case the audit conducted under sub-regulation (1) or (2)(a) or (2)(b) reveals that –
 - (a) there is a discrepancy in subscriber numbers, it may be settled as per provisions in the interconnection agreement between broadcaster and the distributor;
 - (b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in Schedule III or Schedule X or both, it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

135. In response, the various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
 - Regulation 15(2)(c), in its current form in the draft Regulations 2025, is both restrictive and ambiguous, the wording suggests that it provides certain limited remedies to broadcasters in cases of discrepancies or non-compliance by DPOs with the requirements prescribed under Schedule III and/or Schedule X, however, the scope and applicability of these remedies remain unclear, potentially leading to interpretational uncertainty and inconsistent implementation. Regulation 15(2)(c) be reworded to reflect that in case of discrepancy in subscriber numbers and/or the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, broadcaster may take remedial measures in terms of applicable laws/agreement between the parties.
 - TRAI should prohibit signal disconnection arising from audit findings and any non-compliance issue should be addressed through corrective action or TRAI-directed resolution rather than service interruption.

- Mandatory audit is a statutory tool, and its findings on subscriber discrepancies must lead to a standardized resolution enforced by TRAI or TDSAT, not left open to protracted commercial renegotiation and relying on variable interconnection agreement clauses creates an avenue for endless disputes and commercial leverage against the DTH platform, which undermines the entire purpose of a clear regulatory audit.

Analysis

136. Regarding variation in subscriber numbers revealed during audit vis-à-vis monthly subscriber reports, the Authority is of the view that suitable provisions should be incorporated in the Reference Interconnection Offers (RIOs) and interconnection agreements to address such discrepancies, if any. This approach entrusts the resolution of penalties and adjustments to market mechanisms by allowing parties to mutually agree on the terms, rather than prescribing detailed penalty structures, under the regulatory framework. The existing regulation also provides for settlement of variation in subscriber numbers found during broadcaster caused audit as per interconnection agreement.
137. Further, as per the extant Interconnection Regulations 2017, where an audit reveals non-compliance with the requirements specified in Schedule III or Schedule X, broadcasters are permitted to disconnect signals after providing the distributor with three weeks' written notice. The same provisions have been retained in the Seventh Amendment Regulations to ensure deterrence against systemic non-compliance.
138. With respect to suggestions that signal disconnection should be prohibited, the Authority does not concur at this stage. Signal disconnection, subject to a three-week notice period, remains a proportionate and necessary remedy to safeguard the integrity of the broadcasting ecosystem where systemic non-compliance is established. Removing this remedy would dilute deterrence against manipulation of subscriber data and undermine compliance with technical standards prescribed under Schedule III and Schedule X.

Scheduling

139. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

140. In response, a submission mentioned that the regulation already mandates an annual audit under regulation 15(1) and stating that the audit "shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation" simply reiterates the existing law without providing any new functional detail or clarification on scheduling parameters.

Analysis

141. Given that scheduling is already covered under regulation 15(1) in the Seventh Amendment Regulations, Schedule III and Schedule X have been modified to align with the existing provision, ensuring consistency.

Infrastructure Sharing Provisions

142. In the consultation paper, some other issues for consultation were as follows:

Q11. In light of the infrastructure sharing guidelines issued by MIB, should clause C-14 (CAS & SMS) of Schedule-III of Interconnection Regulation 2017, be amended as follows:

"The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for a period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.

In case Infrastructure is shared between one or more distributors, the CAS shall be capable of generating, recording, and maintaining logs for each distributor separately for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS."

Please support your answer with proper justification and reasoning. If you do not agree then suggest an alternative amendment, with proper justification?

Q12. For those cases of infrastructure sharing where the CAS and SMS are not shared by the infrastructure provider with the infrastructure seeker,

- i. do you agree that in such cases, the audit of the infrastructure seeker so far as the shared infrastructure is concerned, should extend to only those elements of the infrastructure of the provider which are being shared between the DPOs?*
- ii. should a broadcaster be permitted to cause the complete technical audit of all the DPOs, including the audit of the shared infrastructure, as a precondition for the broadcaster to provide the signals of television channels, if the broadcaster so decides?*

Please support your answers with proper justification and reasoning.

Q13. In case CAS and SMS are shared amongst service providers,

- i. what provisions for conducting audit should be introduced to ensure that the monthly subscription reports made available by the distributors (sharing the infrastructure) to the broadcasters are complete, true, and correct, and there are no manipulations due to sharing of CAS/DRM/SMS?*
- ii. should a broadcaster be allowed to simultaneously audit (broadcaster-caused audit) all the DPOs sharing the CAS/DRM/SMS, to ensure that monthly subscription reports are complete, true, and correct in respect of all such DPOs, and there are no manipulations due to sharing of CAS/DRM/SMS? Support your answer with proper justification and reasoning.*

Q14. Do you agree that in case of infrastructure sharing between DPOs, suitable amendments are required in the Schedule III of the Interconnection Regulation and the audit manual for assessment of multiplexer's logs during audit procedure? If yes, please suggest the proposed amendment(s), keeping in mind that no broadcaster should be able to see the data of another broadcaster. Please support your answer with proper justification and reasoning. If you do not agree, then also please support your answer with proper justification and reasoning?

Q17. In light of the infrastructure sharing guidelines issued by MIB for sharing of infrastructure amongst MSOs, amongst DTH operators and between MSO and HITS operator, do you think that there is a need to amend any other existing provisions of Interconnection Regulations 2017 or introduce any additional regulation(s) to facilitate infrastructure sharing amongst MSOs, amongst DTH operators and between MSOs and HITS operators? If yes, please provide your comments with reasons thereof on amendments (including any addition(s)) required in the Interconnection Regulation 2017, that the stakeholder considers necessary in view of Infrastructure guidelines issued by MIB. The stakeholders must provide their comments in the format specified in Table 4 explicitly indicating the existing Regulation number/New Regulation number, suggested amendment and the reason/ full justification for the amendment in the Interconnection Regulation 2017.

Table 4: Format for stakeholders' response on amendments required in Interconnection Regulation 2017 in view of Infrastructure guidelines issued by MIB

<i>S no</i>	<i>Regulation number of the existing Interconnection Regulation 2017/New Regulation number proposed in the Interconnection Regulations 2017 (1)</i>	<i>Provisions of the existing Regulation (2)</i>	<i>Amendment/ new provision(s) suggested by the stakeholder (3)</i>	<i>Reasons/ full justification for the proposed amendment (4)</i>
<i>1</i>				
<i>2</i>				

(Note: In case additional regulation is proposed column (2) may be left blank)

Q19 Stakeholders may also provide their comments on any other issue relevant to the present consultation.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q11 of consultation paper

143. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Agreed with the proposed amendment. Suggested that in case of sharing of infrastructure the following should be ensured:
 - i. CAS instances for the infrastructure provider and seeker should be separated into logical instance with separate database. The hardware and associated infrastructure (space and power) requirements may only be shared.
 - ii. Each CAS instance will communicate to only one SMS. A CAS instance to be addressed by multiple SMS cannot be allowed, since in such a situation the one-to-one correspondence is lost.
- “logs” should mean and be defined as, “transactional logs and all commands exchanged between CAS & SMS excluding CAS internal logs in the backend components within CAS solution/system are also considered as logs”. While making an amendment, the type of logs shall be clearly captured in the amendment and therefore the revised clause C-14 be as follows:

“The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining transactional logs, for a period of at least immediately preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.

In case Infrastructure is shared between one or more distributors, the CAS shall be capable of generating, recording, and maintaining transactional logs for each distributor separately for the period of at least immediately preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.”
- While agreeing with the proposed amendment stakeholders suggested that the CAS shall be capable of whitelisting and tagging all STB/VCs of respective distributors and generating, recording and maintaining logs with date and time stamp for a period of at least immediately preceding three consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.
- In case of infrastructure sharing, only the headend/video signals/transport stream should be shared between the infrastructure provider and the infrastructure seeker, and each entity should maintain its own independent CAS & SMS. TRAI should not permit the sharing of CAS and SMS as it also undermines the fundamental principles of competition, service differentiation and service/subscriber identification/correlation to relevant DPOs and that the systems remain crucial for DPOs to manage subscriber access, deliver unique services, and protect content security. Further, it could lead to potential content security and distribution risks, including under-declaration of subscribers, which would adversely impact broadcasters.

144. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’ comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including CAS and SMS sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the stakeholders’ comments related to technicalities of CAS/SMS sharing and definition of logs, it may be noted that the macro procedural details for audit will be addressed in the Audit manual suitably as these can be universally applied to all DPOs. For other remaining issues related to technical functionalities, the Authority is of the view that such technical/finer details need not be governed by regulations.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q12 of consultation paper

145. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Audit of infrastructure seekers should extend to only those elements of the infrastructure of the provider which are being shared between the DPOs.
- For those cases of infrastructure sharing where the CAS and SMS are not shared by the infrastructure provider with the infrastructure seeker, a separate audit of the infrastructure seeker and the infrastructure provider should be conducted.
- In cases where the CAS and SMS are not being shared between the infrastructure provider and seeker, for the infrastructure seeker, all elements must be audited, not just the elements of the infrastructure provider which are being shared, to evaluate if infrastructure sharing is happening in actual and to what extent. The audit should commence simultaneously for all infrastructure providers and seekers.
- Broadcaster should not be permitted to cause the complete technical audit of all the DPOs, including the audit of the shared infrastructure, as a precondition for the broadcaster to provide the signals of television channels,

in the interest of time to market considering the number of broadcasters involved and long lead time of concluding an audit.

- A single auditor should be permitted to conduct audits for all line of services – DTH, HITS, IPTV etc. and further, broadcasters should not be allowed to commission a complete technical audit of all the DPOs, including an audit of shared infrastructure, as a precondition to providing the signals of television channels because it is sensitive information related to network architecture.
- Broadcaster should be permitted to cause complete audit of all elements of all the DPOs involved in the infrastructure sharing arrangement, including the audit of shared infrastructure, as a precondition for the broadcaster to provide signals of television channels, so as to understand the type and manner of infrastructure being shared between DPOs and how many DPOs are sharing the infrastructure.

146. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including CAS and SMS sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the stakeholder comments related to scope of audit in case of sharing of CAS/SMS sharing, it may be noted that the macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs will be addressed in the Audit manual suitably. For other remaining issues such as permitting only single auditor for all lines of services, the Authority is of the view that such technical/finer details need not be governed by regulations.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q13 of consultation paper

147. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Where CAS and SMS are being shared amongst service providers, the systems of the DPO providing infrastructure should be capable of generating individual reports for each DPO seeking infrastructure. Additionally, it should be possible for broadcasters to disconnect individual DPOs sharing infrastructure for any reason, including but not limited to non-compliance with provisions of the regulations or defaulting in payments towards subscription fees, or indulging in piracy. Broadcasters should be allowed to conduct joint and simultaneous audits covering all elements of all the DPOs sharing the infrastructure.
- Audits (both under regulation 15(1) and 15 (2)) of the infrastructure provider and the infrastructure seeker(s) should be done simultaneously so that complete data dumps can be extracted from the shared CAS and SMS systems simultaneously and the entire universe of STBs (along with all entitlement records) can be divided amongst the service providers based on the unique identifier/differentiator defined in the shared CAS and SMS systems.
- In case of CAS/SMS/DRM sharing, broadcaster audit of infrastructure seeker can be mandated in accordance with the existing audit manual specifications as it is sensitive in nature from all stakeholders' perspective. While allowing simultaneous audits by broadcasters is feasible, a strict timeline of four weeks should be established to complete the audit upon receiving notice from all DPOs involved in sharing CAS/SMS/DRM. There should be an insertion of new provision in schedule III, point number C (5).
"Provided that, any CAS instance can be integrated with only a single SMS."
- Existing provisions for conducting audit are sufficient to ensure that the monthly subscription reports made available by the DPO to the broadcasters are complete, true, and correct, and there are no manipulations due to sharing of CAS/DRM/SMS. Similar provisions may be applied in case of infra-sharing service provider and that the broadcaster may be allowed to simultaneously audit (broadcaster-caused audit) all the DPOs sharing the CAS/DRM/SMS.
- Broadcaster should not be allowed to simultaneously audit (broadcaster-caused audit) all the DPOs sharing the CAS/DRM/SMS as all DPOs/MSOs/DTH/HITS are required to undergo mandatory annual audit every year. Therefore, any specific/relevant requirements of the broadcaster can be audited during the yearly audits themselves.

148. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including CAS and SMS sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the stakeholder comments related to scope and timelines of audit in case of sharing of CAS/SMS sharing, it may be noted that the macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs will be addressed in the Audit manual suitably.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q14 of consultation paper

149. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- In cases of infrastructure sharing, the existing clause 4.5 is applicable and no changes are required, since the multiplex output (transport stream) carries common ECM and EMM from the shared CAS platform.
- Although there is no risk of information leakage with respect to Mux infrastructure sharing per se but to efficiently limit the audit scope with respect to a particular DPO, it is recommended to provide Transport stream wise breakup of each DPO sharing a common Mux. The following amendment should be made in section 4.5 of Audit manual for infra sharing:

“Check MUX configuration to validate number of Transport Streams (“TS”) configured with SID, scrambling status of each SID and ECM and EMM configuration (MUX-TS Stream-No. of ECM & EMM configured) as per the Infra sharing declaration done for the respective DPO like MUX ID, TS ID, Service ID listing of the overall Service Lineup of DPO under Audit.”

- If multiplexer is common & they are doing simul-crypt of signal, in such a case broadcaster can see the logs during audit. However, if the DPO is running both feeds separately with two different MUX then broadcaster should be allowed only to see his own part. In addition, it should be mandated that broadcasters should not require the service provider to show the data of another broadcaster.
- Multiplexers play an important role of carrying the services in encrypted or unencrypted mode. Auditors should be specifically given free access to review the same and regulations should be amended to specifically reflect that MUX logs should be made available for review/verification during audits to ensure channel encryption status throughout the audit period. DPOs should be mandated to maintain such logs at least in the form of non-editable archived reports for a period of at least three preceding years. The following amendments in Schedule III of the Interconnection Regulation and the audit manual should be made:
 - i. Both infrastructure provider & infrastructure seeker should maintain the logs of the Network Service Manager controlling the compression chain of all encoders and all multiplexer (“MUX”) and the MUX logs must be maintained with details of audio video PID mapping, service IDs, service names, and all information related to the services and encryption. The distributor of television channels shall provide recording of all the Transport Stream (“TS”) being distributed from its headend on request by the broadcaster.
 - ii. Further, encryption of all channels distributed by the distributor of television channels must be implemented only by the CAS on the MUX and not on any other device of the headend. Many DPOs pass the channels through the MUX in unencrypted mode and scrambles the entire stream at the QAM (Modulator) which cannot individually activate/deactivate a channel on the subscriber STBs. This results in under declarations since these channels have no record in the CAS and SMS systems. Following amendment should be made to Clause D14 as follows:

“the primary DPO/infrastructure sharing provider should insert its watermarking network logo for all pay channels at Encoder end while each DPO taking services from infrastructure provider distributor shall insert watermarking network logo for all pay channels at STB end, place in such a way that watermarking network logo of infrastructure sharing provider should not get overlapped or hide. Ideally Infrastructure sharing provider watermarking network logo to be placed on the left lower side of the screen and each DPO taking services from infrastructure provider shall insert logo on lower right side of the screen”.

150. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’ comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including infrastructure sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the stakeholder comments related to multiplexer, it may be noted that the macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs will be addressed in the Audit manual suitably.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q17 of consultation paper

151. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Suggested addition of a new Chapter related to ‘Infrastructure Sharing’ in the Interconnection Regulations 2017, to add any clauses related to infrastructure sharing. In this regard, the detailed response of the stakeholder is available on the TRAI’s website. The stakeholder mentioned the following:

- Any infrastructure sharing request will be subject to meeting the broadcasters' technical requirements and written approval, hence, DPOs shall seek approval/NOC from the Broadcasters on any pending technical/commercial issues.
- In case of infrastructure sharing the primary MSO should enable activation/ deactivation portal and provide access to Broadcaster to such portal to exercise its right to deactivate defaulting primary or secondary MSO (as applicable) independently.
- In case CAS and SMS are shared, the primary DPO shall store CAS and SMS data of each secondary DPO separately and ensure that the same is accessible individually. If only TS signals are being provided to the secondary DPOs, then details of each secondary DPO should be stored and shared individually.
- Audits of entities sharing infrastructure shall be conducted jointly and simultaneously.
- All DPOs desiring to share infrastructure shall be mandatorily required to get their systems pre-audited by the broadcaster's technical team (prior to getting into any arrangements for infrastructure sharing).
- In case a secondary DPO shifts from one primary DPO to another for sharing infrastructure, such DPO shall provide a No Objection Certificate from the broadcaster prior to sharing infrastructure with another primary DPO.
- The primary DPO shall ensure that the secondary DPO receives good quality and uninterrupted supply of signals of broadcasters' TV channels.
- Infrastructure sharing should be allowed in all possible scenarios and across all platforms, including but not limited to DTH and IPTV.

152. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum covers issues including amendment in Interconnection Regulations 2017 pursuant to infrastructure sharing. It may be noted that the infrastructure sharing will be governed by MIB guidelines on infrastructure sharing. Macro procedural details related to audit of DPOs sharing infrastructure that can be universally applied to all DPOs will be addressed in the Audit manual suitably. For other remaining issues such as the requirement of activation/deactivation portal, ensuring uninterrupted services or quality of signals by infrastructure provider, cases of shifting of infrastructure seeker from one DPO to another, etc., the Authority is of the view that such technical/finer details need not be governed by regulations but should be addressed by mutual agreements.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q19 of consultation paper

153. In response to Q19 seeking stakeholder comments on any other issue relevant to the present consultation, various views received from stakeholders are as follows:
- i. Broadcasters misuse the power granted to them under clause 15(2), and it has become a tool for them to harass the MSO either financially or legally.
 - ii. The two conditions mentioned in clause 15(2) i.e. "*Not satisfied with the audit report*" and secondly "*in the opinion of a broadcaster*", are open ended. Anything which broadcasters would like to raise only to harass the DPO can be asked under above mentioned clause.
 - iii. Stakeholders suggested revisions to clause 15(2) as below:
 - a. *In cases where the auditor referred in 15(1) (a), issues a qualified report, with respect to the subscription reports submitted by the DPO to the broadcaster or with respect to non-confirmation of the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, as the case may be, it shall be permissible to the broadcaster, after communicating the reasons in writing to the distributor, to audit the subscriber management system, conditional access system and other related systems of the distributor of television channels, not more than once in a calendar year:*
 - i. *Provided that, the auditor raises the following qualifications in their report.*
 - a. *No. of subscribers submitted by DPO and verified by the TRAI empaneled auditor in its audit report, are more than variation of 0.5%.*
 - b. *Undeclared CAS / SMS/Head End found during audit*
 - c. *If an Unencrypted signal is found during Audit.*
 - d. *More than 5% variation, if found between ground STB samples given by Broadcasters and actual availability in the system.*
 - iv. To enable auditors to conduct audit of IPTV apps being offered by DPOs in their closed networks, it is essential that the features of such apps be standardized, or a whitelisting procedure for such apps be introduced.

- v. IPTV platforms that want to deliver services other than through STB, should also be required to get their audit done through information security auditors including Testing of Headend /IT Application testing / Security Testing and control testing / Configuration of the Application including configuration and vulnerability and other testing.
- vi. Auditors should release the audit report to DPOs and broadcasters on the same day.
- vii. Each empanelled audit agency should have trained personnel, who are well versed with the CAS/SMS, digital headend and related head-end systems. It is noted that most of the enrolled empanelled agencies have experience in financial audits and not in the CATV/DAS/IPTV environment audits.
- viii. Regarding infrastructure sharing, stakeholder(s) opined-
 - a. Infrastructure sharing of CAS and SMS Servers should be permitted in HITS and DTH platforms.
 - b. To ensure that there is no data loss in case of server failure in simulcrypt environment (infrastructure sharing), DPOs should ensure that they have a disaster recovery system (back-up/stand-by servers) in place in respect of its CAS and SMS which is capable of recording and preserving each action performed on and through its CAS and SMS for minimum of immediately preceding three consecutive years.
 - c. Infrastructure provider should use reasonable efforts to maintain a service availability (a service free from viewer discernible problems including, without limitation, video with no audio, audio with no video or significant signal distortion) without any interruption or deviation from the daily transmission schedule.
 - d. Infrastructure provider should create a broadcaster remote live control panel (dashboard) to inter-alia allow broadcasters to remotely activate/deactivate/reactivate signals of their respective channels to the secondary DPOs.
 - e. Dashboard should clearly display
 - details of each CAS along with CAS number that have been deployed by infrastructure provider and the secondary DPO in real time.
 - status of encryption to respective broadcasters i.e., whether such channels are encrypted or unencrypted in real time.
 - name of all respective broadcasters services that are available on the platform in respect of infrastructure provider and the secondary DPO.
 - f. Any CAS that is added or deleted on infrastructure sharing platform should reflect on Dashboard with date and time stamp of such addition and/or deletion, as applicable. It should be the obligation of the infrastructure provider and infrastructure seeker to inform broadcaster in writing about any proposed changes 30 days in advance.
 - g. In case of HITS infrastructure sharing environment, Cable Operators' Premise Equipment (COPE) units issued by HITS provider to MSO's local cable operators ("LCO")/DPOs needs to be clearly identified/visible in their systems. Further, during audit of HITS, HITS operator should provide detailed information including installation address of COPE units to the empanelled auditors as well as to the broadcaster as and when requested by broadcaster
 - h. Infrastructure sharing DPOs should mandatorily schedule finger printing at an interval of every ten (10) minutes on 24×7×365(6) days basis and in such a manner that fingerprinting is visible on TV screens of connected STBs.
- ix. A proper audit fees matrix is required to be published by TRAI. Due to intense negotiations, the quality of report and audit work sometimes gets compromised.
- x. Maximum number of Audit for audit firm should be fixed under Regulation 15(1) and 15(2).
- xi. For conducting audits under regulation 15(1) and/or 15(2), DPO/Broadcaster should request TRAI by submitting the fees for Audit as per fees matrix. TRAI in turn should appoint the Auditor.
- xii. Sometimes DPOs find hosting SMS in cloud solution or in data centre to be cost effective. During the audit, physical verification of such servers is not possible. For example, when SMS is hosted in AWS Mumbai and auditor asks for physical verification in AWS Mumbai, which is not possible, then a non-compliance flag is assigned to the SMS. Hence, this is required to be addressed in the audit manual.
- xiii. The auditor should be required to verify the MSR data for every pay channel of broadcasters available on DPO's network for 20% sample weeks covering at least one week of every month for the entire audit period.
- xiv. Verification is currently being done at aggregate level only for total active subscribers in CAS versus in SMS. This should also include number of entitlements (i.e., total channels active on each active CAS card) versus total number of entitlements on each CAS card in SMS.
- xv. Audit process will be meaningful only if the DPO submits CAS and SMS wise subscriber number as part of the monthly subscriber report submitted to broadcaster every month.

Analysis

154. The Authority has examined the submissions made by the stakeholders. In this regard, the following may be noted:

- Regarding the issues related to regulation 15(2), it may be noted that these issues have already been addressed in the Seventh Amendment Regulations and the justifications for same have been presented in the analysis sections of this EM at various places.
- In response to comments regarding simultaneous submission of audit report to the DPO and broadcaster, the Seventh Amendment Regulations mandates the completion of audits within prescribed timelines and stipulates prompt forwarding of audit reports to broadcasters.
- In response to comments regarding audit of IPTV service providers, all the DPOs including IPTV operators have been mandated to cause audits of their systems once every calendar year under TRAI's Interconnection Regulations 2017. Schedule X of the Interconnection Regulations 2017 specifies the Digital Rights Management (DRM) System Requirements.
- In response to the perceived need for trained audit personnel, the Seventh Amendment Regulations aim to streamline audit process and enhance auditor accountability. It may be noted that the eligibility criteria contained in the Expression of Interest for empanelment of auditors to carry out audit of Digital Addressable Systems prescribe the minimum experience and proficiency requirements for the applicant auditors.
- Regarding infrastructure sharing, it may be noted that:
 - This is governed by the provisions contained in the respective infrastructure guidelines of the Ministry of Information and Broadcasting (MIB) for each platform, namely DTH, HITS, MSOs, etc.
 - MIB guidelines already permit infrastructure sharing including CAS/SMS between MSOs, between MSO and HITS operator, and between DTH operators.
 - MIB guidelines do not permit infrastructure sharing of CAS/SMS between HITS and DTH operators.
 - The guidelines contain detailed requirements for infrastructure sharing entities which include provisions related to disaster recovery system, disconnection of signals by broadcasters, maintaining logs, CAS/SMS sharing and making them accessible for audit etc. Regarding the suggestion on creating a dashboard, COPE terminals, etc., it may be noted that it is a matter of technical functionality and is better addressed by market practices.
 - All service providers are required to ensure compliance with the provisions of these guidelines issued by MIB.
 - Besides this, all Regulations of TRAI including the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (as amended) are required to be complied with by all service providers.
 - Regarding the suggestion for universal overt fingerprinting, this may potentially compromise user experience. Whenever there is a requirement of identifying a compromised DPO, finger printing etc. can be initiated for the concerned segment of DPOs.
- Regarding regulating audit fees, it may be noted that TRAI has empaneled sufficient number of auditors in the sector and as a result, audit charges are fairly competitive.
- Considering the number of empanelled auditors that provides sufficient competition, the EOI restricts continuous audit by the same firm of a DPO beyond three years instead of fixing maximum number of audits by a firm.
- Macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs are/will be covered in the Audit manual. Regarding other remaining issues related to technical functionalities, the Authority is of the view that such technical/finer details need not be governed by regulations.

Draft Regulations 2025

155. In the draft Regulations 2025, it was proposed that SMS and CAS/DRM should have capability to meet all the requirements prescribed in Schedule III and X respectively for each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/CAS/DRM and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and CAS/DRM.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

156. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Agreed with the provisions.
- While agreeing with inclusion of infrastructure sharing provisions, further suggested that TRAI should align infrastructure sharing provisions across all relevant schedules and clarify that shared systems may include CAS, SMS and content acquisition systems/signals. The infra sharing clause should be extended to Schedule IX as well to avoid any confusion (since currently the inclusion is limited to Schedule III & Schedule X).
- This provision imposes a massive, unnecessary, and uncompensated capital expenditure on compliant DTH operators and forcing a shift to costly "separate instances" for multiple distributors merely satisfies a rigid regulatory definition, creates operational redundancy, and would ultimately lead to higher service costs passed directly to the consumers.
- Disagreed with the provisions. Draft amendment proposes to introduce a framework for infrastructure sharing without conducting any foundational analysis to justify its approach. Suggested to not to finalize these provisions until these foundational studies are conducted through regulatory sandboxing and shared with stakeholders for consultation. Broadcasters should be allowed to conduct joint and simultaneous audits covering all elements of all the DPOs proposing to share infrastructure and/or sharing the infrastructure.
- Draft regulations do not explain how separate instances of SMS and DRM/CAS systems will be technically implemented for multiple DPOs sharing infrastructure. TRAI should issue detailed technical guidelines clarifying system segregation, data access, and auditability to prevent ambiguity and misuse. The following was submitted:
 - i. Shared SMS and DRM systems must be capable of meeting all prescribed requirements for each DPO independently. Separate instances must be created for every DPO and the systems must ensure complete segregation of data to enable entity-wise reconciliation between SMS and DRM.
 - ii. The audit should be commenced simultaneously for all DPOs including infrastructure provider and seekers.
 - iii. The systems (SMS & CAS) of the DPO providing infrastructure should be capable of generating individual reports for each DPO seeking infrastructure. Additionally, broadcasters shall disconnect individual DPOs sharing infrastructure for noncompliance with provisions of the regulations including and not limited to default in payments towards subscription fees or indulging in piracy. Broadcasters should be allowed to conduct joint and simultaneous audits covering all elements of all the DPOs sharing the infrastructure.
 - iv. The CAS shall be capable of whitelisting and tagging all STB/VCs of respective distributors and generating, recording and maintaining logs with date and time stamp for a period of at least immediately preceding three consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.
 - v. CAS instances for the infrastructure provider and seeker should be separated into logical instance with separate database. The hardware and associated infrastructure (space and power) requirements may only be shared.
 - vi. Each CAS instance will communicate to only one SMS. A CAS instance to be addressed by multiple SMS cannot be allowed, since in such a situation the one-to-one correspondence is lost.
 - vii. Broadcaster should have right to do the technical audit before allowing infrastructure sharing to the DPO. It will help to ensure that the DPO system is in compliance with the TRAI regulations.
- Prohibit DPOs facing signal disconnection due to outstanding dues or piracy from bypassing broadcaster action through infra-sharing arrangements and allowing such DPOs to access broadcaster signals via another distributor would defeat enforcement actions and promote non-compliance.
- DPOs must obtain prior written approval or No Objection Certificate (NOC) from the concerned broadcaster before entering into any infrastructure sharing arrangement and broadcasters should also be allowed to conduct an audit of the infrastructure provider's systems before such sharing is operationalized.

Analysis

157. The Authority notes that infrastructure sharing is governed by the provisions contained in the respective guidelines/statutes of the Government for each platform, namely DTH, HITS, MSOs, etc. The Ministry of Information and Broadcasting (MIB) guidelines already permit infrastructure sharing including CAS/SMS. Accordingly, all service providers are required to ensure compliance with the provisions of these guidelines issued by MIB while entering into or operationalizing infrastructure sharing arrangements.

158. In the extant regulations, item (C) 2 of Schedule III of Interconnection Regulations 2017 states:
“The SMS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the SMS including but not limited to activation and deactivation commands.”
- In the extant regulations, item (C) 14 of Schedule III of Interconnection Regulations 2017 contains:
“The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.”
159. Similar provisions exist in Schedule X of the Interconnection Regulations 2017. In cases of infrastructure sharing, wherein SMS, CAS, and DRM may also be shared, these provisions require amendment to ensure that SMS, CAS and DRM systems have the capability to meet all requirements prescribed under the Interconnection Regulations 2017 for each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/CAS/DRM and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and CAS/DRM.
160. Regarding other issues related to Audit manual raised in the consultation paper dated 9th August 2024, vide question nos. 7, 8, 15, 16 and 18 comments of the stakeholders have been noted and examined. These include clause wise suggestions in audit manual and changes in audit manual required due to infrastructure sharing. Accordingly, suitable amendments will be considered by the Authority in the Audit Manual.
161. In view of above, suitable provisions have been included in the Seventh Amendment Regulations. However, the market developments shall be monitored, and further intervention as felt necessary may be considered at appropriate time.

Infrastructure Sharing Provisions – Watermarking

162. In the consultation paper, other issues for consultation were as follows:

Q9. In light of the infrastructure sharing guidelines issued by MIB, should clause D-14 (CAS & SMS) of Schedule-III of Interconnection Regulation 2017, be amended as follows:

“The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.

Provided that only the encoders deployed after coming into effect of Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 (7 of 2019) shall support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.

In case of infrastructure sharing, the infrastructure sharing provider shall insert its watermarking network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from infrastructure provider distributor shall insert its own watermarking network logo for all pay channels at STB end.”

Please support your answer with proper justification and reasoning. If you do not agree then suggest an alternative amendment, with proper justification?

Q10. In case of infrastructure sharing, if it is decided that the infrastructure sharing provider shall insert its watermarking network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from infrastructure provider distributor shall insert its own watermarking network logo for all pay channels at STB end,

- i) does the specification of the logos (transparency level, size, etc), of both Infrastructure provider and infrastructure seeker distributors, need to be regulated? If yes, please provide detailed specification (transparency level, size, etc) of the logos of both Infrastructure provider and infrastructure seeker distributor.*
- ii) Since appearance of the logos of more than one DPO on the TV screen may compromise the quality of the video signal at the subscriber’s end, what measures such as overlapping logos of the DPOs or any other solution, should be adopted to ensure that while logo of the DPO (infrastructure seeker) is prominently visible on the subscriber’s TV screen, the objective of tracing piracy is also met through watermarking the network logo of the infrastructure provider DPO suitably? Please provide details of measure proposed.*

Please support your answer with proper justification and reasoning.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q9 of consultation paper

163. In response, various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:

- The infrastructure sharing providers shall insert the watermarking network logo for all the pay channels from encoder end and DPO who are in shared network will also insert their logo from STB end. This is required to ensure that the operators sharing infrastructure can be identified for piracy individually through watermarking.
- In case of infrastructure sharing, the watermarking logo can be inserted either at the encoder end or STB end.
- Insertion of watermarking logo should essentially happen at encoder end only to prevent any unnecessary incidents of piracy. However, in case of infrastructure sharing, the watermarking logo can be inserted either at the encoder end or STB end.
- Watermarking logo can be inserted either at the encoder end or STB end and decision should be mutually decided between provider and seeker.
- If the infrastructure is to be shared, inserting a logo should be at the STB end only or if a common infrastructure is used a logo of provider and DPO can be placed at different locations not overlapping each other.
- Encoder level logo insertion should not be mandated and only STB level logo insertion can serve the purpose of infrastructure sharing needs and anti-piracy requirements.
- Most MSOs have old encoder and there is no vendor support to upgrade. Small DPO can't afford all new hardware, so there should be some relaxation for the MSOs if they are operating in a limited area with honestly no chances of piracy.
- Under infrastructure sharing arrangements, logo insertion from encoder shall lead to various complications of logo overlap and user experience problems so watermark logo insertion from encoder should not be mandated. To address the requirement of anti-piracy, DPO triggered fingerprint can still serve the purpose in the following way in case someone is able to alter/mask the watermark logo:
 1. Broadcaster shall be able to identify the infrastructure provider using broadcaster triggered fingerprint.
 2. On identifying the infrastructure provider source, broadcaster shall make the infrastructure provider accountable to trigger the DPO triggered fingerprint for identifying the real DPO (infrastructure seeker/infra provider) STB ID.
 3. Since infra provider does not have the capability currently available for triggering the fingerprint on infrastructure seeker STB, there are 2 possible solutions-
 - Develop a utility using fingerprint API of all infra seekers so that it triggers fingerprint immediately or
 - Establish a common anti-piracy team of all partner DPOs to trigger the fingerprint within prescribed timeframe.
- The proposed stipulations require proper examination and practical testing before introduction. There is no evidence presented on how commands executed through CAS or SMS can be definitively attributed to a specific DPO. TRAI should conduct testing through regulatory sandboxing before implementing any sweeping changes. The stakeholder proposed the following amendment:

“The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only. Provided that ~~only the encoders deployed after~~ before coming into effect of Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 (7 of 2019) ~~shall~~ that do not support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end shall be decommissioned and replaced with encoders that support watermarking network logo for all pay channels at encoder end, on/before 31st March 2025. In case of infrastructure sharing, the infrastructure sharing provider shall insert its watermarking network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from infrastructure provider distributor shall insert its own watermarking network logo for all pay channels at STB end. The two watermarks should be visible on the screen, one watermark of the infrastructure sharing provider from encoder end & one watermark of the DPO taking services from the infrastructure provider distributor from STB end. Provided that the STB watermark should be 50% transparent.”

164. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations presented in the subsequent section of this explanatory memorandum covers reasons for regulatory provisions related to watermarking network logo to be provided by the infrastructure provider at encoder end and by the infrastructure seeker through STB/middleware.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q10 of consultation paper

165. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Specification of the logos should not be regulated considering the complexity involved in implementing at the STB end for development and required specification. Specifications should be left to the operator to decide.
- Insertion of two logos will not only lead to complexities and complications but also irritate and disturb the subscriber viewing experience. This would mean that the subscriber will be watching three logos (i) one from the infra service provider, (ii) another from the infra service receiver and (iii) the other from the broadcaster. This will be in addition to the forced messages or scroll to be run by the DPOs. The purpose of controlling piracy can be tackled by the flashing of fingerprint at broadcaster level and STB level.
- Having 2 logos on screen along with broadcaster logo would bring bad user experience and confusion. Therefore, it would be difficult to carry both the DPOs logos on the screen and it is advisable that infrastructure seeker logo should be given priority.
- Current level of transparency around 80% is to be maintained for DPO logo.
- To ensure quality of video signal at the subscriber end and to stop piracy through watermarking logo few regulations should be made that:
 - Logo size should not be greater than 1080P.
 - Logo should be clearly visible.
 - More than one logo of DPO and more than one logo of broadcaster should not be visible on TV Screen.
- Since 2 watermarks are appearing on the screen, the STB-end watermark should be kept at 50% transparency so as not to hamper the consumer's viewing experience. The primary DPO/infrastructure sharing provider should insert its watermarking network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from infrastructure provider distributor shall insert watermarking network logo for all pay channels at STB end, placed in such a way that watermarking network logo of infrastructure sharing provider should not get overlapped or hidden. Ideally Infrastructure sharing provider watermarking network logo should be 50% transparent with 2cm X 2 cm and to be placed on the right lower side of the screen and each DPO taking services from infrastructure provider shall insert logo with 50% transparent 50% with 1.5cm X 1.5 cm on lower left side of the screen and ensure that both logos should be prominently visible on the subscriber's TV screen. It will help the field team to identify both logos without any confusion and help to trace the source of the signal in case of piracy. Further, it should be mandatory for infrastructure sharing platforms to enable fingerprinting at every 10 minutes interval on all STBs.

166. The stakeholders' comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders' comments on these draft Regulations presented in the subsequent section of this explanatory memorandum covers issues related to specifications of logos on the TV screen for the best viewing experience to the end user.

167. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure providers. The infrastructure seeker shall provide a network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.

Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025

168. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:

- Mandating encoder-level logo insertion is not recommended due to its negative impact on customer experience and incurring a huge cost on DPO, this approach creates a complex and confusing scenario by automatically pushing a second service provider logo to the Set-Top Box (STB). The subscriber shall be viewing two logos one of the infrastructure service providers and one of the infrastructure receivers, beside intricacies, this will irritate the viewers also, as he will see three logos (one of broadcaster, and two of service providers beside running of messages and scroll). Only STB level logo insertion can serve the purpose of infrastructure sharing needs and anti-piracy requirements.
- The watermarking network logo for all pay channels shall ordinarily be inserted at the encoder end, provided that, in cases where signals are distributed through shared infrastructure and the DPO displays its network logo through the Set Top Box (STB) or middleware, the requirement to insert such DPO's watermarking logo

at the encoder end shall not apply, subject to the condition that (a) the infrastructure provider shall insert or retain the broadcaster's identifier or watermark at the encoder end to ensure upstream traceability; and (b) the concerned DPO shall ensure that its STB or middleware is technically certified, incorporates non-disable forensic watermarking or overlay, maintains appropriate logs, and complies with such security, audit, and technical requirements as may be specified by the Authority from time to time.

- The introduction of the word "preferably" as well as omission to mandate display of logo of infrastructure provider makes the new provision weak, which is inconsistent with the strict technical compliance required by Schedule III. For anti-piracy efforts to be effective, it must be mandatory for the logos of the broadcaster, the infrastructure provider, and the last-mile DPO to be clearly and non-overlappingly visible on the end-user's screen. This framework be deferred until a thorough, transparent "regulatory sandboxing" exercise is completed to test its practical viability and security.
- Regulation should explicitly allow the DTH network logo to be mandatory, alongside the broadcaster logo, as per commercial necessity and restricting DPO's branding power to a non-preferred slot or limiting logo visibility interferes with DPO's fundamental right to market and secure their network and dilutes consumer identification of the actual service provider.

Analysis

169. As per item (D) 14 of Schedule III of Interconnection Regulations 2017:

“The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.

Provided that only the encoders deployed after coming into effect of these Amendment regulations shall support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.”

Similar provisions exist in Schedule X of Interconnection Regulations 2017.

170. Interconnection Regulations 2017 mandated insertion of watermarking network logo from encoder end for pay channels. The main purpose of the abovementioned provision was to tackle piracy by tracing the source of signal which is used for piracy. This approach is necessary because a rogue entity may be able to disable or tamper with the logo inserted only at the STB level. However, in case of infrastructure sharing between DPOs since the encoders may be shared by multiple DPOs, inserting multiple watermarking of each DPO from encoders will result in appearance of multiple DPO logos on the end screen which will compromise the quality of the video signal viewing experience on the TV screen.
171. Accordingly, the Authority is of the view that infrastructure providers may be mandated to insert watermarking network logo at only encoder end and infrastructure seeker may be permitted to provide network logo through STB/middleware.
172. In such a scenario, if the broadcaster desires, they should be able to identify the infrastructure provider using broadcaster triggered fingerprint. On identifying the Infrastructure Provider source, the broadcaster may ask the infrastructure provider to trigger the DPO triggered fingerprint for identifying the real DPO STB ID. This architecture also prevents multiple logos from cluttering the video signal and avoids additional financial burdens associated with deploying separate encoders.
173. However, to protect the interest of consumers, the Authority is of the view that multiple logo appearances on video signals needs to be avoided. Accordingly, not more than 2 logos – one of the broadcasters and the other of the last mile distributor, should preferably be visible at customer end at any time on the end screen. Logo specifications decision is left to the service providers. The Authority is of the view that service providers would normally endeavour to provide the best viewing experience to the end user.
174. In view of the above, suitable provisions have been included in the Seventh Amendment Regulations. However, the market developments shall be monitored, and further intervention as felt necessary may be considered at appropriate time.

List of Acronyms

Acronyms	Description
BECIL	Broadcast Engineering Consultants India Limited
CAS	Conditional Access System
DAS	Digital Addressable Systems
DRM	Digital Rights Management
DPO	Distribution Platform Operator
DTH	Direct To Home
ECM	Entitlement Control Message
EMM	Entitlement Management Message
EoI	Expression of Interest
HITS	Headend in the Sky
IPTV	Internet Protocol Television
JV	Joint Venture
MIB	Ministry of Information and Broadcasting
MSO	Multi-System Operator
MSR	Monthly Subscription Report
OHD	Open House Discussion
RIO	Reference Interconnection Offer
SMS	Subscriber Management System
STB	Set Top Box
TDSAT	Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal
TRAI	Telecom Regulatory Authority of India
TS	Transport Stream